46

वित्त संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

और

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का सुदृढ़ीकरण

छियालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ चैत्र, 1944 (शक)

छियालीसवां प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
और
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का सुदृढ़ीकरण

08 अप्रैल, 2022 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया।

..... को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

..... को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ चैत्र, 1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना..... (iii)

प्राक्कथन..... (v)

भाग-एक

पृष्ठभूमि विश्लेषण

एक.	पृष्ठभूमि	1
दो.	एमएसएमई क्षेत्र का अभाव	18
तीन.	एमएसएमई क्षेत्र में संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना	29
चार.	एमएसएमई क्षेत्र में ऋण का अभाव	42
पांच.	एमएसएमई को विलंबित भुगतान और उसका समाधान	55
छह.	एमएसएमई के वित्तपोषण में एनबीएफसी की भूमिका- सिडबी द्वारा एनबीएफसी का व्यापक वित्तपोषण	65

भाग-दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें 71

अनुबंध

समिति की 30.11.2021, 09.12.2021, 16.12.2021, 21.12.2021 और 30.3.2022 को हुई बैठकों का कार्यवाही सारांश 92

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
5. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
6. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
7. श्रीमती सुनीता दुग्गल
8. श्री गौरव गोगोई
9. श्री सुधीर गुप्ता
10. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
11. श्री पिनाकी मिश्रा
12. श्री रविशंकर प्रसाद
13. प्रो. सौगत राय
14. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
15. श्री गोपाल शेट्टी
16. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
17. श्री प्रवेश साहिब सिंह
18. श्री मनीष तिवारी
19. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
20. श्री राजेश वर्मा
21. रिक्त

राज्य सभा

22. श्री अहमद अशफाक करीम
23. श्री सुशील कुमार मोदी
24. श्री ए. नवनीतकृष्णन
25. श्री प्रफुल्ल पटेल
26. डॉ. अमर पटनायक
27. श्री महेश पोद्दार
28. श्री सी. एम. रमेश
29. श्री जी.एल.वी. नरसिम्हा राव
30. डॉ. मनमोहन सिंह
31. श्रीमती अंबिका सोनी

सचिवालय

1.	श्री सिद्धार्थ महाजन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री रामकुमार सूर्यनारायणन	-	निदेशक
3.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक
4.	श्री ख. गिनलाल चुंग	-	उप सचिव
5.	सुश्री मधुमिता	-	सहायक समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, वित्त संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का सुदृढ़ीकरण' विषय पर यह छियालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 30 नवंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के अधिकारियों का साक्ष्य लिया। 9 दिसंबर, 2021 को समिति ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसे श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड, क्रेडजेनिक्स और नियोग्रोथ के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। । 16 दिसंबर, 2021 को समिति ने एमएसएमई संघों के प्रतिनिधियों अर्थात् सदर्न इंडिया इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसआईईएमए), कोयंबटूर डिस्ट्रिक्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (सीओडीआईएसएसआईए), यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (यूसीपीएमए), झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, झारखंड स्मॉल टायनी सर्विसेज एंड बिजनेस एंटरप्राइज एसोसिएशन और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का साक्ष्य लिया। समिति ने 21 दिसंबर, 2021 को इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल (आईएसपीआईआरटी) और सिबिल के प्रतिनिधियों के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की।

3. समिति ने 30 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. समिति वित्त मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारियों और सिडबी, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड, क्रेडजेनिक्स के प्रतिनिधियों को नियोग्रोथ, एसआईईएमए, सीओडीआईएसएसआईए, यूसीपीएमए, झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, झारखंड स्मॉल टायनी सर्विसेज एंड बिजनेस एंटरप्राइज एसोसिएशन, सीएआईटी, आईएसपीआईआरटी और सिबिल समिति के समक्ष उपस्थित होने आवश्यक सामग्री और जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो विषय की जांच के संबंध में वांछित थी के लिए धन्यवाद देती है।

5. समिति उपरोक्त विषय पर प्रेस विज्ञप्ति पर अपने विचार/सुझाव देने के लिए व्यक्तियों/विशेषज्ञों/हितधारकों/संगठनों को भी धन्यवाद देती है।

6. संदर्भ की सुविधा हेतु समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
30 **मार्च, 2022**
09 **चैत्र, 1942 (शक)**

श्री जयंत सिन्हा
सभापति
वित्त संबंधी स्थायी समिति।

भाग एक

अध्याय एक

पृष्ठभूमि

1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो रोजगार सृजन, नवाचार, निर्यात और अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई क्षेत्र लगभग 6.34 करोड़ उद्यमों के विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह क्षेत्र लगभग 11.1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हुए विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45%, निर्यात में 40% से अधिक, सकल घरेलू उत्पाद के 30% से अधिक का योगदान देता है, जो कि मात्रा की दृष्टि से कृषि क्षेत्र के बाद आता है।

1.2 उद्यमिता को बढ़ावा देने और तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी एमएसएमई क्षेत्र महत्वपूर्ण है। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और यह क्षेत्र देश के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई घरेलू और वैश्विक बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करते हुए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अपने डोमेन का विस्तार कर रहे हैं।

एमएसएमई की वर्तमान परिभाषा मानदंड:

एमएसएमई के लिए नई परिभाषा

1.3 एमएसएमई के सुदृढ़ीकरण और विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, सरकार ने एमएसएमई की एक नई परिभाषा की घोषणा की। संशोधित परिभाषा विनिर्माण और सेवा उद्यमों के बीच के अंतर को दूर करती है। प्लांट और मशीनरी में निवेश के अलावा टर्नओवर के लिए एक नया मानदंड भी शामिल किया गया है। संशोधित परिभाषा 1 जुलाई, 2020 से लागू है। एमएसएमई की नई परिभाषा इस प्रकार है:

(करोड़ रूपए में)

श्रेणी	निवेश (से अधिक नहीं)	टर्नओवर (से अधिक नहीं)
सूक्ष्म	1	5
लघु	10	50
मध्यम	50	250

1.4 सरकार ने 02 जुलाई, 2021 से खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रीट वेंडर 09 अगस्त, 2021 तक खुदरा व्यापार के रूप में पंजीकरण

कर सकते हैं। खुदरा और थोक व्यापार एमएसएमई को लाभ केवल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र(पीएसएल) को उधार देने के लिए सीमित किया जाना है। नई परिभाषा की शुरुआत के साथ, सरकार ने एमएसएमई के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है।

एमएसएमई क्रेडिट के लिए संस्थागत ढांचा

1.5 भारत में एमएसएमई को उधार देने वाली संस्थाओं में रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंकों सहित निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) और माइक्रो फाइनेंस संस्थान सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एमएफआई) शामिल हैं।

1.6 इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) एमएसएमई को इक्विटी पूंजी प्रदान करने या मध्यस्थता करने में संलग्न संस्थाओं जैसे एसएमई एक्सचेंज, एंजेल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी को नियंत्रित करता है। सिडबी और मुद्रा जैसे शीर्ष संस्थान एमएसएमई को क्षेत्रगत सहायता प्रदान करते हैं और वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के दायरे में आते हैं। एमएसएमई मंत्रालय भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित नीतियों के निर्माण और अभिशासन के लिए सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है।

1.7 दो गारंटी निगमों अर्थात एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) और नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी लि. (एनसीजीटीसी) ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1.9 क्रेडिट गारंटी निगम (Corporations):

- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई):**

सीजीटीएमएसई (इसे मोटे तौर पर एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कॉर्पस प्रदान किया गया) एमएसई इकाइयों को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने के लिए ऋणदाताओं को क्रेडिट गारंटी सुविधाएं प्रदान करता है। सीजीटीएमएसई, पात्र सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा एमएसई को दिए गए संपार्श्विक मुक्त ऋण की 75% गारंटी देता है। सीजीएस से एमएसई को ऋण के प्रवाह में मदद मिलती है। अपनी स्थापना के बाद से, सीजीटीएमएसई ने 24.11.2021 तक 81.64 लाख एमएसई इकाइयों को `2.92 लाख करोड़ की गारंटी प्रदान की है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान (24.11.2021 तक), सीजीटीएमएसई ने 15.74 लाख एमएसई इकाइयों को `31,997 करोड़ गारंटी प्रदान की है।

हाल ही में सीजीटीएमएसई ने पीएम स्वनिधि योजना और अधीनस्थ ऋण योजना (CGSSD) के लिए दो नई गारंटी योजनाएं शुरू की हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत, सीजीटीएमएसई ने 25.71 लाख इकाइयों को `2,549 करोड़ की गारंटी प्रदान की है। इसके अलावा, दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी के तहत, सीजीटीएमएसई ने 24 नवंबर, 2021 तक 754 एमएसएमई इकाइयों को `81 करोड़ की गारंटी राशि प्रदान की है।

वित्त वर्ष / विवरण	वित्त वर्ष 2020		वित्त वर्ष 2021		वित्त वर्ष 2022 (24.11.21 तक)		संचयी (24.11.21 तक)	
	रु करोड़	संख्या	रु करोड़	संख्या	रु करोड़	संख्या	रु करोड़	संख्या
वित्त वर्ष में जारी की गयी गारंटियां	**45850**	**846650**	**38389**	**2283331**	**31997**	**1573536**	**292198**	**8163949**
बैंक								
-सामान्य सीजीएस	20109	291048	19429	336612	14975	150269	220560	4085175
-रिटेल ट्रेड	7252	164158	7712	240244	5644	142593	24292	635351
• हाइब्रिड संपार्श्विक	1141	4602	1572	5687	1643	5042	4622	16433
एनबीएफसी	17348	386842	8186	253049	8595	151463	40094	855082
पीएम स्वनिधि	-	-	1435	1447266	1114	1123888	2549	2571154
अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी			55	473	26	281	81	754

- **राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी कंपनी लि. (एनसीजीटीसी):**

एनसीजीटीसी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया योजना इत्यादि जैसे एमएसई क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के लिए कई क्रेडिट गारंटी योजनाएं संचालित करती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ईसीएलजीएस योजना एनसीजीटीसी द्वारा संचालित की गई है।

31 अक्टूबर, 2021 तक, एनसीजीटीसी ने 94.84 लाख सूक्ष्म इकाइयों को सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) के तहत `1.33 लाख करोड़ रुपये की गारंटी प्रदान की है। स्टैंड-अप इंडिया (सीजीएफएसआई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के तहत, 31 अक्टूबर, 2021 को संचयी गारंटी 38,346 थी, जिसमें गारंटी राशि `6,373 करोड़ थी। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत, 31 अक्टूबर, 2021 तक `2.61 लाख करोड़ की गारंटी राशि की 1.15 करोड़ गारंटियां प्रदान की गईं।

क्र.	विवरण	सीजीएफ़ (सूक्ष्म इकाइयाँ)	सीजीएफ़ (स्टैंड अप इंडिया)	ईसीएलजीएस	सीजीएसएमएफ़आई	एलजीएससीएएस
1	जारी की गई गारंटी (सं.)					
अ.	- 31/10/2021 तक	9484277	38346	11587765	262	59
ब.	- 31/10/2021 तक	8715679	37138	9537847	0	0
2	गारंटी के तहत कवर की गई कुल मंजूर राशि (` करोड़)					
अ.	- 31/10/2021 तक	132830	6373	261869	10000	212
ब.	- 31/10/2021 तक	121275	6159	234605	0	0
3	सक्रिय बकाया राशि	77270	3985	261869	10000	212
4	प्रस्तुत किए गए दावे	1397	56	26	0	0

- **आंशिक ऋण गारंटी योजना:**

इस योजना का उद्देश्य एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई की अस्थायी तरलता/नकदी प्रवाह असंतुलन को दूर करना है, ताकि उन्हें अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उनकी परिसंपत्तियों की संकटपूर्ण बिक्री का सहारा न लेना पड़ें और उनके द्वारा आगे उधार देने के लिए अतिरिक्त तरलता की उपलब्धता को सक्षम बनाया जा सके। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उच्च रेटिंग वाले पूल के साथ-साथ एनबीएफसी/एचएफसी के बांड/सीपी की खरीद के लिए गारंटी दी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (60 प्रस्ताव) द्वारा `11,769.58 करोड़ की जमा परिसंपत्तियों (पूल्ड एसेट्स) खरीदी गई हैं जिसके लिए इस योजना में गारंटी/स्वीकृत/निष्पादित की गई है। पोर्टफोलियो गारंटी के तहत, पीएसबी द्वारा खरीदे गए `22,217 करोड़ के बांड/सीपी के लिए गारंटी/ स्वीकृत/निष्पादित की गई है।

(ग) आंशिक ऋण गारंटी योजना:

इस योजना का उद्देश्य एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई की अस्थायी तरलता/नकदी प्रवाह असंतुलन को दूर करना है, ताकि उन्हें अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उनकी परिसंपत्तियों की संकटपूर्ण बिक्री का सहारा न लेना पड़े और उनके द्वारा आगे उधार देने के लिए अतिरिक्त तरलता की उपलब्धता को सक्षम बनाया जा सके। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उच्च रेटिंग वाले पूल के साथ-साथ एनबीएफसी/एचएफसी के बांड/सीपी की खरीद के लिए गारंटी दी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको (60 प्रस्ताव) द्वारा `11,769.58 करोड़ की जमा परिसपत्तियों (पूल्ड एसेट्स) खरीदी गई है जिसके लिए इस योजना से गारंटी/स्वीकृत/निष्पादित की गई है। पोर्टफोलियो गारंटी के तहत, पीएसबी द्वारा खरीदे गए `22,217 करोड़ के बांड/सीपी के लिए गारंटी/ स्वीकृत/निष्पादित की गई है।

2. एमएसएमई क्षेत्र पर महामारी का प्रभाव

चर्चा से जून (ति 1 वि.व.20-21) तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद संकुचन कोविड -19 महामारी के विषम प्रभाव और महामारी को नियंत्रित करने के लिए किए गए रोकथाम उपायों को दर्शाता (प्रतिबिंबित करता) है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भयानक वायरस का तेजी से प्रसार देखा गया, दो महीने के लिए एक अपूर्व लॉकडाउन और जून में भारत के अनलॉक होने के साथ ही तीव्र रिकवरी (तीव्रता से पुनः प्राप्ति) हुई। अर्थव्यवस्था के दो पूर्ण महीनों के लिए एक यथावत स्थिति के

साथ अपरिहार्य प्रभाव के रूप में पिछले वर्ष की तिमाही की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में 23.9 प्रतिशत का संकुचन था। एमएसएमई कोई अपवाद नहीं थे और वास्तव में यह आशंका थी कि उन पर प्रभाव [illegible] क्योंकि उनके पास ऋण-व्यवधान का प्रतिरोध करने के लिए धन का अभाव है।

व्यापक आधार पर समावेशी विकास को प्राप्त करने की दिशा में केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित उपायों के साथ-साथ संरचनात्मक सुधारों और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत नीतिगत उत्प्रेरणा द्वारा समर्थित एक निरंतर और सशक्त आर्थिक सुधार परिलक्षित हुआ। यद्यपि आर्थिक सुधार की गति को कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर द्वारा नियंत्रित किया गया था। पहली लहर के विपरीत, दूसरी लहर का प्रभाव राज्यों में अपनी शुरुआत में अतुल्यकालिक रहा है और इसके प्रसार में व्यापक है क्योंकि दूसरी लहर ग्रामीण परिक्षेत्रों में भी पहुंच गई।

चल रही तीसरी लहर ने पहले से ही समस्याग्रस्त एमएसएमई क्षेत्र में और वृद्धि की है। हालांकि विभिन्न आर्थिक डेटा ज्ञात हो जाने पर इसका पूरा प्रभाव केवल बाद में ही ज्ञात किया जा सकता है।

एमएसएमई को ऋण सहायता के लिए मुख्य स्कीमें

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख क्रेडिट स्कीमों और उन स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी (पीएमईजीपी):

1.12 पीएमईजीपी एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण तथा साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में परंपरागत कारीगरों तथा बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है। राज्य/जिला स्तर पर केवीआईसी, केवीआइबी, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) तथा कॉयर बोर्ड कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां हैं।

पीएमईजीपी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कार्यकलाप (पीएमईजीपी दिशा-निर्देशों की नकारात्मक सूची में इंगित कुछ को छोड़कर) को संपन्न किया जा सकता है। 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति / एसएचजी / सोसाइटी / ट्रस्ट एसएचजी https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

1.13 विनिर्माण क्षेत्र में परियोजनाओं की अधिकतम लागत 25 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र में यह 10 लाख रुपए है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए से ऊपर की तथा व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से ऊपर की लागत वाली परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए लाभार्थियों के पास कम से कम आठवीं पास की शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। परियोजना लागत में पूंजीगत व्यय तथा कार्यशील पूंजी शामिल है। परियोजना लागत में भूमि की लागत शामिल नहीं है। पीएमईजीपी के अंतर्गत निधियन स्तर और मार्जिन राशि (एमएस) सब्सिडी का सार नीचे दिया गया है:

पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणियां	लाभार्थी का योगदान (परियोजना लागत का)	सब्सिडी (परियोजना लागत) की दर	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई की अवस्थिति)		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला,भूत पूर्व सैनिक,दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि)	05%	25%	35%

1.14 यह स्कीम वर्ष 2008-09 में शुरू की गई थी तथा यह 11वीं और 12वीं योजना के दौरान जारी थी। 12वीं योजना के पश्चात ईएफसी द्वारा पीएमईजीपी स्कीम का मूल्यांकन किया गया तथा उसे 5500 करोड़ रुपए (जिसे बाद में बढ़ाकर 5650.14 करोड़ रुपए कर दिया गया) के परिव्यय के साथ दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च 2020 तक के लिए आगामी 3 वर्ष हेतु कुछ आशोधनों के साथ मौजूदा पीएमईजीपी को जारी रखने हेतु सीसीईए द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था।

1.15 इस स्कीम को व्यय विभाग के निर्देशों अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के लिए आगे जारी रखा गया है। मौजूदा और बेहतर प्रदर्शन करने वाली पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों को वर्ष 2018-19 से परियोजना लागत की 15% सब्सिडी (पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 20%) के साथ इस स्तरोन्नत करने के लिए 1.00 करोड़ रुपए तक के दूसरे ऋण की अनुमति प्रदान की गई थी। मौजूदा 1000 पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के स्तरोन्नयन के लिए द्वितीय ऋण हेतु 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपदिष्ट की गई थी।

कार्यनिष्पादन:

1.17 शुरुआत से लेकर दिनांक 31.10.2021 तक 17,360 करोड़ रुपए (बैंक ऋण सहित लगभग 60,000 करोड रुपए का कुल निवेश) की कुल मार्जिन राशि सब्सिडी के साथ कुल 7.20 लाख सूक्ष्म उद्यमों की सहायता की गई है जिससे अनुमानित 57 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

गत ईएफसी मूल्यांकन के परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान तथा उसके तदनंतर वर्षों में पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

(एमएम सब्सिडी करोड़ रुपए में)

वर्ष	आवंटित एमएम सब्सिडी	जारी की गई एमएम सब्सिडी	संवितरित एमएम सब्सिडी	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार
2017-18	1052.90	1052.90	1312.4	48398	387184
2018-19	2068.8	2068.80	2070	73427	587416
2019-20	2396.44	2396.44	1950.82	66653	533224
कुल	5518.14	5518.14	5333.22	188478	1507824
2020-21	1877.33	1877.33	2188.80	74415	595320
2021-22*	1900.00	1285.00	1143.74	36277	290216

*31.10.2021 तक

17 पीएमईजीपी में हाल ही में की गई पहल

(क) 1 करोड़ संभावित लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए जागरूकता अभियान- विभिन्न तकनीकी संस्थानों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों आदि तक आउटरीच पहुंच शुरू करना।

(ख) क्षेत्र विशिष्ट कम लागत वाली प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और संवर्धन के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों-आईआईटी, आदि के साथ उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करना।

(ग) पेशेवर तकनीकी और विपणन विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों /कार्मिकों को शामिल करके लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना।

(घ) गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, निर्यात, प्रमाणन इत्यादि पर उन्नत प्रशिक्षण।

(ङ) स्थानीय भाषाओं में स्कीम का व्यापक प्रचार।

(च) पीएमईजीपी अभ्यर्थियों के हैंड होल्डिंग सहायता के लिए एजेंसी को शामिल कर प्रयोग आधार पर व्यापार सुविधा केंद्र की व्यवस्था।

(छ) सभी आकांक्षी उद्यमियों के लिए 2 दिन की निःशुल्क ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण और विभिन्न व्यवसाय आइडिया (विचारों) पर रविवार को वेबिनारों का आयोजन।

(ज) बेहतर निगरानी और व्यवसायिक संबंधों के लिए देश भर में पीएमईजीपी इकाइयों की जियो टेगिंग।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई):

1.18 सीजीटीएमएसई की स्थापना 2000 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई), संपार्श्विक मुक्त/तृतीय-पक्ष गारंटी मुक्त ऋण के लिए ऋण गारंटी सहायता की सुविधा के लिए की गई थी। यह सुविधा विशेष रूप से संपार्श्विक के अभाव में दी जाती है। यह समाज और भौगोलिक क्षेत्रों के सहायता वंचित और कम सहायता पाने वाले क्षेत्रों, नई पीढ़ी के उद्यमियों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को पारंपरिक ऋणप्रदाताओं से वित्त उपलब्ध कराते हुए, जिनके पास कोलेट्रल सुरक्षा और/या तृतीय पक्ष की गारंटी के साथ अपने ऋण प्रस्ताव का समर्थन करने की कमी है, के लिए वित्त तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। एमएसई ऋण पर अधिक ध्यान देने के साथ, सीजीटीएमएसई ने हाल के दिनों में आंशिक रूप से कोलेट्रल मुक्त ऋण, खुदरा व्यापार को शामिल करने और एनबीएफसी, लघु वित्त बैंकों और सहकारी बैंकों जैसे अनछुए ऋणदाता श्रेणी के बीच अपनी स्कीमों के दायरे को विस्तारित करने के लिए परिवर्तनकारी सुधार किए हैं।

1.19 यह स्कीम नए और मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 200 लाख तक प्रति ऋण प्राप्तकर्त्ता इकाई को पात्र ऋणप्रदाता संस्थाओं द्वारा कोलेट्रल मुक्त ऋण सुविधा (सावधि ऋण और/अथवा कार्यशील पूंजी) को कवर करती है। प्रदान किया जाने वाला गारंटी कवर 50 लाख रुपए से 200 लाख रुपए तक (सूक्ष्म उद्यमों को 5 लाख रुपए तक के प्रदान किए जाने वाले ऋण के लिए 85%, महिलाओं स्वामित्व/संचालित एमएसई और पूर्वोत्तर क्षेत्र को सभी ऋण के लिए 80%) तक के ऋण एक्पोजर पर एक समान 75% की गारंटी प्रदान करता है। 1% वार्षिक की न्यूनतम गारंटी शुल्क के साथ बकाया ऋण राशि पर स्वीकृत ऋण सुविधा के लिए 1.80% वार्षिक वर्ष (खुदरा व्यापार के लिए 2%) संयोजित वार्षिक गारंटी शुल्क लगेगा।

1.20 ट्रस्ट का 2,500 करोड़ वाले प्रारंभिक कोष का अंशदान भारत सरकार (जीओआई) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 4:1 के अनुपात में किया गया था। ट्रस्ट का प्रतिबद्ध कोष

बढ़ाकर 7,500 करोड़ कर दिया गया है जिसमें भारत सरकार (जीओआई) का (7,000 करोड़ रुपए) और सिडबी (500 करोड़ रुपए) द्वारा अंशदान योगदान है। 30 नवम्बर, 2020 तक कोष का अंशदान पूरा कर दिया गया है जो 7,500 करोड़ रुपए है। क्रेडिट गारंटी स्कीम भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पूंजी के साथ स्वगंधारी है।

निष्पादन:

सीजीटीएमएसई ने पारंपरिक ऋणप्रदाताओं के माध्यम से एमएसई उद्यमियों को वित्त की सुविधा प्रदान करके एमएसई क्षेत्र को समर्पित सेवा के दो दशक पूरे कर लिए हैं। स्कीम के तहत, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 36,899 करोड़ रुपए की राशि की 8.35 लाख गारंटियों को अनुमोदन प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 (27.10.2021 तक) 27,864 करोड़ रुपए की राशि की 4.23 गारंटियों को अनुमोदन प्रदान किया है।

अक्टूबर, 2021 तक संचयी रूप से, सीजीटीएमएसई ने 2.87 लाख करोड़ रुपए की गारंटी कवरेज राशि से 55.58 लाख खातों को गारंटी प्रदान की है, जिससे यह एमएसआई के बीच गारंटी कार्यक्रम की स्वीकार्यता तथा लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान स्कीम का निष्पादन निम्न तालिका में दिया गया है:

वित्त वर्ष	गारंटियों की संख्या	गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)
2016-17	4,52,127	19,931.49
2017-18	2,63,195	19,065.90
2018-19	4,35,520	30,168.57
2019-20	8,46,650	45,851.22
2020-21	8,35,592	36,899.39
2021-22 (31-10-2021तक)	4,25,489	28,218.38

गारंटी आकस्मिक क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)/आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस):

124 सरकार 23.05.2020 से पूर्णतया गारंटीकृत आकस्मिक क्रेडिट लाइन के रूप में एमएसएमई को राहत उपाय के रूप में 3 लाख करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त वित्त पोषण कर आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) को कार्यान्वित करती है। 3 लाख करोड़ रुपए की समग्र सीमा को 4.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है।

125 वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के दौरान एमएसएमई मंत्रालय को 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, एमएसएमई मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी (एनसीजीटीसी) यह फंड संस्वीकृत और जारी है जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा प्रशासित आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

निष्पादन:

126 यह स्कीम बैंकों और एनबीएफसी को मूलधन और ब्याज पर 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान करती है। कोई गारंटी शुल्क और ताजा (नवीन) कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है। स्कीम के तहत प्रगति (दिनांक12.11.2021 तक) निम्नानुसार है:

श्रेणी	गारंटियों की संख्या	%	गारंटी राशि (करोड़ रुपए में)	%
सूक्ष्म	1,02,96,333	89	65,771.05	25.01
लघु	4,98,509	4	66,349.63	25.23
मध्यम	2,60,757	2	42,041.38	15.98
अन्य व्यावसायिक इकाइयां	5,37,069	5	88,828.99	33.78
कुल	12,96,335	100	2,62,991.05	100

उपर्युक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि एमएसएमई को 95% की कुल गारंटियां जारी की गई हैं जिसमें से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्रमश 89%, 4% और 2% हैं।

दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण

1.26 1 जून, 2020 को सरकार द्वारा 'दबावग्रस्त परिसंपत्ति कोष-दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण' के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का 'अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम' अनुमोदित की थी। यह स्कीम 24 जून, 2020 को दबावग्रस्त एमएसएमई के प्रवर्तकों को ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। प्रवर्तक एमएसएमई में आधी इक्विटी अथवा उप-ऋण के रूप में ऋण का समावेशन करेगा।

1.27 इस योजना का औचित्य यह है कि कई एमएसएमई उनके नियंत्रण से परे वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक कारणों से वित्तीय रूप से दबावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी दबावग्रस्त इकाइयों के एमएसएमई उद्यमी इस अतिरिक्त इक्विटी लाने में कठिनाई महसूस है और इससे इन इकाइयों के अस्तित्व गंभीर रूप से बाधित होता है। ऐसी इकाइयों में इक्विटी या उप-ऋण के रूप में पूंजी डालने से एमएसएमई को बनाए रखने और पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिलेगी जो या तो एनपीए बन गए हैं या एनपीए बनने के कगार पर हैं।

1.28 स्कीम के तहत, 36 बैंकों को सदस्य ऋण प्रदाता संस्थानों के रूप में पंजीकृत किया गया है और जिनमें से 18 ने क्रेडिट का लाभ लेना शुरू कर दिया है। इस स्कीम के लिए सिडबी द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है। दिनांक 23.11.2021 तक 81.47 करोड़ रुपए राशि की 754 गारंटियां जारी की गई हैं।

1.29 यह एक मांग-आधारित स्कीम है और ऋणकर्ताओं के एक विशिष्ट समूह के लिए है, जो स्कीम के कम सफलता का कारण हो सकता है। एमएसएमई मंत्रालय ने राज्य सरकारों, बैंकरों और उद्योग संघों से स्कीम के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए अनुरोध किया है। सीजीटीएमएसई, जो कार्यान्वयन एजेंसी है, ने भी इस संबंध में कई पहले की हैं। मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श बैठकों की श्रृंखला आयोजित की है। उनसे प्राप्त सुझावों के आधार पर, मंत्रालय ने स्कीम दिशा-निर्देशों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण जारी किए हैं। मंत्रालय ने स्कीम के 'परिचालन दिशा-निर्देशों' में कुछ अन्य संशोधनों का भी प्रस्ताव किया है। योजना को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

निधियों की निधि के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन [आत्म निर्भर भारत (एसआरआई निधि)]

130 सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ निधियों की निधि स्थापित किया है जो एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी वित्त पोषण सहायता प्रदान करेगा। निधियों की निधि मदर फंड और बहुमुखी डॉटर फंड के माध्यम से संचालित होगा। यह व्यवहार्य एमएसएमई के लिए इक्विटी वित्त पोषण प्रदान करेगा। यह स्कीम एमएसएमई को उनके आकार और क्षमता में विस्तार करने में मदद करेगी और उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीवद्ध होने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।

131 दिनांक 17.08.2021 को आत्म निर्भर भारत (एसआरआई) फंड की संशोधित प्रचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लि. (एनवीसीएफएल) को एसपीवी के रूप में मदर फंड को संचालित करने के लिए शामिल किया गया है। एसबीआई कैपिटल वेंचर्स लि. को निधि प्रबंधक/परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में चयनित किया गया है। खेतान एंड कंपनी को एसआरआई फंड के लिए विधिक सलाहकार के रूप में चयनित किया गया है। एसआरआई निधि के लिए निवेश नीति को अनुमोदित कर दिया गया है। एसआरआई फंड के कार्यान्वयन के लिए एमएसएमई मंत्रालय, एनएसआईसी, एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड और एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड के बीच अंशदान समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए अन्य पहलें

समाधान उप-पोर्टल के माध्यम से लंबित बकाया की निगरानी

आत्म निर्भर भारत पैकेज में सरकार ने घोषणा की थी कि सरकारी एजेंसियों और सीपीएसई द्वारा एमएसएमई के लंबित बकाया को 45 दिनों के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए।

इसे लागू करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने समाधान पोर्टल के भीतर एक विशेष उप-पोर्टल बनाया है जिसे 14 जून, 2020 को केंद्र सरकार के मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा एमएसई को बकाया और मासिक भुगतान की रिपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप मई, 2020 से 24.11.2021 तक सरकारी मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसयू द्वारा एमएसई विक्रेताओं को 77171.82 करोड़ रुपये के बकाये की मंजूरी दी गई है।

चैंपियंस पोर्टल:

1.33 माननीय प्रधानमंत्री ने 1 जून, 2020 को "उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और-सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग" (चैंपियंस) पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल एक एकीकृत, सशक्त, मजबूत और एक प्रौद्योगिकी संचालित मंच है जिसे देश के एमएसएमई की सहायता करने और बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।

एमएसएमई द्वारा सामना किए जाने सामने आने वाले मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए मंत्रालय ने दिल्ली में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष और विभिन्न राज्यों में 68 राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं।

23.11.2021 तक 40,508 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 99.50% (40,307) का जवाब दे दिया गया है।

वित्तीय सेवा विभाग और मुद्रा की योजना निम्नवत है :

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई):

1.34 पीएमएमवाई योजना 2015 में छोटे सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों को वित्त प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। मुद्रा, जो सिडबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, पीएमएमवाई के कार्यान्वयन के लिए पर्यवेक्षक एजेंसी है।

निष्पादन

1.35 पीएमएमवाई के तहत, 31 मार्च, 2021 तक, विभिन्न ऋणदाता संस्थानों द्वारा 20 करोड़ से अधिक ऋणकर्ता खातों को ₹ 14.15 लाख करोड़ की संचयी राशि मंजूर की गई है।

वित्तीय वर्ष	खातों की संख्या	मंजूर की गई राशि (रु.करोड़)	बकाया राशि (रु.करोड़)
2016-17	39701047	180528.54	138209.31
2017-18	48130593	253677.10	202113.28
2018-19	59870318	321722.79	260128.10
2019-20	62247606	337495.53	267243.58
2020-21	50735046	321759.25	284546.63
कुल	260684610	1415183.21	

स्टैंडअप इंडिया योजना (स्टैंड अप इंडिया)

1.34 इस योजना का उद्देश्य, महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को पहला नया (ग्रीनफील्ड) उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रत्येक बैंक शाखा को एसयूआई के तहत कम से कम एक महिला और एक एससी/एसटी उद्यमी को सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। योजना के तहत, 17,395 अनुसूचित जाति (एससी) लाभार्थियों को ₹1,768.50 करोड़, 5,890 अनुसूचित जनजाति (एसटी) लाभार्थियों को ₹ 575.58 करोड़ और 1,01,896 महिला लाभार्थियों को ₹11,451.71 करोड़ संवितरित किए गए हैं। (कुल 13795 करोड़ रुपये 1.25 लाख लाभार्थियों को संवितरित किए गए)

मुद्रा - शिशु ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन योजना:

1.37 आत्मनिर्भर भारत अभियान के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत भारत सरकार ने 'मुद्रा - शिशु ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन योजना' की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत सभी लंबित शिशु ऋण खातों को 2% ब्याज सबवेंशन प्रदान करना है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2020 तक एनपीए श्रेणी में नहीं हैं। यथा 23 नवंबर, 2021 तक ऋणदाता सदस्य संस्थाओं को ₹556.04 करोड़ प्रदान किए गए जिससे 3.25 करोड़ उधारकर्ता लाभान्वित हुए।

स्टार्टअप्स के लिए निधियों की निधि:

1.38 सरकार ने वैकल्पिक निवेश निधियों में योगदान के लिए सिडबी के अंतर्गत स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) की स्थापना की है जो एफएफएस के योगदान से कम से कम दोगुना निवेश भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्टअप्स में करेगा। एफएफएस का उद्देश्य स्टार्टअप तक इक्विटी वित्तपोषण के प्रवाह को बढ़ाना है। 23 नवंबर 2021 तक एफएफएस के तहत 75 एआईएफ को ₹5,894 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता मंजूर की गई है। योजना के अंतर्गत ₹1,998 करोड़ का संवितरण (निधि आहरण) किया गया है, जिससे 517 स्टार्ट-अप्स में लगभग ₹7,642 करोड़ रुपए के निवेश को उत्प्रेरित करने में मदद मिली है और लगभग 2 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। स्टार्टअप में कुल निवेश, एफएफएस के योगदान के निर्धारित दोगुने के मुकाबले 3.82 गुना हुआ है।

23 नवंबर, 2021 तक का स्नैपशॉट / (संचयी) उपलब्धियां

स्टार्टअप्स के लिए निधियों की निधि (एफएफएस)		
विवरण	राशि (रु. करोड़)	संख्या
कोष	10,000	--
प्रतिबद्धताएँ (मंजूरियां)	5,894	75 एआईएफ
संवितरण	1,998	54 एआईएफ
स्टार्ट-अप्स में कुल निवेश और स्टार्ट-अप्स की संख्या	7,642	517 स्टार्ट-अप्स
कुल प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन	~2,00,000	

सिडबी क्लस्टर विकास निधि योजना:

1.39 यू के सिन्हा समिति की सिफारिश के अनुसार क्लस्टरों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को कम लागत वाली उधार योजना उपलब्ध कराने के लिए सिडबी क्लस्टर विकास निधि योजना की शुरुआत की गयी है। सिडबी ने सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में क्लस्टर विकास में आगे लेने के लिए राज्य सरकारों / राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संगठनों को समर्थन देने के लिए ₹6,990 करोड़ रुपये का सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड शुरू किया है। इस योजना के तहत, छह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (तमिलनाडु, असम, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार और जम्मू-कश्मीर) को सैद्धांतिक रूप से ₹2,297 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता प्रदान की गई है। योजना के सुचारू कियान्वयन के लिए बैंक ने 11 राज्यों में पीएमयू स्थापित किए हैं। सॉफ्ट इंटरवेंशन के तहत, 50 क्लस्टरों के कौशल और गैर-वित्तीय पहलुओं (कौशल, विपणन, प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, ऊर्जा दक्षता आदि) को कवर करते हुए डायग्नोस्टिक स्टडीज का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, 5 क्लस्टर [लकड़ी के पर्नीचर (जोधपुर, राजस्थान), चमड़ा (अम्बत्तूर, तमिलनाडु), कपड़ा (संबलपुर, ओडिशा), पर्यटन (जम्मू और कश्मीर) और नवोन्मेषी स्टार्ट-अप (दिल्ली / एनसीआर) को बीडीएस बाजार विकास के लिए अपनाया गया है। कौशल संह ऋण सह विपणन से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के 10 ओडीओपी जिलों को अंकीकृत किया गया है और बिहार में 4 ऊर्जा दक्षता क्लस्टरों को अंतीकृत किया गया है।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने प्रधानमंत्री फुटकर विक्रेताओं की आत्मनिर्भर निधि योजना (प्रधानमंत्री स्व- निधि)

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने दिनांक 01.06.2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान गंभीर रूप से प्रभावित फुटकर विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को पुनः शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का कॉलेटरल मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण देने की सुविधा देने हेतु, प्रधानमंत्री फुटकर विक्रेताओं की आत्मनिर्भर निधि योजना (प्रधानमंत्री स्व- निधि) की शुरुआत की है। इसके अलावा, समय पर अथवा शीघ्र पुन: भुगतान करने पर,विक्रेता दूसरी और तीसरी किस्तों में बढ़े हुए क्रमशः 20 हजार और 50 हजार कार्यशील पूंजी ऋण के लिए पात्र होंगे।

दिनांक 20.12.2021 तक 43.56 लाख पात्र आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। इनमें से 31.48 लाख ऋण अनुमोदित किए जा चुके हैं और 2,749 करोड़ रुपए की राशि से 27.36 लाख ऋण फुटकर विक्रेताओं को संवितरित किए जा चुके हैं। दिनांक 09.08.2021 से प्रभावित, फुटकर विक्रेताओं को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यम पोर्टल पर ट्रेडर्स के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है।

2.42 समिति ने निम्नलिखित मुद्दों पर जोर देते हुए इस विषय पर विचार-विमर्श किया:

(क) एमएसएमई क्षेत्र में सूचना अंतर

(ख) एमएसएमई क्षेत्र को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना

(ग) एमएसएमई क्षेत्र में ऋण अंतर

(घ) एमएसएमई को विलंबित भुगतान और समाधान

(ङ) एमएसएमई के वित्तपोषण में एनबीएफसी की भूमिका- सिडबी द्वारा एनबीएफसी का थोक वित्तपोषण

उपर्युक्त मुद्दों पर बाद के अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है।

अध्याय - II

एमएसएमई क्षेत्र में जानकारी की कमी

2.1 एमएसएमई को पर्याप्त और समय पर धन प्रदान करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक इस क्षेत्र के बारे में विश्वसनीय और समेकित आंकड़ों की कमी है। वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के अनुसार, देश में 6.34 करोड़ रुपये अनिगमित गैर-कृषि एमएसएमई हैं जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसका अभिप्राय यह है कि सरकार अभी भी 5-6 साल पहले किए गए एक सर्वेक्षण के माध्यम से इसे प्रदान किए गए एमएसएमई डेटा के अनुरुप काम कर रही है। इससे भी बदतर यह बात है कि वर्ष 2017 के बाद से, यहां तक कि इन एमएसएमई से जुड़ी संख्याओं को संशोधित भी नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत ने इन पांच वर्षों में किसी भी नए उद्यमी या स्ट्रीट वेंडर को नहीं जोड़ा है, भले ही, एमएसएमई की परिभाषा को वर्ष 2020 में संशोधित किया गया है।

2.2 एमएसएमई क्षेत्र पर अद्यतन आंकड़ों की कमी के बारे में पूछे जाने पर वित्तीय सेवा विभाग ने अपने साक्ष्य के बाद के उत्तर में निम्नानुसार उल्लेख किया:

"एमएसएमई सर्वेक्षण 5 से 6 वर्ष पहले किया गया था और इस बीच एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव हुआ था। इसे ध्यान में रखते हुए, एक नए सिरे से सर्वेक्षण/जनगणना करने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र के लिए ऋण आवश्यकता के आकलन के साथ-साथ देश में एमएसएमई की संख्या का अनुमान लगाया जा सके। वर्ष 2006-07 के लिए अंतिम अखिल भारतीय एमएसएमई जनगणना वर्ष 2009 में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा की गई थी और 2011-12 में प्रकाशित की गई थी।"

2.3 विभिन्न संगठनों द्वारा इस समिति को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 70% से अधिक उद्यम अभी भी औपचारिक अर्थव्यवस्था का भाग नहीं हैं और अनौपचारिक संस्थाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसका यह भी अर्थ है कि सरकारी ऋण योजनाओं से केवल कुछ ही

एमएसएमई को लाभ हो रहा है और उनके भी अनेक मुद्दों हैं। एमएसएमई जो औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से उधार नहीं ले रहे हैं वे या तो मालिक या व्यक्तिगत नाम से उधार ले रहे हैं वे या तो परिवार, मित्रों या असंगठित वित्तपोषकों पर निर्भर हैं। असंगठित वित्त बाजार से उधार लेना महंगा है और साथ ही एमएसएमई के विकास को सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त भी नहीं है।

2.4 इस पृष्ठभूमि में, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उद्यम पंजीकरण के नाम से विख्यात, उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च करके दिनांक 01 जुलाई, 2020 से उद्यमों के पंजीकरण की एक नई प्रक्रिया शुरू की गई थी।

उद्यम पंजीकरण पोर्टल

2.5 पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.09.2015 को उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) पोर्टल की शुरुआत की गई थी जिसने ईएम-I और II दायर करने की पूर्ववर्ती प्रक्रिया को प्रतिस्थापित किया था। दिनांक 18.09.2015 से 30.6.2020 तक पंजीकृत कुल एमएसएमई 1,02,31,452 थे जिसमें से 89,60,472 (87.58 प्रतिशत) सूक्ष्म, 12,21,105 (11.93 प्रतिशत) लघु और 49,875 (0.49 प्रतिशत) मध्यम उद्यम थे। यूएएम की वैधता को बढ़ाकर दिनांक 31.12.2021 कर दिया गया है।

2.6 एमएसएमई की संशोधित परिभाषा के अनुसार एमएसएमई के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 01.07.2020 को उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल (https://udyamregistration.gov.in/) नामक एक नया पोर्टल शुरू किया था। यह पंजीकरण प्रक्रिया निःशुल्क, कागज रहित और डिजिटल है। दिनांक 25.11.2021 तक की स्थिति के अनुसार पोर्टल पर 58,93,495 उद्यम पंजीकृत हुए थे जिनमें से 57,67,077 वर्गीकृत इकाइयां [54,40,604 सूक्ष्म, (94.3 प्रतिशत), 2,93,516 लघु (5.1 प्रतिशत) तथा 32,957 मध्यम (0.6 प्रतिशत)] थीं।

2.7 सरकारी खरीद में एमएसएमई की सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल के साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का निर्बाध लिंक मुहैया कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह पोर्टल आयकर, जीएसटी तथा ट्रेड्स पोर्टलों के साथ भी संबद्ध है।

2.8 सरकार ने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य जीएसटीआईएन की आवश्यकता से भी छूट प्रदान की है।

उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए एमएसएमई को प्रदान किए जाने वाले कुछ प्रोत्साहन निम्नानुसार है:

(क) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों का लाभ प्राप्त करना;

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों उदाहरणस्वरूप हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड आदि की स्कीमों का लाभ प्राप्त करना;

(ग) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान किए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के लाभ को प्राप्त करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 अगस्त, 2020 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें पीएल श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण को उद्यम पंजीकरण से संबद्ध किया गया है।

2.9 एमएसएमई मंत्रालय के साथ 30 नवंबर, 2021 को हुई समिति की बैठक के दौरान, जब माननीय सभापति ने एमएसएमई के लिए ऑनबोर्डिंग उद्यम पोर्टल के लाभों के बारे में पूछा, तो एमएसएमई मंत्रालय के सचिव श्री बी.बी स्वैन ने निम्नानुसार बताया:

"महोदय, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा लाभ यह है कि उन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों वाले ऋण मिलना शुरू हो गया है, जो निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ है। समिति के एक माननीय सदस्य ने व्यापार के संबंध में मुद्दा उठाया कि जब हमने खुदरा व्यापार और थोक व्यापार को इसमें शामिल किया है तो इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है? इसे हाल ही में शुरू किया गया था और यह संख्या अब लगभग *5,00,000* है। इसलिए, हमने उन्हें उद्यम में पंजीकृत करना शुरू कर दिया है, और *5,00,000* लोगों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया है, जो पहले से ही थोक और खुदरा के ट्रेडिंग गेट के तहत पंजीकृत हैं। असल में, इसका मतलब है कि प्राथमिकता क्षेत्र उधार उनके लिए फिर से आकर्षक है, जो उनके लिए खुला है। हम सभी कार्रवाई करेंगे। जाहिर है, हम इस चिंता को समझते हैं कि यह आंकड़ा बहुत अधिक होना चाहिए। मुझे आशा है, कि यह पांच पर भी नहीं रुकेगा। हम इस संबंध में सभी कार्रवाई करेंगे"

उद्यम सहायता प्लेटफ़ॉर्म (यू ए पी)

2.10 सिडबी ने एक ऐसी परियोजना का प्रस्ताव किया है जिसमें एमएसएमई के औपचारिककरण का आधार बनने के लिए एमएसएमई के उद्यम पोर्टल द्वारा प्रदान किए गए 'उद्यम पंजीकरण संख्या (यूआरएएन)' की परिकल्पना की गई है। यूआरएन को एमएसएमई के लिए सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुंच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रक्रिया सुधार, बाजार की जानकारी, अधिक वित्तपोषण विकल्पों आदि के माध्यम से विकास और विकास के लिए नए अवसरों के लिए दरवाजे खोलने वाला आधार बनाए जाने के लिए विकसित किया जाना चाहिए।

2.11 परियोजना का समर्थन करने के लिए, सिडबी अभिनव डिजिटल प्रक्रियाओं और एकीकरण के साथ एक 'उद्यम सहायता प्लेटफ़ॉर्म (यू ए पी)' विकसित करेगा। यूएपी, यूडीएएम पोर्टल पर एमएसएमई (अनौपचारिक

उद्यमों सहित जो देश में 95% से अधिक एमएसएमई का गठन करते हैं) के व्यापक पंजीकरण द्वारा तेजी लाने में मदद करेगा। सिडबी सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई), गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, बैंकों, फिनटेक, आदि के एक विशाल ईकोसिस्टम से निकटता से जुड़ा हुआ है जो इस प्रक्रिया का समर्थन कर सकते हैं। सिडबी के पास सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी), एसएमई रेटिंग एजेंसी (एसएमईआरए), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि) आदि जैसे गहरे डेटा बेस तक भी पहुंच है, जिसका इस परियोजना के लिए लाभ उठाया जाएगा।

2.12 तत्पश्चात्, पंजीकृत संस्थाओं को उद्यमी मित्र के स्थापित प्लेटफॉर्म मंच का उपयोग करके विभिन्न स्तरों (केन्द्र, राज्य और नगरपालिका) पर देश के सांविधिक और शासन ढांचे तक पहुंच प्रदान की जा सकती है, इस प्रकार उन्हें पंजीकृत किया जा सकता है और उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र बनाया जा सकता है। उन्हें जेम (जीईएम), ट्रेडस (टीआरईडीएस), इनवॉइसमार्ट, अन्य डिजिटल मार्केटप्लेस आदि जैसे प्लेटफार्मों सहित तेजी से उभरते डिजिटल इकोसिस्टम से भी निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकता है। एमएसएमई को केवाईसी और क्रेडिट रेडी बनाया जा सकता है ताकि उन्हें अपने विकास के विभिन्न चरणों में वित्तीय सेवाओं के विभिन्न विकल्पों तक पहुंच की अनुमति मिल सके।

2.13 **अपने उपरोक्त परियोजना के लिए, सिडबी ने एमएसएमई मंत्रालय से निम्नलिखित सहायता मांगी है:**

(क) *उद्यम असिस्ट प्लेटफ़ॉर्म के लिए सिडबी को प्राधिकार* : सिडबी ने एमएसएमई मंत्रालय से एमएसएमई मंत्रालय के लिए एक "प्राधिकृत एजेंसी" के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक प्राधिकार की मांग की है ताकि यूएपी के माध्यम से एमएसएमई का पंजीकरण किया जा सके और यूएपी पर नामित एजेंसियों (डीए) की नियुक्ति के लिए सिडबी को प्राधिकार प्रदान किया जा सके।

(ख) यूआरपी के साथ उद्यम असिस्ट प्लेटफ़ॉर्म का एकीकरण: सिडबी ने दोनों पक्षों पर निर्बाध डेटा अंतरण को सक्षम बनाने के लिए दो-तरफ़ा एपीआई के माध्यम से यूआरपी के साथ उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के एकीकरण के लिए एमएसएमई मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन मांगा है।

(ग) <u>मंच विकास के लिए वित्तीय सहायता और डीए को प्रोत्साहन</u>: एमएसएमई मंत्रालय और सिडबी के उद्यम विंग द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट हेतु एमएसएमई मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। सिडबी असिस्ट पोर्टल को विकसित करने और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन की दिशा में खर्च के लिए अन्य सहायता के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

2.14 21.12.2021 को आयोजित सिबिल के प्रतिनिधियों के साथ समिति की बैठक के दौरान, जब समिति के एक माननीय सदस्य ने सूचना के त्रिकोण (ट्रायनगुलेसन) के बारे में पूछताछ की और उनसे पूछा कि वे सूचना की उपलब्धता और ऋण आवेदनों की मंजूरी और वितरण के बीच ट्रायनगुलेसन क्यों नहीं करते हैं, श्री राजेश कुमार, प्रबंध निदेशक और सीईओ, सिबिल ने निम्नानुसार बताया:

" पूरे 6.5 करोड़ एमएसएमई में से, डिजिटल टचपॉइंट्स क्या हैं, जो हर किसी के पास है? निश्चित रूप से, छोटे व्यापारियों के पास जीएसटी नहीं होगा या वे जेम सहाय में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इन दिनों, हम सभी यूपीआई ऐप का उपयोग करके स्ट्रीट फूड के लिए भी बहुत छोटा भुगतान कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वहां एक डिजिटल टचपॉइंट है। इसलिए, हम भुगतान के डेटा को देखना शुरू कर सकते हैं। क्रेडिट एनालिस्ट के तौर पर मैं देख सकता हूं कि यूपीआई के जरिए कितना ट्रांजेक्शन होता है और रकम, ट्रांजैक्शंस की संख्या आदि क्या है। हम उस के आसपास क्रेडिट सीमा के लिए छोटे ऋण डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं। फिर, यदि आप किसी छोटी सी दुकान पर भी जाते हैं, तो वे कुछ संपत्ति कर या बिजली बिल आदि का भुगतान कर रहे हैं। यदि हम अगले स्तर पर जाते हैं जहां यदि उनके पास कम से कम दस कर्मचारी हैं, तो वे ईएसआईसी फाइल करते हैं। यदि वहाँ 20 से अधिक कर्मचारी हैं, तो वे ईपीएफ फाइल करते हैं। इसलिए, मैं जो प्रस्ताव करना चाहता हूं वह यह है कि यदि हम इस पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं और उन्हें उनके डिजिटल टचपॉइंट्स के आधार पर डेटा में बांटते हैं, और जब हम त्रिकोणायन कहते हैं तो हमारा यही मतलब है। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नियमित रूप से ईपीएफ दाखिल कर रहा है, लेकिन यदि उसके पास उपभोक्ता ब्यूरो के साथ एक अच्छा दोपहिया ऋण है, तो हम दोनों को एक साथ रख सकते हैं और ऋणदाता को विश्वास दे सकते हैं। हमने मानसिकता के बारे में बात की। यह कुछ कुछ सेल्फ फीडिंग चक्र जैसा रहा है। उधारदाताओं के पास पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त विश्वसनीय जानकारी नहीं है। यह

कुछ कुछ सेल्फ फीडिंग चक्र जैसा बन गया है। दूसरी ओर, कुछ एमएसएमई इसे सार्थक नहीं समझते हैं कि बड़े बैंकों के साथ उनके प्रयास में बहुत सारी बाधाएं आएंगी।. वे एनबीएफसी के माध्यम से स्थानीय ऋणदाता के पास जाना पसंद करेंगे। हमने यह भी कहा कि छोटे एमएसएमई पर भारी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। हमारा प्रस्ताव यह होगा कि यदि यह जानकारी उपयोगिता आदि के बारे में उपलब्ध कराई जाती है, जिसका मैंने ब्यूरो स्तर पर पहले उल्लेख किया था, तो हम सभी डेटा को एक साथ रख सकते हैं जहां हम उस जानकारी को साझा करने का बोझ उन छोटे एमएसएमई पर नहीं डालते हैं। हमेशा, किसी भी बैंक या ऋणदाता से किसी भी ऋण या सुविधा प्राप्त करने के बारे में सबसे कठिन हिस्सा वही कई चीजें होती हैं, जिन्हें आपको प्रस्तुत करना होता है। अब समय बदल गया है। हमें प्रत्येक व्यक्ति से पे पर्स के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि हम ऋण के लिए आवेदन करते समय देते थे। यह राइट कन्सेन्ट आर्किटेक्चर के साथ केंद्रीय डेटाबेस में उपलब्ध है। यदि हमारे पास यह नियमित संस्थाओं के साथ है, तो हमें उन एमएसएमई को परेशान नहीं करना चाहिए। इसे एक साथ रखना बहुत आसान है। कर भारीपन के बारे में बात करते हुए, मुझे लगता है कि बहुत ही सरल योजना है जहां वे इसे लगभग एक नियमित बैंक खाते की तरह चलाते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कौन सी सीमाएं मिल रही हैं; वे उसे कितना नीचे ले गए हैं। बाकी सभी कार्य केंद्रीय रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि यह डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध है।यदि हम आज की तरह यूपीआई साइट पर या खोज इंजन में बहुत आसान-से-उपयोग किए जाने वाले ऐप बनाते हैं, तो हम निश्चित रूप से इसे आसान बना सकते हैं यदि हम केंद्रीय स्तर पर यह जानकारी प्राप्त करते हैं और उन्हें उपलब्ध डिजिटल जानकारी के आधार पर छोटी सुविधाओं का उन्हें आनंद लेने देते हैं।"

2.15 समिति के समक्ष उपस्थित विभिन्न संगठनों/संघों/बैंकों ने एमएसएमई क्षेत्र में सूचना अंतराल को दूर करने के लिए मौजूदा तंत्र में कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है और इस अंतर को पाटने के उपायों का सुझाव दिया है। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

(क) <u>एचडीएफसी बैंक</u>

(i) एमएसएमई का यूआरसी पंजीकरण बढ़ाना: 30.01.2022 की स्थिति अनुसार 6.34 करोड़ एमएसएमई में से, केवल 69 लाख वर्तमान में उद्यम पोर्टल के तहत पंजीकृत हैं। इसे काफी बढ़ाने की जरूरत है।

एमएसएमई अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट या सलाहकारों पर निर्भर हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके लिए लागत और उनके व्यावसायिक समय की भागीदारी होती है। चूंकि बैंक इन ग्राहकों के लिए ऋणदाता हैं, इसलिए उनकी सहमति से एमएसएमई को यूआरसी (उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र) के लिए पंजीकृत करने की अनुमति दी जा सकती है, जिससे एमएसएमई की औपचारिकता बढ़ेगी और उन्हें एमएसएमई के लिए उपलब्ध लाभों का लाभ उठाने का अवसर भी मिलेगा। बैंकों के पास दस्तावेज़ प्रमाण के साथ सभी आवश्यक जानकारी है।

(ii) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा समर्थित बहुत छोटे ग्राहक समूह या सूक्ष्म मानदंड के तहत आने वाले छोटे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को यूआरसी के लिए पंजीकरण करना मुश्किल लगता है और इसलिए वे एमएसएमई लाभों से वंचित हैं। 24 लाख एसएचजी खातों को यूआरसी के अभाव में एमएसएमई से अवर्गीकृत किया गया था। इसलिए एसएचजी समर्थित फंडिंग को डिफ़ॉल्ट रूप से सूक्ष्म उद्यमों के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

(iii) बैंकों को ग्राहक से एकमुश्त सहमति के माध्यम से जीएसटी, आयकर (आई-टी), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) जैसे सरकारी डेटा पोर्टल तक पहुंच प्रदान की जा सकती है जो ऋण की समाप्ति तक वैध है। वर्तमान में जानकारी प्राप्त करने के लिए हर 15 दिनों में सहमति की आवश्यकता होती है। जीएसटी और आई-टी पोर्टल से बैंकों को एकमुश्त सहमति आधारित सूचना प्रवाह सूक्ष्म उद्यमों के लिए जीएसटी आधारित और नकदी प्रवाह आधारित उधार उत्पादों का समर्थन करेगा।

(iv) इसके अलावा, कुछ ग्राहकों के पास एक ही इकाई के तहत कई जीएसटी नंबर होते हैं जिनके लिए एकाधिक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सहमति की आवश्यकता होती है। एमएसएमई ग्राहकों के लिए इसे प्रबंधित करना मुश्किल है क्योंकि वे आम तौर पर सीए या सलाहकारों पर अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्भर होते हैं। इकाई के प्रत्येक जीएसटी नंबर के बजाय पैन स्तर पर जीएसटी डेटा डाउनलोड सक्षम किया जा सकता है जो प्रस्तावों पर बेहतर कॉल लेने के लिए बैंक को समग्र सूचना प्रवाह को सुगम बनाएगा। जीएसटी, आई-टी पोर्टल और एमसीए से सूचना का प्रवाह एमएसएमई के विकास का समर्थन करने के लिए बैंकों द्वारा ग्राहकों को प्री-अप्रूव्ड एन्हांसमेंट या टॉप अप लोन सक्षम करेगा।

(v) ऋण देने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, वितरण को शीघ्र करने हेतु डिजिटल विकल्प प्रमुख भूमिका निभाएंगे। वीडियो ग्राहक सूचना फ़ाइल (सीआईएफ) के माध्यम से डिजिटल केवाईसी के विकल्प

को साझेदारी फर्मों और निजी लिमिटेड कंपनियों के रूप में गठित व्यावसायिक संस्थाओं को खाता खोलने और ऋण देने की भी अनुमति दी जाए।

)ख) <u>एक्सिस बैंक</u>

(i) एमएसएमई के लिए जीएसटी सूचना एमएसएमई उधारकर्ताओं के अंडरराइटिंग और क्रेडिट मूल्यांकन के लिए सूचना का एक अत्यंत विश्वसनीय और उपयोगी स्रोत है। वर्तमान में यह डेटा एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से उपलब्ध है, जिससे ऋणदाता उधारकर्ता की सहमति से जीएसटीएन से जानकारी प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यह प्रत्येक उदाहरण के लिए बार-बार करने की आवश्यकता है। इसलिए ऋणदाता के लिए जीएसटी की जानकारी तक निरंतर आधार पर इस पद्धति का उपयोग करना उधारकर्ता के लिए बोझिल हो जाता है। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, एक नई प्रक्रिया विकसित की जा सकती है जिसमें एमएसएमई उधारकर्ता "स्थायी निर्देश" सहमति प्रदान कर सकता है, जो ऋणदाता को जीएसटीएन से नियमित समय सीमा पर जीएसटी की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देगा, जब तक कि स्थायी निर्देश सहमति वैध रहती है।

(ii) एमएसएमई उधारकर्ता या तो प्रोपराइटरशिप संस्थाएं हैं या पार्टनरशिप फर्म हैं। हालांकि वे अपनी रिटर्न दाखिल करते हैं और रिटर्न भरते समय अपनी बैलेंस शीट/पी एंड एल जमा करते हैं, बैंकों को अपनी ऋण सुविधाओं को संसाधित करते समय इस जानकारी तक पहुंच उपलब्ध नहीं है (प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के विपरीत जहां एमसीए वेबसाइट में जानकारी अपडेट की जाती है)। यहां, उद्यम पोर्टल का उपयोग आईटी रिटर्न तक पहुंचने और एपीआई का उपयोग करके गणना दस्तावेज का समर्थन करने के लिए उधारकर्ता की सहमति से किया जा सकता है। यह उधारकर्ता को उनके ऋण अनुरोधों को संसाधित करने के लिए ऋणदाता/बैंक को सुविधाजनक और डिजिटल तरीके से प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा।

(iii) क्रेडिट तक तेजी से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सरकार एक केंद्रीय भंडार बनाने पर विचार कर सकती है जिसमें एक ही स्थान पर सभी ग्राहक दस्तावेज शामिल हों, जिन्हें ग्राहक प्रमाणीकरण के साथ एक्सेस किया जा सकता है - इनमें आईटीआर/जीएसटी/उपयोगिता/आधार/पैन शामिल हो सकते हैं।

(iv) विभिन्न साइटों में लॉग इन किए बिना कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई), यूआरसी, जीएसटीएन, ई-वे-बिल, पैन कार्ड इत्यादि उत्पन्न करने के लिए एमएसएमई के लिए एक सिंगल विंडो/साइन-ऑफ प्लेटफॉर्म उपलब्ध होना चाहिए।

(ग) <u>श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड</u>

- एमएसएमई के लिए ऋण प्रवाह में सबसे बड़ी बाधा निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय जानकारी /डाटा का नहीं होना है
- कोई व्यवसाय पंजीकरण नहीं
- सीमित वित्तीय जानकारी/लेखाजोखा, जैसा कि 96 प्रतिशत एमएसएमई मालिकी वाली होती है और ये अलग से व्यवसाय का लेखाजोखा नहीं रखते है
- लेनदेन इतिहास की जानकारी नहीं - ब्यूरो के पास इनका पूर्व का कोई ऋण इतिहास नही, नकद प्रचलन के साथ बैंकिंग चैनल का सीमित उपयोग
- एमएसएमई के लिए एक राष्ट्रीय क्रेडिट स्कोर का गठन हो - जैसे समान पहचान नंबर -आधार अथवा आरटीजीएस /एनईएफटी की सरकार प्रदत्त भुगतान सुविधा और अब यूपीआई, जिसने भुगतान में क्रांति ला दी है, सरकार को एमएसएमई के लिए एक राष्ट्रीय क्रेडिट स्कोर विकसित करने की जरुरत है, विशेषकर उनको ध्यान में रखकर जो मलिकी की है या अभी भी अनौपचारिक व्यवसाय के बतौर है। फिर यह क्रेडिट स्कोरिंग प्लेटफार्म अनेक बैंको /एनबीएफसी /फिनटेक को नए ऋण समाधानों को लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

2.16 आम जनता और विशेष रूप से विशेषज्ञों/हितधारकों/संगठनों से इस विषय पर प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में विचार/सुझाव प्राप्त हुए, जो 31 दिसंबर, 2021 को प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे, जिनकी सूची नीचे दी गई है:

(क) <u>पैरी एंड कंपनी (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स), नोएडा</u>

एमएसएमई पोर्टल पर एमएसएमई संस्थाओं का केंद्रीकृत डेटा: एमएसएमई संस्थाओं के लिए एक केंद्रीकृत डेटा बेस होना चाहिए, जो एमएसएमई संस्थाओं द्वारा विभिन्न सरकारी एजेंसियों और बैंकों को प्रस्तुत की जाने वाली समान जानकारी के कारण एमएसएमई संस्थाओं के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों के बहुत समय और धन की बचत करेगा। यदि इस प्रकार का डेटा एमएसएमई पोर्टल पर उपलब्ध है, तो सरकारी संस्थाएं उस एमएसएमई पोर्टल से एमएसएमई का डेटा निकाल सकती हैं और अपनी ओर से

आवश्यक कार्य कर सकती हैं। उस स्थिति में एमएसएमई संस्थाएं जो सरकारी निविदाओं के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें केवल अपना जीएसटी या एमएसएमई पंजीकरण संख्या और वित्तीय कोटेशन देना होगा।

(ख) मनोज लाल, मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)

भारत में ऐसी कोई संस्था या तंत्र नहीं है जो उन व्यवहार्य परियोजनाओं के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है जिन्हें बैंक या अन्य संस्थान वित्त देने के इच्छुक हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और क्षेत्रों, स्थलाकृति और सरकार के दृष्टिकोण के आधार पर, देश भर में ऐसे संस्थान होने चाहिए जो लगातार परियोजनाओं का डेटाबेस बना और अद्यतन कर सकें जो प्रत्येक जिले में स्थापित किया जा सके। एक निश्चित समय में कम से कम एक लाख परियोजनाएं होनी चाहिए ताकि युवा या मौजूदा उद्यमी, एमएसएमई उन क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने की योजना बना सकें। यह वित्तीय संस्थानों के वसूली प्रयासों को कम करेगा और क्रेडिट प्रवाह दोनों तरह से बढ़ेगा और उत्पादों/सेवाओं के बाजार का भी ख्याल रखेगा।

अध्याय – तीन

एमएसएमई क्षेत्र को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना

3.1 आईएसपीआईआरटी फाउंडेशन के अनुसार, भारतीय वित्तीय प्रणाली में चल निधि की कमी नहीं है; इसमें कम लागत, कम टिकट आकार और कम जोखिम पर एमएसएमई को ऋण वितरित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र का अभाव है। वर्तमान में बैंकों और एनबीएफसी सहित वित्तीय संस्थानों द्वारा अग्रेषित अधिकांश ऋण संपार्श्विक सहित हैं। ये छोटे उधारदाता कई बार संपार्श्विक अपेक्षा को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एमएसएमई की रिपोर्ट पर यूके सिन्हा विशेषज्ञ समिति के अनुसार, गारंटी के रूप में पेश करने के लिए संपत्ति या परिसंपत्तियों की कमी के कारण आज औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल नहीं किए गए छोटे व्यवसायों को अभी भी छोटे आकार के ऋण उपलब्ध करवाए जाने चाहिए यदि वे अपनी भविष्य की आय साबित कर सकें - उसी प्रकार से जिस प्रकार एक व्यक्ति वैयक्तिक ऋण प्राप्त करने के लिए भविष्य की वेतन पर्ची का उपयोग करता है।

3.2 09 दिसंबर, 2021 को आयोजित देश की कुछ प्रमुख एनबीएफसी के साथ समिति की बैठक के दौरान, जब एक माननीय सदस्य ने उनसे पूछा कि क्या वे संपार्श्विक लेते हैं, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड नेनिम्नवत बताया:

"मेरी बुक में से, बुक का लगभग 30 प्रतिशत असुरक्षित है और 70 प्रतिशत संपार्श्विक है। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। मुझे उधार देने के लिए बैंकों से पुनर्वित्त प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगर मैं एक किस्त में भी चूक करता हूं तो सभी बैंक मुझे कर्ज देना बंद कर देंगे। इन सबके अलावा, उधार देने या एक छोटे व्यापारी द्वारा सामना की जाने वाली सबसे बड़ी बाधा है कि चूक में उसे एएए रेटेड ग्राहक के बराबर माना जा रहा है। अनिश्चितताओं को देखते हुए, इन छोटे व्यवसायियों को नकदी प्रवाह के मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। यदि किसी महीने में भारी बारिश होती है या बाढ़ आता है या कोई पारिवारिक समस्या आती है, तो वे भुगतान से चूक जाएंगे। यह निश्चित है कि वे भुगतान नहीं कर पाएंगे। मैं वास्तव में उन्हें एक एएए ग्राहक के साथ एनपीए के रूप में 90-दिन के पिछले बकाये (डीपीडी) पर बराबर रखता हूं। ईमानदारीपूर्वक, 30 वर्षों के लिए छोटे व्यवसायों को उधार देने के इस व्यवसाय में, मुझे लगता है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बराबर रखना उचित नहीं है जो करोड़ों का व्यवसाय चला रहा है।"

एमएसएमई क्षेत्र को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए कुछ मौजूदा सरकारी तंत्र नीचे दिए गए हैं:

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी एम ई जी पी)

3.3 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भारत सरकार की प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत वित्त पोषित सभी इकाइयों को 10 लाख रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं, जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसके अलावा, एमएसई इकाइयों के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड और वित्तीय स्थिति के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार 25 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया जाता है और इसे क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई) के तहत कवर किया जाता है।

(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सी जी टी एम एस ई)

3.4 सीजीटीएमएसई का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विक मुक्त/तृतीय-पक्ष गारंटी-मुक्त ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी समर्थन की सुविधा प्रदान करना है। यह योजना पहली पीढ़ी के उद्यमियों सहित एमएसएमई को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जिनके पास पेशकश करने के लिए कोई संपार्श्विक नहीं है। इस योजना में संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा (सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी) शामिल है जो पात्र ऋण संस्थानों द्वारा नए और मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 2 करोड़ रुपये प्रति उधार इकाई तक प्रदान की जाती है। प्रदान किया गया गारंटी कवर 50 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक के क्रेडिट एक्सपोजर के 75% पर एक समान गारंटी के साथ है (सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान किए गए 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 85%, महिलाओं के स्वामित्व/संचालित एमएसई और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सभी ऋण के लिए 80%)।

(ग) आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ई सी एल जी एस)

3.5 आत्म निर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) मई, 2020 में कोविड -19 महामारी के मद्देनजर उत्पन्न अभूतपूर्व संकट से निपटने के

लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संपार्श्विक मुक्त ऋण पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों, व्यावसायिक उद्यमों और व्यक्तिगत ऋणों को 29.2.2020 तक 50 करोड़ रुपये तक के उनके बकाया ऋण के 20% तक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि खाता 29.2.2020 को देय 60 दिनों से कम या बराबर हो। यह अतिरिक्त ऋण पूरी तरह से राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट गारंटी द्वारा कवर किया गया है। ईसीएलजीएस के तहत प्रदान किए गए ऋणों में मूलधन के पुनर्भुगतान पर 12 महीने का स्थगन है।

3.6 इस योजना को 26 क्षेत्रों के लिए ईसीएलजीएस 2.0 के माध्यम से विस्तारित किया गया था। 29.2.2020 को 50 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ऋण वाली इकाइयों को ईसीएलजीएस 2.0 के तहत पात्र बनाया गया था, बशर्ते कि खाता 29.2.2020 को देय 60 दिनों से कम या बराबर हो। आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, अवकाश और खेल और नागर विमानन क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए ईसीएलजीएस 3.0 की शुरूआत के माध्यम से आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के दायरे को और बढ़ाया गया था। ईसीएलजीएस 3.0 में 29.02.2020 की स्थिति के अनुसार सभी ऋण संस्थानों में बकाया कुल ऋण के 40% तक के ऋण का विस्तार शामिल होगा, जो इन क्षेत्रों के उद्यमों के लिए प्रति उद्यम अधिकतम 200 करोड़ रुपये के अधीन है। ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए, नए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए ईसीएलजीएस के तहत 2 करोड़ रुपये की सीमा तक 100% गारंटी प्रदान करने के लिए ईसीएलजीएस 4.0 के माध्यम से इस योजना का विस्तार किया गया था। ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि को संबोधित करने के लिए, नए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए ईसीएलजीएस के तहत 2 करोड़ रुपये की सीमा तक 100% गारंटी प्रदान करने के लिए ईसीएलजीएस 4.0 के माध्यम से इस योजना का विस्तार किया गया था। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से, इस योजना में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं, ईसीएलजीएस 1.0 और 2.0 के तहत मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए 29.02.2020 या 31.03.2021 को , जो भी अधिक हो, कुल बकाया ऋण के 10% तक की अतिरिक्त क्रेडिट सहायता; 31.03.2021 को उन व्यवसायों को अपने बकाया क्रेडिट का 30% तक क्रेडिट समर्थन, जिन्होंने ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस

1.0 या 2.0) के तहत सहायता प्राप्त नहीं की है; ईसीएलजीएस 3.0 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए 31.03.2021 को उनके बकाया क्रेडिट बकाया का 40% तक क्रेडिट समर्थन, जो पहले ईसीएलजीएस और वृद्धिशील क्रेडिट का लाभ नहीं उठा चुके हैं, इन सीमाओं के भीतर मौजूदा ईसीएलजीएस उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिनकी पात्रता 29.02.2020 से 31.03.2021 तक कट-ऑफ तिथि में बदलाव के कारण बढ़ी है।

3.7 2022-23 के बजट में, ईसीएलजीएस यानी ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0, ईसीएलजीएस 3.0 और ईसीएलजीएस 4.0 की वैधता को 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया है।

(घ) एमएसएमई ऋण के लिए जी एस टी आंकड़े का उपयोग करना

3.8 बैंकों द्वारा पारंपरिक ऋण प्रणाली वित्तीय विवरणों और उधारकर्ता के संपार्श्विक पर आधारित है। एमएसएमई द्वारा उठाए गए बैंक ऋणों को मंजूरी देने के उद्देश्य से जीएसटीएन पोर्टल के इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस द्वारा प्रदान किए गए अवसर का उपयोग करने के लिए, जीएसटी सिस्टम ने अक्टूबर 2018 से अपने पोर्टल पर जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई करदाताओं के लिए एमएसएमई ऋण प्राप्त करने के लिए psbloansin59minutes पोर्टल के साथ कुछ डेटा साझा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करने का विकल्प प्रदान किया था।

3.9 ये विशेषताएं बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण की मंजूरी या बिल छूट के लिए व्यवसाय की वास्तविकता का मूल्यांकन करने के लिए सुविधाजनक बनाती हैं। केंद्रीय और राज्य कर प्रशासन द्वारा अनुमोदन पर, जिसमें से यह संरक्षक है, पंजीकरण और ई-चालान के दौरान इकट्ठा किए गए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए जीएसटीएन ने जीएसटी डेटा के प्रदाता के रूप में कार्य करके इन योजनाओं के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है।

(ड़) जीएसटी सहाय

3.10 एमएसएमई रिपोर्ट पर यूके सिन्हा विशेषज्ञ समिति ने 'टीआरईडीएस सेकंड विंडो' की आवश्यकता को रेखांकित किया जो एमएसएमई विक्रेताओं को संपार्श्विक, कागजी कार्रवाई, या खरीदार

को शामिल किए बिना सीधे ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है (जो टीआरईडीएस या अन्य चालान वित्तपोषण ऐप्स की आवश्यकता होती है) - भविष्य के नकदी प्रवाह पर सुरक्षित जीएसटी डेटा का उपयोग करके। इस दृष्टिकोण के आधार पर, 'सहाय' नामक एक नया टीआरईडीएस सेकंड विंडो ऐप आईएसपीआईआरटी फाउंडेशन द्वारा डिज़ाइन किया गया है।

3.11 आईएसपीआईआरटी फाउंडेशन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, सहाय एमएसएमई को त्वरित डिजिटल ऋण देने के लिए एक अगली पीढ़ी का मंच है जो भौतिक संपार्श्विक को जीएसटी चालान तक सुरक्षित पहुंच के साथ प्रतिस्थापित करता है, और एक साथ कई उधारदाताओं के साथ एक पूरी तरह से मोबाइल आधारित, एंड-टू-एंड 5-10 मिनट की प्रक्रिया शुरू करता है। नकदी प्रवाह पर जानकारी के रूप में जीईएम (जीईएम सहाय) खरीद आदेशों का उपयोग करने वाले एक परिचालन पायलट में, सहाय ने किसी भी बैंक खाते का उपयोग करके एमएसएमई को कई उधारदाताओं को भेजे गए एकल डिजिटल ऋण आवेदन उत्पन्न करने की अनुमति दी है, और एक प्रस्ताव चुनता है जो तुरंत उनके खातों में वितरित हो जाता है। सहाय पैमाने के लिए 2 नए बनाए गए डिजिटल नेटवर्क का लाभ उठाता है: सुरक्षित और त्वरित बैंकिंग और जीएसटी डेटा साझाकरण के लिए RBI खाता एग्रीगेटर, और ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओ सी ई एन) उधारदाताओं को एकल साझा अनुप्रयोग के माध्यम से तत्काल ऋण प्रसंस्करण में सक्षम बनाता है।

(च) जीईएम सहाय

3.12 जीईएम पोर्टल के अनुसार, जीईएम सहाय जीईएम द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य बिना किसी परेशानी के सरकारी आदेशों की सेवा के लिए तत्काल, सुगम वित्तपोषण का लाभ उठाने के लिए स्वामित्व की सहायता करके अपने स्वामित्व भागीदारों के लिए एक पूर्ण वित्तपोषण समाधान लाना है। यह अपेक्षित है कि यह एक एंड-टू-एंड डिजिटल समाधान प्रदान करेगा , तुरंत ऋण प्रदान करेगा, संपार्श्विक मुक्त और किसी भी खरीदार की सहमति की आवश्यकता के बिना। चूंकि प्रमुख ऋण देने वाले बैंक जीईएम के साथ भागीदार हैं, इसलिए उद्यम और आधार के माध्यम से आसान पंजीकरण के साथ सर्वोत्तम ब्याज दरों पर आदेश की स्वीकृति के बिंदु पर स्वामित्व को ऋण देने की उम्मीद है, नि: शुल्क। ऋणदाताओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के अलावा, जीईएम सहाय के तहत कोई शुल्क संबद्ध नहीं है। इससे उन आदेशों का चयन करने में प्रोपराइटरशिप की मदद करनी चाहिए जिन्हें उन्हें वित्तपोषण का

लाभ उठाने के लिए उधारदाताओं के साथ साझा करने की आवश्यकता होगी - यह सुनिश्चित करना कि उधारदाताओं को वास्तविक समय में साझा किए गए आदेशों पर ऋण की पेशकश करने के लिए।

3.13 तथापि, ये स्कीमें अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाई हैं और एमएसएमई क्षेत्र को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न संगठनों/संघों/बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए एमएसएमई क्षेत्र को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए सामना किए गए प्रमुख मुद्दों और सुझावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(क) <u>दक्षिणी भारत इंजीनियरिंग निर्माता संघ (एस आई ई एम ए), कोयंबटूर</u>

(1) ईसीएलजीएस योजना को बढ़ाकर कुल स्वीकृत निधि सीमा का 40% सभी को प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान में यह उन लोगों के लिए 29.02.2020 या 31.03.2021 तक बकाया क्रेडिट का 30% और 31.03.2021 को बकाया क्रेडिट का 40% है, जिन्होंने पहले लाभ नहीं उठाया है। इसे संशोधित किया जाना है और सभी के लिए कुल स्वीकृत सीमा का 40% बनाया जाना है और ईसीएलजीएस के तहत प्राप्त राशि को घटाकर पूर्व स्वीकृत ऋण के रूप में वितरित किया जाना है जैसा कि ईसीएलजीएस 2 में किया गया है।

(2) हमारे कई सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि भले ही वे भारत सरकार द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार ईसीएलजीएस योजना के लिए पात्र हैं, बैंक और वित्तीय संस्थान इन अतिरिक्त निधियों को निर्धारित नहीं कर रहे हैं। कुछ बैंक कुछ बहाने से स्वीकृत सीमा को कम कर रहे हैं और ईसीएलजीएस स्वीकृत राशि को द्वितीयक संपार्श्विक संपत्ति मूल्य के साथ समायोजित कर रहे हैं। हम आपसे उन मामलों को हल करने के लिए एक समाधान समिति का गठन करने का अनुरोध करते हैं जिनमें पात्र एमएसएमई जिन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ईसीएलजीएस सीमा की मंजूरी से मना कर दिया गया है।

(ख)<u>यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (यू सी पी एम ए), लुधियाना:</u>

संपार्श्विक सुरक्षा में सुगमता: बैंकों को स्टॉक, प्राप्य वस्तुओं आदि के हाइपोथेकेशन के अलावा संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता होती है। बैंक कभी-कभी संपार्श्विक सुरक्षा के रूप

में उधार ली गई राशि का 150% मांगते हैं। केन्द्र सरकार को एमएसएमई को वित्त पोषण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में 25% से 50% की गारंटी प्रदान करनी चाहिए।

(ग) <u>एच डी एफ सी बैंक</u>

(i) कवरेज बढ़ाने के लिए एमएसएमई के लिए सीजीटीएमएसई योजना में संशोधनहतर बनाने के लिएकवरेज को और बे :, नीचे दिए गए सुझावों पर विचार किया जा सकता है।

- मध्यम उद्यमों को सीजीटीएमएसई के तहत शामिल किया जा सकता है
- सीजीटीएमएसई कवरेज को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जा सकता है
- थोक विक्रेताओं को अब इस योजना में शामिल किए जाने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) वर्गीकरण के लिए एमएसएमई के तहत शामिल किया गया है।

(ii) स्टार्टअप के लिए बैंकों से उधार लेने में कठिनाई: स्टार्ट अप को बिजनेस विंटेज की कमी, आवश्यक प्रमोटरों की पूंजी दिखाने में कठिनाई, संपार्श्विक कवर की आवश्यकता और व्यवसाय की शुरुआत में अंतर्निहित उच्च जोखिम के कारण बैंकों से उधार लेना मुश्किल लगता है। पंजीकृत स्टार्ट-अप के लिए सरकारी गारंटी योजना उद्यमियों को नए व्यवसाय स्थापित करने, विचारों की अवधारणा और व्यावसायीकरण के लिए कदम उठाने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित कर सकती है।

(iii) कमोडिटी गिरवी वित्त बाजार को 4 गुना तक बढ़ाएं। 25,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये करने की संभावना: किसान और कृषि प्रोसेसर मौसम के समय के दौरान फसल चक्र या कच्चे माल के भंडारण की अपनी निधि आवश्यकता के लिए गिरवी वित्त पर निर्भर करते हैं। बैंक संपार्श्विक प्रबंधकों, वित्तीय आउटसोर्स विक्रेताओं के समर्थन से गिरवी वित्त देते हैं, जो गिरवी के तहत माल के भंडारण और गुणवत्ता का प्रबंधन करते हैं। ये संपार्श्विक प्रबंधन कंपनियां वर्तमान में अनियमित हैं जो यदि विनियामक ढांचे के अंतर्गत आती हैं तो बैंकों को सूदूर क्षेत्रों तक पहुंचने और गिरवी वित्त के माध्यम से किसानों और एमएसएमई का समर्थन करने के लिए अधिक आत्मविश्वास पैदा कर सकती हैं। यह संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों और कृषि प्रसंस्करणकर्ताओं को जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है जबकि गिरवी रखने वाला वित्त संपार्श्विक मुक्त स्व-परिसमापन उत्पाद है जो माल की बिक्री आय के साथ साफ हो जाता है। निगरानी के लिए नियामक ढांचे के तहत संपार्श्विक प्रबंधक बैंकों को उधार देने पर बेहतर कॉल लेने और चोरी, धोखाधड़ी और अन्य के जोखिम को कम करने में मदद करेंगे।

(iv) लाइसेंस प्राप्त गोदाम और ईएनडब्ल्यूआर की कम पैठ: इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीदों (ईएनडब्ल्यूआर) की पैठ बढ़ाने और भण्डारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के तहत और अधिक गोदामों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, लाइसेंस प्राप्त गोदामों के लिए डब्ल्यूडीआरए से गारंटी और गिरवी की सुविधा शुरू की जा सकती है। राज्य गोदाम अनिवार्य रूप से ईएनडब्ल्यूआर जारी करने के लिए और ऑनलाइन ग्रहणाधिकार अंकन का समर्थन करने के लिए।

(घ) <u>एक्सिस बैंक</u>

एमएसएमई के लिए केंद्र सरकार की गारंटी योजना का विस्तार (सी जी टी एम एस ई): वर्तमान में सीजीटीएमएसई कवर 2 करोड़ रू. तक उपलब्ध है। सरकार इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की उच्च राशि करने पर विचार कर सकती है और इसमें आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण शामिल है।

(ड़) <u>झारखंड लघु उद्योग संघ, रांची</u>

(i) सीजीटीएमएसई योजना निम्नलिखित निवारक का सामना करती है:

- जोखिम प्रीमियम शुल्क बहुत अधिक है - पहले वर्ष में 2.25% तक और बाद के वर्षों के लिए 1.75%।
- निजी बैंक सीजीटीएमएसई के तहत वित्त पोषण करने के लिए अनिच्छुक हैं।
  स्टार्टअप/पहली पीढ़ी के उद्यमियों का मनोरंजन नहीं किया जाता है, जिन्हें समर्थन और सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है।
- सुझाव:
- जोखिम प्रीमियम शुल्क को 1.0% तक सीमित किया जाना चाहिए।
  इसे प्रभावी बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकवार लक्ष्य निर्धारित और निगरानी की जानी चाहिए।

3.14 इस विषय पर प्रेस विज्ञप्ति के खिलाफ आम तौर पर जनता और विशेष रूप से विशेषज्ञों/हितधारकों/संगठनों से विचार/सुझाव प्राप्त हुए थे, जिसे 31 दिसंबर, 2021 को प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

(क) <u>ज्वेल इंडिया ज्वेलर्स, मुंबई</u>

विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा एमएसएमई को ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है, तथापि, जौहरियों/हीरे या स्वर्ण व्यापारियों को कोई संपार्श्विक या संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। आज तक बैंक एमएसएमई या छोटे पैमाने पर ज्वेलर्स के तहत पंजीकृत ज्वेलर्स की मदद करने से इनकार करते हैं। उनकी नीति उन ज्वेलर्स को क्रेडिट सुविधा प्रदान करना है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और जिनका व्यवसाय 100 मिलियन रुपये या उससे अधिक है। यह अभ्यास छोटे या एमएसएमई व्यापार व्यापारियों को आभूषणों में विस्तार की क्षमता नहीं देगा।

(ख) <u>सॉल्व प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोल्लम (केरल)</u>

आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण (एससीएफ) फाइनेंसरों को आराम देता है क्योंकि धन का अंतिम उपयोग निर्धारित किया जाता है और यह खरीदार और विक्रेता दोनों के हित में है कि वे अपने दायित्वों का सम्मान करें। यह एमएसएमई उधारकर्ताओं को बैंक वित्त तक पहुंचने की अनुमति देता है। कॉर्पोरेट्स और मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) ने समझा है कि उनका भविष्य कई घटकों पर निर्भर है। उन्हें बहु-स्तरीय आपूर्ति श्रृंखला वित्त (एससीएफ) कार्यक्रमों की पेशकश करके एसएमई का समर्थन करने की आवश्यकता है जो इन-हाउस चलाया जा सकता है या तीसरे पक्ष द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। एससीएफ एमएसएमई को अपने व्यापार लेनदेन की ताकत और मात्रा के आधार पर बड़ी मात्रा में बैंक क्रेडिट तक पहुंचने की अनुमति देता है। यह क्रेडिट उन लोगों की तुलना में बहुत कम दरों पर उपलब्ध है जो उनके स्टैंडअलोन व्यवसायों और वित्त की ताकत के आधार पर प्राप्त किए गए हैं। बदले में कॉर्पोरेट्स को एससीएफ से लाभ होता है क्योंकि उनकी आपूर्ति श्रृंखला के बड़े अनुपात को चल- धन के सस्ते और विश्वसनीय स्रोतों तक पहुंच प्राप्त होती है। यह तैयार माल की समय पर डिलीवरी के लिए अपने सबसे छोटे आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री और सेवाओं का एक निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करता है।

ईसीएलजीएस के तहत पात्रता मानदंडों में सुधार किया जाना चाहिए ताकि नए उधारकर्ताओं और उन एमएसएमई को शामिल किया जा सके जिन्होंने पहले ऋण का लाभ नहीं उठाया था। ईसीएलजीएस केवल उन संस्थाओं को वृद्धिशील वित्तपोषण के लिए पात्र बनाता है जिन्होंने 29 फरवरी 2020 को क्रेडिट का लाभ उठाया था।

(ग) <u>फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफ टी सी सी आई), हैदराबाद</u>

सीजीटीएमएसई: 2015 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा विस्तारित 2 करोड़ रुपये की सीमा को शायद ही कभी गैर-संपार्श्विक ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। गारंटी के लिए बैंक का सहारा सीजीटीएमएसई के नियम से बाधित है कि इसे सीजीटीएमएसई को साबित करना चाहिए कि यह ऋण की प्राप्ति के सभी साधनों को समाप्त कर देता है जिसमें कानूनी मार्ग शामिल है। यह स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया और खाते को बढ़ाता है जो एनपीए बन गया और अन्यथा गारंटी के लिए बैंकों की पुस्तकों में इंतजार करना चाहिए। सीजीटीएमएसई को बैंकों में विश्वास विकसित करना चाहिए और असफल एमएसई के लिए उचित बीमा तंत्र के रूप में कार्य करना चाहिए।

(घ) पैरी एण्ड कंपनी (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स), नोएडा

(I) एमएसएमई संस्थाओं को एनएफबीसीएफ सुविधाएं प्रदान करने पर छूट: एमएसएमई क्षेत्र को बैंक गारंटी (बीजी) और अन्य गैर-निधि आधार सुविधा (एनएफएफ) जारी करने के लिए संपार्श्विक सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और इसके बजाय इस आवश्यकता को सीजीटीएमएसई में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, एमएसएमई संस्थाओं के लिए इसे जारी करने और नवीकरण के लिए शुल्क को कुछ न्यूनतम स्तर तक कम किया जाना चाहिए या कम से कम इस तरह के भारी शुल्क को चार्ज करने के पीछे कुछ तर्क होना चाहिए, जैसे कि बैंक लगभग 1.25% प्रति वर्ष चार्ज कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि एमएसएमई को बैंक को 5 वर्षों के लिए 10 लाख रुपये का बीजी जारी करने के लिए 62,500 रुपये का भुगतान करना होगा। इस तथ्य के बावजूद कि यह बैंक के दृष्टिकोण से 100% सुरक्षित है। बीजी जारी करने में मुश्किल से 30 मिनट लगते हैं और इसके लिए उन्हें 62,500 रुपये की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम सुझाव देते हैं कि:

- बैंक गारंटी जारी करने पर लगने वाले शुल्क को कम किया जाना चाहिए;
- एक बार में 5 साल की पूरी राशि चार्ज करने के बजाय वार्षिक आधार पर शुल्क लिया जाना चाहिए;
- बीजी की मात्रा पर शुल्क परिवर्तनीय होना चाहिए, जैसे कि इसे धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए यदि यह भारी मात्रा में है;

- उद्यम के विभिन्न स्तरों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रभार अलग-अलग होने चाहिए। यदि संभव हो तो इन शुल्कों का ध्यान सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा किया जाना चाहिए।
- सरकारी निविदाओं में ईएमडी और बीजी आवश्यकता में छूट एमएसएमई पंजीकृत संस्थाओं द्वारा सरकारी एजेंसियों के साथ प्रस्तुत की जाने वाली ईएमडी और बैंक गारंटी का सीजीटीएमएसई द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए।

(ड़) एमएसएमई लिस्टकॉम

हमने बाजार के अध्ययन के साथ जो देखा है वह यह है कि चूक के डर से एमएसएमई को संपार्श्विक मुफ्त ऋण देने के लिए वित्तीय संस्थानों के लिए विश्वास की कमी है और कुछ एमएसएमई के लिए यह ऋण लेने के बाद जानबूझकर चूक करने का अवसर हो सकता है जिसे केवल तभी कम किया जा सकता है जब एमएसएमई द्वारा ऋण पुन: भुगतान या तो आयकर फाइलिंग या व्यवसायों की त्रैमासिक/मासिक जीएसटी फाइलिंग में अनिवार्य घोषणा से जुड़ा हो।

(च) प्रदीप भावे, पूर्व बैंकर, मुंबई

सीजीटीएमएसई को भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम बैंक के मापदंडों पर निर्भर करता है। वहाँ प्रीमियम प्रभार्य के बारे में अपारदर्शिता है. बैंक केवल यह कहते हैं कि वे सटीक संरचना का खुलासा किए बिना लागू होने वाले प्रीमियम का शुल्क लेंगे। यदि प्रीमियम का डेटा पहले से ज्ञात है, तो उधारकर्ता उस बैंक से संपर्क कर सकता है जहां सबसे कम प्रीमियम चार्ज करने योग्य है। वर्तमान में, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कवर उपलब्धता को सावधि जमा प्रमाणपत्रों पर मुद्रित किया जा रहा है। सीजीटीएमएसई प्रीमियम, जैसा कि बैंक पर लागू होता है, को प्रत्येक सदस्य बैंक के लिए या तो बैंक की वेबसाइट पर या सीजीटीएमएसई में प्रकट किया जाना चाहिए। ऋणदाता का चुनाव एक सूचित निर्णय होना चाहिए।

3.15 09 दिसंबर, 2021 को आयोजित प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों के साथ समिति की बैठक के दौरान, जब एक माननीय सदस्य ने उनसे पूछा कि सीजीटीएमएसई के तहत ऋण बुक क्यों नहीं किए जाते हैं, तो श्री दिनेश खारा, अध्यक्ष (एसबीआई) ने कहा:

"अनिवार्य रूप से, क्या होता है कि यह लागत उधारकर्ता को पारित हो जाती है और वह इस लागत को लेने में रुचि नहीं रखता है। अत, वह 20 प्रतिशत संपार्श्विक की पेशकश करने के लिए तैयार है। यही है, वास्तव में, वास्तव में, उनके लिए वास्तव में पैसे जुटाने के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक। जैसा कि

आपने सही उल्लेख किया है, बैंकर सुरक्षा प्राप्त करना चाहेगा क्योंकि सीजीटीएमएसई के मामले में, उपलब्ध सुरक्षा 70 से 80 प्रतिशत है। वह एक है। दूसरी आवश्यकता यह है कि दावा खोने से पहले मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। यह एक और बहुत बड़ी बाधा है जो वास्तव में रास्ते में आ रही है। अत, इस विशेष पहलू पर, हम सिडबी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। हम अलग-अलग बैंक स्तर पर काम कर रहे हैं।"

3.16 एमएसएमई की रिपोर्ट पर यूके सिन्हा विशेषज्ञ समिति का सुझाव है कि एमएसएमई के भविष्य के नकदी प्रवाह पर उच्च विश्वास जानकारी के साथ भौतिक संपार्श्विक या गारंटी आवश्यकताओं (परिसंपत्ति आधारित उधार) को प्रतिस्थापित करना जो समय के साथ साख बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे आकार के ऋणों का आधार हो सकता है (जिसे नकद प्रवाह उधार कहा जाता है)।

नकद प्रवाह आधारित उधार (सी एफ एल)

3.17 जैसा कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, नकद प्रवाह-आधारित ऋण (सीएफएल) में बैंक की मूल्यांकन प्रणाली में पारंपरिक बैलेंस शीट आधारित वित्तपोषण से इकाई के नकदी प्रवाह का लाभ उठाने की अधिक उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव की परिकल्पना की गई है। सीएफएल में, ऋण की आवश्यकता वास्तविक राजस्व सृजन और चुकाने की क्षमता पर आधारित होती है। इसके अलावा, पुनर्भुगतान अनुसूची एमएसएमई के नकदी प्रवाह के समय पर आधारित है। सीएफएल के फायदे यह हैं कि ऋण राशि और पुनर्भुगतान एमएसएमई के वास्तविक नकदी उत्पादन, क्रेडिट जोखिम में कमी, बैंकों के लिए कम निगरानी लागत, टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) में कमी और उन संस्थाओं की सेवा करने की क्षमता पर आधारित हैं जिनके पास पर्याप्त संपार्श्विक नहीं हैं। इस प्रकार, उत्पादों और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के साथ नकदी प्रवाह आधारित ऋण को अपनाने के साथ एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह को मजबूत किया जा सकता है। इससे क्रेडिट अंडरराइटिंग की प्रक्रिया में तेजी आएगी और क्रेडिट प्रस्ताव का तेजी से निपटान होगा।

3.18 एमएसएमई वित्तपोषण के लिए बैंकों द्वारा सीएफएल के विभिन्न तरीकों का पता लगाया जा सकता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(क) जी एस टी डेटा के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित टर्नओवर

(ख) ई-कॉमर्स लेनदेन (ई-ट्रेलर प्लेटफार्मों के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादों को बेचने में लगे पंजीकृत विक्रेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए)

(ग) पी ओ एस मशीन पर डिजिटल बिक्री से टर्नओवर का पता लगाया गया

(घ) एग्रीगेटर मॉडल के माध्यम से आतिथ्य उद्योग को उधार देना

(ङ) आपूर्ति श्रृंखला वित्त (डीलर वित्तपोषण और विक्रेता वित्तपोषण): आपूर्ति श्रृंखला वित्त (एससीएफ) अल्पकालिक क्रेडिट प्रदान करता है जो खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए कार्यशील पूंजी का अनुकूलन करता है। वित्तपोषण के इस मॉडल के तहत, सभी चार हितधारकों अर्थात् पंजीकृत विनिर्माण कंपनी (आरएमसी)/ एंकर कॉर्पोरेट, डीलर, विक्रेता और फाइनेंसर/बैंक को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाता है:

डीलर/विक्रेता	**निर्माता**	**वित्तपोषक/बैंक**
✓ कारोबार को चालू रखने के लिए बहुत आवश्यक कार्यशील पूंजी मिलती है। ✓ अन्य कार्यशील पूंजी उत्पादों की तुलना में निधियों की कम लागत ✓ अल्प अवधि केकारण वित्तीयअनुशासनकी भावनाको ✓ बढ़ाताहै	✓ नकदी प्रवाह को बढ़ाताहैजोबदलेमेंडीलरों/ विक्रेताओंऔरअंतिमउप योगकर्ताओंकेलिएमालकी उपलब्धतासुनिश्चितकरता है। ✓ बिक्री बढ़ाता है ✓ बेचे गए माल की लागत कम करताहै (सीओजीएस)	✓ चूककेमामलेमेंनिर्माताओंसेसमर्थन प्राप्तकरताहै। ✓ उचित परिश्रम करनेकेलिएडीलर/विक्रेता की उचित जानकारीप्राप्तकरताहैजोबदलेमें ✓ अच्छे उधारकर्ता के चयन में मदद करता है।

अध्याय – चार

एमएसएमई क्षेत्र में ऋण अंतर

4.1 औपचारिकरण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के संदर्भ में, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2021 तक एमएसएमई के लगभग 4.2 करोड़ बैंक खाते हैं, और लगभग 1.2 करोड़ इकाइयां जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं। राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अनुमानित 6.34 करोड़ एमएसएमई में से अब तक ऋण प्रदान की गई एमएसएमई इकाइयों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। इसका मतलब है कि औपचारिक ऋण ने कभी भी एमएसएमई 39% के लगभग नहीं रही है। तथापि, एचडीएफसी और आईएसपीआईआरटी फाउंडेशन के अनुसार, देश में 6.34 करोड़ एमएसएमई में से केवल 1.5 करोड़ (24%) और 0.7 करोड़ (11%) औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से उधार ले रहे हैं।

खंडवार खातों की संख्या लाखों में और राशि करोड़ रुपये में

वर्ष समाप्त हो गया	सूक्ष्म उद्यम		लघु उद्यम		मध्यम उद्यम		कुल एमएसएमई	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
मार्च -19	295.05	675200.50	23.03	638030.79	2.60	197419.22	**320.68**	**1510650.52**
मार्च -20	353.02	746043.67	27.62	667734.90	3.54	199803.60	**384.18**	**1613582.17**
मार्च -21	387.93	821027.77	27.82	662998.50	4.44	299898.53	**420.19**	**1783924.80**
स्रोत : आरबीआई								

4.2 एमएसएमई क्षेत्र की वित्तपोषण आवश्यकता कार्यशील पूंजी, कैपेक्स, आकस्मिक देयता आदि पर निर्भर करती है। एमएसएमई बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई)/एनबीएफसी आदि से वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करते हैं। एमएसएमई द्वारा ऋण उधार लेने की लागत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बाह्य बेंचमार्क दर + व्यक्तिगत ऋणदाताओं द्वारा तय की जाने वाली स्प्रेड पर निर्भर करती है ।

4.3 31 अगस्त, 2021 तक सिबिल के आंकड़ों के अनुसार, सूक्ष्म (1 करोड़ रुपये तक का क्रेडिट एक्सपोजर), लघु (1 से 10 करोड़ रुपये तक क्रेडिट एक्सपोजर) और मध्यम (10 से 50 करोड़ रुपये) सेगमेंट शेयर, ऋणदाता श्रेणी और क्रेडिट प्रोफाइल का ब्रेक-अप नीचे दिया गया है:

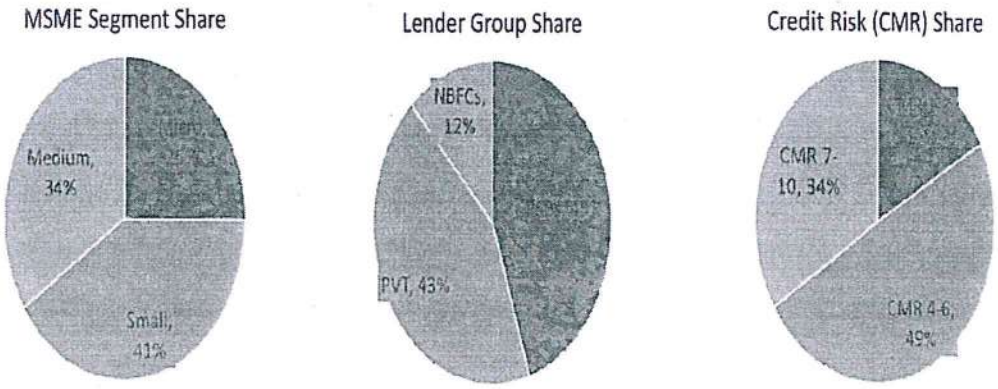

CIBIL MSME Rank (CMR) is credit score for MSMEs. CMR 1-3 are least risk MSME borrowers and classified as Super-Prime, CMR 4-6 are mid-risk borrowers and classified as Prime and CMR 7-10 are highest risk borrowers and classified as Sub-Prime

Source: TransUnion CIBIL and SBI

4.4 वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021 में, देश ने एमएसएमई क्षेत्र को 9.5 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए, जो वित्त वर्ष 2020 में 6.8 लाख करोड़ रुपये के पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। वित्त वर्ष 2021 के लिए एमएसएमई ऋण में वृद्धि मुख्य रूप से आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की आत्मनिर्भर भारत योजना द्वारा समर्थित थी, जिसका उद्देश्य ऋणदाताओं को 100% क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।

अप्रैल-जुलाई 2019 तिमाही के लिए अनुक्रमित एमएसएमई खंडों में वितरित तिमाही (मूल्य द्वारा) तिमाही पर तिमाही ऋण (लाख करोड़ रुपये में दर्शाई गई राशि)।

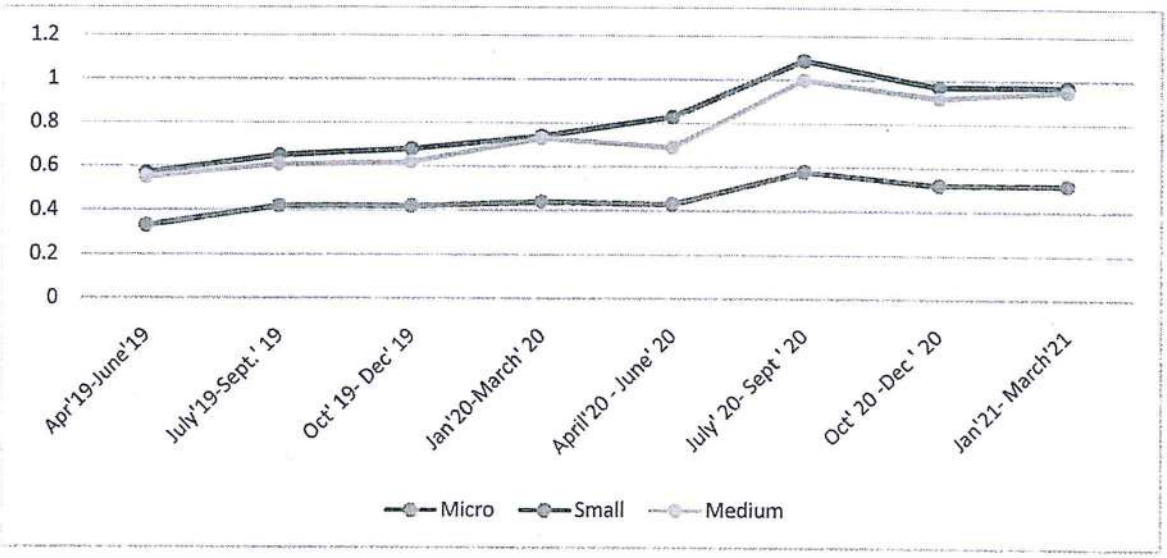

(स्रोत: एमएसएमई पल्स जून 2021)

4.5 एमएसएमई क्षेत्र में ऋण मांग और अंतर अनुमान

(क) एमएसएमई रिपोर्ट पर यूके सिन्हा विशेषज्ञ समिति के अनुसार, भारत में, बाह्य ऋण के लिए कुल पूरी की जाने वाली मांग 37 ट्रिलियन रुपये (37 लाख करोड़ रुपये) होने का अनुमान है, जबकि औपचारिक स्रोतों से वित्त की कुल आपूर्ति 14.5 ट्रिलियन (14.5 लाख करोड़ रुपये) होने का अनुमान है। इसलिए, एमएसएमई क्षेत्र में कुल ऋण अंतर ₹ 20 - 25 ट्रिलियन (20-25 लाख करोड़ रुपये) होने का अनुमान है।

(ख) नवंबर 2018 की विश्व बैंक समूह की 'फाइनेंसिंग इंडियाज एमएसएमई' नामक रिपोर्ट की अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र के लिए पाटा जा सकने वाला क्रेडिट अंतर 25.8 ट्रिलियन रुपये (25.8 लाख करोड़ रुपये) था।

(ग) नवंबर 2019 की "भारत में एमएसएमई वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने" पर प्राइस वाटरहाउस कूपर (पीडब्ल्यूसी) की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 तक एमएसएमई की समग्र ऋण मांग और अंतर क्रमशः 98 ट्रिलियन रुपये (98 लाख करोड़ रुपये) और 37 - 40 ट्रिलियन (37- 40 लाख करोड़ रुपये) का अनुमान लगाया गया है, जिसे औपचारिक वित्त द्वारा पाटने की आवश्यकता है। कार्यशील पूंजी और कैपेक्स के लिए ऋण अंतर 70:30 के अनुपात में होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से, एमएसएमई ऋण अंतर का लगभग 70% विनिर्माण क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होगा।

(घ) सिबिल की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2021 तक बकाया एमएसएमई ऋण लगभग 20 लाख करोड़ रुपये था।

4.6 उपर्युक्त रिपोर्टों में एमएसएमई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऋण अंतर को उजागर किया गया है जो लगभग 20-25 लाख करोड़ रुपये है। एमएसएमई क्षेत्र में ऋण के अंतर को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर, वित्तीय सेवा विभाग ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :

"उभरते डिजिटल इनेबलर्स और फिनटेक से सभी क्षेत्रों में एमएसएमई की अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड जरूरतों के लिए क्रेडिट को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे (खाता एग्रीगेटर्स, जीएसटीआईएन, यूआईडीएआई, क्रेडिट ब्यूरो, आदि) का उपयोग करके नकदी-प्रवाह आधारित ऋण सूक्ष्म और छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ा समर्थक होने की उम्मीद है। टी आर ई डी एस के लिए हाल के नीतिगत परिवर्तनों से सभी टी आर ई डी एस प्लेटफ़ॉर्म पर संचालन को उत्प्रेरित करने और इन प्लेटफ़ॉर्म पर वॉल्यूम बढ़ाने में मदद करने की उम्मीद है। एमएसएमई को क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल भी शुरू करने का प्रस्ताव है।"

एमएसएमई क्षेत्र में एनपीए का स्तर

4.7 पिछले पांच वर्षों के लिए बकाया पोर्टफोलियो, ब्याज दरों और एनपीए सहित एमएसएमई क्रेडिट के लिए रुझान नीचे दिए गए हैं:

4.8 ट्रांस यूनियन सिबिल के अनुसार, कोविड-19 की दो लहरों के दौरान मार्च 2021 तक एमएसएमई सेगमेंट का एनपीए स्तर लगभग समान स्तर पर था, हालांकि, कोविड की दूसरी लहर के बाद एनपीए का स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। वृद्धि माइक्रो खंड में अधिक स्पष्ट है। भारत सरकार और आरबीआई ने कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में एमएसएमई की मदद करने के लिए पूर्व की योजनाओं जैसे अधिस्थगन, ईसीएलजीएस आदि को जारी रखने की घोषणा की है।

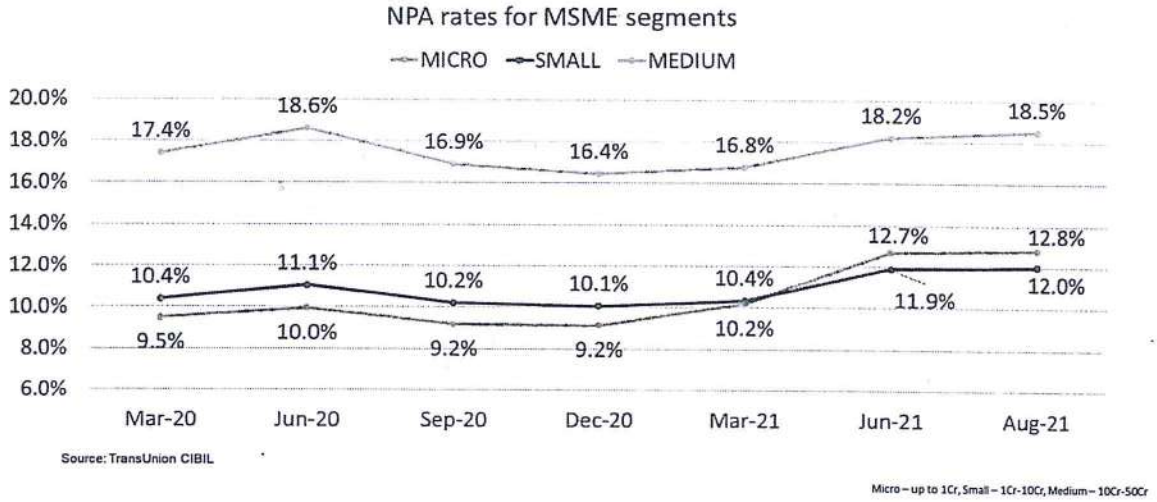

4.9 समिति के समक्ष उपस्थित विभिन्न संगठनों/संघों/बैंकों ने एमएसएमई क्षेत्र में भारी ऋण अंतर को दूर करने के लिए वर्तमान तंत्र में कई मुद्दों को रेखांकित किया और ऋण अंतर को पाटने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव दिया। उनमें से कुछ निम्नवत हैं:

(क) <u>दक्षिणी भारत इंजीनियरिंग निर्माता संघ (सिएमा), कोयंबटूर</u>

(i) सिबिल रेटिंग सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। जिस तरह से रेटिंग की गई है और डेटा संग्रह का आधार अपारदर्शी है। सत्यापन और स्पष्टीकरण के लिए सिबिल के साथ एक भौतिक और आभासी संपर्क तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। यह ट्रैकिंग के लिए टिकट प्रणाली के साथ होना चाहिए। आवेदकों की कोई गलती नहीं होने के कारण सिबिल स्कोर खराब दिखाया गया है और आवेदनों को रोक दिया गया है। आवेदक को क्लियर होने के लिए दर-दर भटकना पड़ता है, इसमें काफी समय लगता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा एमएसएमई की वार्षिक रेटिंग बैंक या ग्राहकों को कोई लाभ नहीं देती है। क्रेडिट एजेंसी ऑडिटेड वित्तीय पर आधारित काम करती है और रेटिंग प्रदान करती है जो हमेशा वास्तविकता से दूर होती है। इसकी उच्च लागत और न्यूनतम लाभ के साथ, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए इस रेटिंग प्रणाली को समाप्त किया जा सकता है।

(ii) बैंकों से ऋण के माध्यम से शेयर पूंजी और पूंजी पूंजी जुटाने के विकल्प हैं। शेयरों के माध्यम से पूंजी जुटाना एमएसएमई के लिए एक कठिन प्रस्ताव है क्योंकि वैधानिक अनुपालन एमएसएमई की वर्तमान क्षमता से परे है। शेयर पूंजी विकल्प पर लंबी अवधि में विचार किया जा सकता है।

(ख) <u>कोयंबटूर जिला लघु उद्योग संघ (सी ओ डी आई एस एस आई ए)</u>

जहां तक सिबिल रेटिंग का संबंध है, बैंक सीधे सिबिल की रिपोर्ट का अनुसरण कर रहे हैं। हमारे निष्कर्षों पर, सिबिल में दर्ज की गई गलत प्रविष्टियों की संख्या है, जो कंपनियों की समग्र रेटिंग को बदल देती है। जब एमएसएमई गलत प्रविष्टियों को ठीक करने के लिए सिबिल से संपर्क करते हैं, तो इसे ठीक करने में कम से कम 90 दिन लगते हैं और उसके बाद केवल बैंक नई रेटिंग स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, जो वास्तव में एमएसएमई के लिए एक कठिनाई है।

(ग) <u>यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (यू सी पी एम ए), लुधियाना</u>

(i) बैंकों द्वारा उच्च आहरण शक्ति: आमतौर पर बैंक कार्यशील पूंजी सीमा पर मार्जिन मनी के रूप में 25% से 40% तक रखते हैं। हमारा सुझाव है कि इस मार्जिन मनी को एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए कम करके 10% तक किया जाना चाहिए, जो 15% से 30% तक बढ़े हुए क्रेडिट के रूप में मदद करेगा।

(ii) एमएसएमई को अनिवार्य ऋण: बैंक तरलता से भरे हुए हैं, लेकिन एमएसएमई को पैसा उधार देने के लिए तैयार नहीं हैं। बैंकों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे एमएसएमई को अपने बड़े कॉर्पोरेट को दिए जाने वाले ऋण का एक निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूप से उधार दें। यह वास्तव में एमएसएमई के लिए ऋण उपलब्धता को आसान बनाने में मदद करेगा।

(iii) एलआईबीओआर ब्याज दरें: एमएसएमई को लंदन इंटरबैंक ऑफरड रेट (एलआईबीओआर) ब्याज दरों पर बड़े कॉर्पोरेट्स की तरह धन उधार लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वर्तमान में 0.10% से 0.20% प्रति वर्ष की रेंज में हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव के बाद, एमएसएमई के लिए कुल लागत 4.50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iv) ब्याज सहायता: जो एमएसएमई समय पर अपने ऋण और ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें कृषि क्षेत्र की तरह 2% -3% की ब्याज दर में छूट की अनुमति दी जानी चाहिए।

(घ) <u>झारखंड लघु उद्योग संघ, रांची</u>

(i) उच्चतर चूक जोखिम प्रीमियम – बचाव लागत के कारण अपेक्षाकृत सस्ती विदेशी मुद्रा उधार तक एमएसएमई की पहुंच सीमित है। एमएसएमई को सस्ती अंतर्राष्ट्रीय दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए, हमारा सुझाव है कि विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करने के इच्छुक एमएसएमई को सरकारी गारंटी /सिडबी/ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) गारंटी के माध्यम से शीर्ष रेटेड बड़े कॉर्पोरेट के बराबर हेजिंग दरों पर ऋण दिया जाना चाहिए ताकि व्यापार मॉडल में एमएसएमई को एक समान अवसर मिल सके। इससे निर्यात के क्षेत्र में भी एमएसएमई को प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। बाजार हेजिंग दर के अंतर का भुगतान एमएसएमई सब्सिडी के माध्यम से किया जाना चाहिए।

(ii) एमएसएमई बैंक ऋण: निदेशक/प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी उस कंपनी में शेयर होल्डिंग के अनुपात की सीमा तक सीमित होनी चाहिए। सिडबी समर्थन के साथ प्रमोटर बीमा शुरू किया जा सकता है, जैसे एमएसएमई के लिए सब्सिडी वाले प्रीमियम पर की पर्सन बीमा।

(iii) एमएसएमई के लिए ब्याज सहायता योजना: भारत सरकार ने आरबीआई परिपत्र द्वारा समर्थित O1.04.2019 से 31.03.2021 की अवधि के लिए एमएसएमई के लिए ब्याज सहायता योजना की घोषणा की थी। एमएसएमई को ब्याज सहायता योजना का लाभ नहीं दिया गया है और हाल ही में सूचित किया गया है कि पर्याप्त बजटीय सहायता के अभाव में दावों

पर विचार नहीं किया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई अविश्वास का कारण बनती है और एमएसएमई पर अतिरिक्त दबाव डालती है।

(ङ) ऐक्सिस बैंक

(i) एमएसएमई के लिए सेक्युरिटी की प्रक्रिया को आसान बनाना: अधिकांश एमएसएमई क्रेडिट आवश्यकता का समर्थन करने के लिए कोलेटरल का उपयोग करते हैं। इसमें मोरगेज स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क लागत शामिल है, जो देश भर में भिन्न होती है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक विशेष तरीका अपनाया जा सकता है ताकि उनके लिए ऋण तक पहुंचने के लिए आने वाली इस लागत को कम किया जा सके। एमएसएमई को विभिन्न सरकारी एजेंसियों से 'मोरगेज की अनुमति' के लिए भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (सीईआरएसएआई) की केंद्रीय रजिस्ट्री में मोरगेज की अनुमति (पीटीएम)/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन के लिए एक डिजिटल/ऑनलाइन प्रक्रिया और बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने में अत्यधिक मदद मिल सकती है।

(ii) एमएसएमई की संवृद्धि के लिए समर्थन: एमएसएमई को अक्सर नई इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन कई मामलों में, प्रोत्साहन नई कंपनियों के लिए हैं, और मौजूदा एमएसएमई की नई इकाइयों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इससे मौजूदा एमएसएमई के भीतर नई इकाइयों के बजाय नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना होती है। इसके परिणामस्वरूप अधिक इकाइयां होती हैं जो बड़ी इकाइयों में बढ़ने के बजाय छोटे रहते हैं। नई इकाइयों की स्थापना की तुलना में मौजूदा इकाइयों में पूंजी विस्तार पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए एमएसएमई को अनुमति देने से उनका विस्तार होगा और उनकी ऋण तक बेहतर पहुंच होगी।

(iii) सूक्ष्म उद्यमों के बीच वित्तीय साक्षरता का समर्थन करना: वित्तीय साक्षरता का समर्थन करने के लिए पहल, जो एमएसएमई, विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यम के लिए अच्छे लेखांकन, प्रलेखन और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रथाओं के महत्व को समझाने में मदद करती है और उन्हें क्रेडिट तक बेहतर पहुंच बनाने और उनके विकास को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती है।

(च) साख

डिजिटल ऋण के लिए जोर डालना : बैंकों की सीमित भौगोलिक पहुंच एसएमई के लिए एक स्वस्थ क्रेडिट पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक है। फिनटेक के डिजिटल उधार मॉडल उन्हें एमएसएमई के साथ अंतिम मील कनेक्टिविटी स्थापित करने की अनुमति देते हैं, और उन्हें नकद प्रवाह, जीएसटीएन, उपयोगिताओं और अंडरराइटिंग के लिए पेरोल भुगतान जैसे वैकल्पिक डेटा बिंदुओं का उपयोग करने की उनकी क्षमता के साथ मशीन लर्निंग (एमएल) और आर्टिफिकल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए नए तरीकों के साथ आने में सक्षम बनाते हैं । इंटरनेट की व्यापक पहुँच में अत्यधिक वृद्धि और व्हाट्स एप जैसे प्लेटफार्मों के व्यापक उपयोग के साथ, पारिस्थितिकी तंत्र अच्छी तरह से पनपने के लिए तैयार है और एसएमई को क्रेडिट के वितरण को डिजिटल-फर्स्ट और निर्बाध बनाने के लिए अभिनव तरीकों के साथ आगे आने के लिए नीति और निवेश के माध्यम से, समर्थित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, हमारा मानना है कि वित्तीय सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में हर किसी ने महसूस किया है कि फिनटेक ऋणदाता, पारंपरिक बैंकों और एनबीएफसी के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में कार्य करने के बजाय, वास्तव में उनके लिए भागीदारों के रूप में कार्य करेंगे, जिससे उन्हें उन जगहों पर उधार देने में मदद मिलेगी जहां वे पहले सक्षम नहीं थे। **बैंकों को व्यापार और निवेश दोनों के माध्यम से फिनटेक ऋणदाताओं के साथ साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।**

4.10 इस विषय पर 31 दिसंबर, 2021 को प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति की प्रतिक्रिया पर आम तौर पर जनता और विशेष रूप से विशेषज्ञों/हितधारकों/संगठनों से विचार/सुझाव प्राप्त हुए थे, जिसे किया गया था। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

(i) <u>सॉल्व प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोल्लम (केरल)</u> एमएसएमई को ऋण देने पर ली जा रही ब्याज दरों को नियंत्रित किया जाना चाहिए और बैंकों को मूलधन या ब्याज की किस्तों के भुगतान में देरी या अधिक देय राशि पर कोई दंडात्मक या अतिरिक्त ब्याज वसूलने से बचना चाहिए।

(ii) बैंकों को नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट (ओडी) सीमाओं पर अपनी मार्जिन आवश्यकता को 10 से 15 प्रतिशत तक कम करने के लिए कहा जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी और

सिक्युरिटी या प्रलेखन की आवश्यकता के बिना अतिरिक्त ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए सभी उधारकर्ताओं की पात्रता स्वचालित रूप से होगी।

(iii) एनपीए वर्गीकरण मानदंडों को 90 दिन से बढ़ा कर 180 दिन कर दिया जाना चाहिए या कम से कम वर्गीकरण को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

(iv) आरबीआई द्वारा घोषित पुनर्गठन योजना 2.0 का विस्तार उन सभी एमएसएमई को शामिल करने के लिए किया जाना चाहिए जो 31 मार्च 2020 के बाद दबाव में आ गए थे, न कि 31 मार्च 2021 की तिथि को मानक बनाया जाना चाहिए। मौजूदा पात्रता मानदंडों के साथ बहुत कम एमएसएमई पुनर्गठन का लाभ लेने में सक्षम होंगे।

(v) नकदी की कमी से जूझ रहे एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक "वैकल्पिक रेटिंग तंत्र" बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने में मदद मिल सके। रेटिंग एजेंसियां वर्तमान में एमएसएमई की रेटिंग के लिए भी कॉर्पोरेट्स के लिए तैयार नियमों का पालन करती हैं।

(ख) फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफटीसीसीआई), हैदराबाद

(i) क्लस्टर लेंडिंग: बैंकों पर जिम्मेदारी से और पर्याप्त रूप से समय पर उधार देने के बढ़ते दबाव के संदर्भ में, बैंकों के लिए क्लस्टर और औद्योगिक एस्टेट या औद्योगिक पार्कों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेडएस) में ऋण देना अच्छा होगा, जिससे सूचना की विषमता काम होगी, बेहतर अंतर - फर्म तुलना होगी, और क्रेडिट की लागत प्रभावी निगरानी हो पाएगी। ऐसा क्रेडिट उस श्रेणी के स्टैंड-अलोन उद्यमों के लिए क्रेडिट से कम से कम एक प्रतिशत कम होना चाहिए।

(ii) सावधि ऋण अधिस्थगन: विनिर्माण एमएसईएस के लिए सावधि ऋण के लिए अधिस्थगन वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद न्यूनतम 18 महीने और अधिकतम 24 महीने या कम से कम छह महीने होना चाहिए।

(iii) कार्यशील पूंजी अधिस्थगन: भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबीएस) इकाइयों के व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने से पहले कार्यशील पूंजी खाते खोलते हैं। वे परियोजना लागत में ब्याज को पूंजीकृत करने की बजाय कार्यशील पूंजी खाते में सावधि ऋण पर त्रैमासिक ब्याज डेबिट करते हैं, खाते को अनियमित या गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीएएस) बनाते हैं, इससे पहले कि वे उद्यम उत्पादक बन जाएं। अत: बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे परीक्षण उत्पादन शुरू होने के बाद ही कार्यशील पूंजी का संचालन करें और उद्यमी के कार्यशील पूंजी खाते से सावधि ऋण पर ब्याज राशि डेबिट नहीं करें। इससे वास्तविक उत्पादन शुरू होने पर धन की उपलब्धता की रक्षा होगी।

(iv) एनपीएएस के रूप में घोषित 60-70% इकाइयों में, यह ऋण की असामयिक स्वीकृति या मांगी गई ऋण राशि में अपर्याप्तता के कारण है। ज्यादातर मामलों में, उद्यम को पहले शाखा प्रबंधक के विवेक के तहत ऋण लेने के लिए कहा जाता है और वह बाद में संशोधन की मांग कर सकता है। फील्ड स्टाफ/शाखा प्रबंधक के प्रत्येक उत्तराधिकार के साथ इस तरह के संशोधन को अस्वीकार

कर दिया जाता है, जबकि वार्षिक रूप से खाते को पुनर्जीवित करना जो आरबीआई के नियमों के अनुसार अनिवार्य है, बैंक अनंतिम बैलेंस शीट पर विचार नहीं करते हैं और ऑडिटेड बैलेंस शीट पर जोर देते हैं।

(v) एमएसईएस के लिए ऋण तक पहुंच कठिन बनी हुई है क्योंकि ऋणदाता उन्हें उच्च-जोखिम और महंगा पर्यवेक्षित-क्रेडिट मानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक कार्यकारी समूह की 551 (लघु-उद्योग) क्षेत्र को ऋण के प्रवाह के बारे में 2004 की रिपोर्ट को देखना सही होगा जिसमें 4-सी दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया गया था अर्थात् कस्टमर फोकस, कॉस्ट कंट्रोल, क्रॉस-सेल और कंटेन रिस्क।

(ग) पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

(i) प्री-पेमेंट शुल्क: बैंक उधारकर्ताओं द्वारा टर्म लोन के प्रीपेमेंट पर दो से तीन प्रतिशत तक प्री-पेमेंट चार्ज लेते हैं। ये पूर्व भुगतान शुल्क जल्दी भुगतान के लिए दंड के रूप में लगाए जाते हैं जो उधारकर्ताओं द्वारा उनकी देनदारियों के निर्वहन के प्रति प्रदर्शित दक्षता और ईमानदारी की भावना के विपरीत है। इसलिए यह वांछनीय है कि एमएसएमई द्वारा ऋणों के शीघ्र भुगतान के लिए बैंकों द्वारा कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लगाया जाए।

(ii) आयकर दरों का युक्तिकरण: घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर में हालिया कटौती अत्यधिक प्रशंसनीय है क्योंकि इससे विनिर्माण क्षेत्र में निवेश में तेजी आएगी, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और देश के आर्थिक विकास की गति शुरू होगी। आगे बढ़ते हुए, हमारा सुझाव है कि प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्मों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपीएस) के लिए कॉर्पोरेट टैक्स, जिसमें अधिकांश एमएसएमई शामिल हैं, को भी पुराने के लिए 22% और नए उद्यमों के लिए 15% के समान कर के अनुरूप कम किया जाना चाहिए जैसा की कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा घोषित दरों के मामले में है। इसके अलावा, एमएसएमई को विशेष कर छूट प्रदान की जानी चाहिए जो देश में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं।

(iii) प्रमोटरों/निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी: बैंक ऋण के लिए प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के अलावा प्रमोटरों और निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी हासिल करने पर भी जोर देते हैं जो प्रमोटरों पर अनुचित बोझ डालता है। जब प्रमोटरों ने कंपनी में अपनी पूंजी का निवेश किया है तो उनकी देयता कंपनी अधिनियम और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपीएस) में प्रावधानों की भावना के अनुसार सीमित होनी चाहिए। बैंक, किसी भी मामले में, प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के माध्यम से सुरक्षित रहते हैं और इसलिए व्यक्तिगत गारंटी को तीसरी सुरक्षा के रूप में नहीं मांगा जाना चाहिए जब ऋण अन्य संपार्श्विक के माध्यम से सुरक्षित होता है।

(घ) पैरी एंड कंपनी (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स), नोएडा एमएसएमई संस्थाओं को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन: एमएसएमई को कुछ प्रोत्साहन होना चाहिए, यदि उनका प्रदर्शन लगातार अच्छे स्तर पर बना रहे। विभिन्न मानकों पर इसका मूल्यांकन करने के लिए यार्डस्टिक जैसे नियमित जीएसटी भुगतान, भविष्य निधि (पीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) भुगतान, आयकर भुगतान, बैंक ऋण वापसी आदि हो सकते हैं। उस स्थिति में एमएसएमई संस्थाओं की श्रेणी होनी चाहिए जैसे स्टार निर्यातकों की होती है, और तदनुसार सकल घरेलू उत्पाद और भारत के विकास में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए उनको आयकर में छूट, ब्याज की दर में छूट आदि के रूप में प्राथमिकताएं/प्रोत्साहन दी जा सकती हैं।

ङ एमएसएमई लिस्ट.कॉम

(एक) एमएसएमई को ऋण देने के कठिन दस्तावेजी प्रक्रिया कठोर कानून, अतिरिक्त गारंटी, कोलैटरल की आवश्यकता, पूनर्भुगतान की कठिन समय सीमा और ब्याज की उच्च दर शामिल है। वित्तीय संस्थानों ने एमएसएमई को ऋण देने के कार्यों में स्वयं की भागीदारी को ऋण के छोटे आकार संबंधित प्रक्रिया में

तुलनात्मक अधिक लागत और आवश्यक वित्त के संबंध में, सुरक्षा देने की उनकी सीमित योग्यता के कारण सीमित कर दिया है। यद्यपि, एमएसएमई बहुत बड़े अंश में आर्थिक क्रियाकलाप के कारण है, फिर भी बैंक इस क्षेत्र को पूंजी देने में संकोच करते हैं। इसके कारण, एमएसएमई को लिए ऋण का विकल्प चुनना तथा अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का सपना देखना, छोड़ना पड़ता है। बैंकों/वित्तीय संस्थानों को कठिन दस्तावेजी प्रक्रिया में ढील देने, कोलैटरल की आवश्यकता से मुक्ति देने, पुनर्भुगतान की कठिन समय सीमा में छूट देना, तथा ब्याज की दरों में कमी करने की मांग करना। एमएसएमई के आयकर विवरण देने के कार्य को भी उनके निष्पादन/ऋण पुनर्भुगतान की घोषणा करने से जोड़ा जाना चाहिए जिससे वित्तीय संस्थानों में एमएसएमई क्षेत्र को और अधिक ऋण देने का विश्वास आएगा।

(दो) कार्यशालाओं के आयोजन तथा सभी अंशधारकों/संस्थानों को शामिल करके बैंको/वित्तीय संस्थाओं को शिक्षित करना। इसके साथ-साथ एमएसएमई को भी यह बताया जाना चाहिए कि वे वित्तीय संस्थानों द्वारा यथा विहित पुनर्भुगतान की समयावधि का पालन करे जिससे चूक को कम किया जा सके।

च. प्रदीप भावे, भूतपूर्व बैंकर, मुंबई

(एक) एमएसएमई को ऋण देने का कार्य बैंको के लिए वरीयता वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि पिछले दो दशकों के दौरान, वरीयता क्षेत्र की परिभाषा में काफी वृद्धि हुई है, तथा बैंको के लिए पिछले इतिहास के आधार पर गृह ऋण देना एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण की तुलना में आसान है जो भविष्य के अनुमान पर आधारित है। अतः एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशिष्ट रूप से निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, जैसा कि कृषि क्षेत्र के लिए होता है। एमएसएमई में निवेश की तुलना में रोजगार सृजन के बेहतर अनुपात को देखते हुए सरकार/आरबीआई को एमएसएमई, जो की रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है, में ऋण के लिए कम जोखिम वाले पहलू पर विचार करना चाहिए।

(दो) एनपीए की स्थिती में आने वाले उन खातों के लिए समाधान ढूँढने की आवश्यकता जो ऋण लेने वाले के नियंत्रण से इतर कारणों से पैदा होते हैं। उसके लिए पुनर्गठन की प्रक्रिया अपनाये जाने की आवश्यकता है। ऋण के अतिरिक्त डोज की आवश्यकता हो सकती है।

(तीन) अभी बैंको द्वारा आवधिक दिन की अधिकतम अवधि (घर-घर जाकर पुनर्भुगतान अवधि) आठ वर्ष है। इस निर्धारण का अध्ययन किया जाना चाहिए और ऋण देने वाले बैंको को और लंबी अवधि देनी चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि एनबीएफसी अवधि के बारे में लचीलापन दिखाते हैं यद्यपि उनकी वो ज्यादा है। बैंक निधियों की कम लागत के कारण उन्हें निश्चित संपत्तियों के लिए दीर्घावधि के ऋण देने में

क्या दिक्कत होगी, जबकि वे गृह ऋण देने की स्थिती में पुनर्भुगतान के लिए 35 वर्षों तक की समयावधि दे सकते हैं।

(चार) उपभोक्ता मामले मंत्रालय के "जागो ग्राहक जागो अभियान" की तरह एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और आरबीआई एमएसएमई उद्यमियों के बीच वित्तीय साक्षरता में वृद्धि कर सकते हैं कि ऋण लेने वाले के रूप में उनके अधिकार क्या हैं, जिससे कि वे सूचना प्राप्त और उत्तरदायी ऋण लेने वाले बन सके।

छ. बी. एल. चंडक, भूतपूर्व डीजीएम, सिडबी

व्यापार ऋण (टीसी) व्यापार, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के व्यापार की कार्यशील पूंजी का मुख्य कार्यात्मक आधार है। उससे ऋण के मुक्त आवागमन में सुविधा होगी जो कि व्यापार और उद्योग की पुनर्स्थापना की आवश्यक शर्त है और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी जरूरी है। बैंक ऋण के चैनल के पास तत्परता, सुविध अनौपचारिकता, कोलैटरल मुक्त ऋण के रूप में ऐसी पहुँच संस्थागत व्यवस्था क्षमता और टीसी लाभ क्षमता नहीं है जो कि टीसी को किसी प्रकार से स्थान ले सकें। टीसी के व्यवस्थागत व्यवधान पर ध्यान दिए बिना बैंक की पूंजी ऋण व्यवस्था को सुदृढ़ करने, मौद्रिक उपायों राहत उत्प्रेरक पैकेज और एनपीए प्रबंधन तंत्र से सीमित लाभ होगा।

ज. नरेश कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

सरकार एमएसएमई सेक्टर के वित्तपोषण के लिए निधियां जुटाने हेतु जनता के लिए एमएसएमई बॉन्ड जारी कर सकती है और इससे जनता से बहुत अधिक मात्रा में निधियां, प्रभावी रूप से प्राप्त हो जाएंगी जिससे एमएसएमई सेक्टर को कम ब्याज दर पर निधियां प्राप्त होंगी, जिसे ऋणदाता क्षेत्रों में लगाया जा सकता है और इससे वे एमएसएमई क्षेत्रों को ऋण/अग्रिम प्रदान कर पाएंगे।

अध्याय - पाँच

एम एस एम ई को विलम्ब से भुगतान और समाधान

5 .1 ऋण तक पहुँच के अलावा, एम एस एम ई को विलम्ब से भुगतान किया जाना एक अन्य बड़ी समस्या है, जिसके कारण उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनौपचारिक स्रोतों से महंगा ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विलम्ब से किये गए भुगतानों में ऐसी सभी धनराशियां, चाहे वे ऋण , क्रेताओं द्वारा इनवॉइस भुगतान इत्यादि हों , शामिल हैं, जो एम एस एम ई को समय पर नहीं पहुँच सकी।

5. 2 एमएम एस एम ई एस एम ई मंत्रालय द्वारा एम एस एम ई को समय पर भुगतान के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में पूछे जाने पर एम एस एम ई मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में निम्नवत बताया :

" जब एक क्रेता अपने आपूर्तिकर्ता को उसकी आपूर्तियों के लिए भेजे गए सामान/दी गई सेवाओं की स्वीकृति के 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं करता है, तब माइक्रो, स्माल और मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (एम एस एम ई डी) अधिनियम, 2006 के खंड 16 के अंतर्गत यथा उपबंधित, क्रेता को आर बी आई द्वारा अधिसूचित बैंक दर की तीन गुना राशि आपूर्तिकर्ताओं जो कि माइक्रो और लघु उद्यम हैं, को मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के अध्याय पाँच के खंड 18 (1) के अंतर्गत यथा उपबंधित, एम एस ई को विलम्ब से भुगतान के सम्बन्ध में एक पार्टी विवाद की स्थिति में सम्बंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, जहां आपूर्तिकर्ता का निवास है , माइक्रो, स्माल एंटरप्राइज फेसिलिटेशन काउन्सिल (एम एस ई एफ सी) को इसके बारे में बता सकती है। समाधान पोर्टल एम इस ई को विलम्ब से किए गए भुगतानों की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। एम एस एम ई मंत्रालय विलम्ब भुगतानों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों, मंत्रालयों, विभागों, सी पी एस ई इत्यादि के साथ नियमित निगरानी करता हैं। "

5.3 इसीप्रकार, एम एस एम ई की उस बकाया धनराशि, जो सी पी एस यू के पास लंबित है, के बारे में पूछे जाने पर एम एस एम ई मंत्रालय ने उत्तर दिया कि 24 दिसंबर, 2021 तक भुगतान न की गई धनराशि 992.66 करोड़ रुपए है।

5.4 आर बी आई द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 16,31,621.15 करोड़ रुपए वह अग्रिम धनराशि है, जो एम एस एम ई क्षेत्र की 30-06-2021 को बकाया धनराशि है।

अनसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एम एस एम ई क्षेत्र की बकाया राशि (धनराशि करोड़ रुपये में)

	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	30-06-2020	31-03-2021	30-06-2021
	ओ/एस अग्रिम धनराशि	ओ/एस अग्रिम धनराशि	ओ/एस अग्रिम धनराशि	ओ/एस अग्रिम धनराशि	ओ/एस अग्रिम धनराशि	ओ/एस अग्रिम धनराशि
माइक्रोइंटरप्राइजेज	5,66,137.92	6,75,200.50	7,46,043.67	7,28,139.51	8,21,027.77	7,17,519.51
स्मालइंटरप्राइजेज	5,83,215.90	6,38,030.79	6,67,734.90	6,45,305.31	6,62,998.50	6,16,917.69
मीडियमइंटरप्राइजेज	1,74,885.52	1,97,419.22	1,99,803.60	1,89,796.66	2,99,898.53	2,97,184.38
कुल एम एस एम ई	13,24,239.3	15,10,650.5	16,13,582.1	15,63,241.4	17,83,924.8	16,31,621.5

स्रोत : आर बी आई नोट्स - आई डी बी आई 31-3 -2018 तक पी एस बी डेटा में शामिल है

एम एस एम ई को समय पर भुगतान के लिए वर्तमान में किए गए कुछ प्रावधान निम्नवत हैं :

(क) व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस)

5.5 व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विभिन्न वित्तदाताओं के माध्यम से व्यापार प्राप्य के वित्त पोषण/ छूट को सरल बनाने का एक इलैक्ट्रॉनिक मंच है। विक्रेता, क्रेता एवं वित्तदाता

टीआरईडीएस मंच पर भागीदार हैं। केवल एमएसएमई ही टीआरईडीएस में विक्रेता के तौर पर भाग ले सकते हैं और बिल में छूट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

5.6 वर्तमान में, टीआरईडीएस मंच पहले से ही एमएसएमई को बिल में छूट प्रदान कर रहा है। इस व्यवस्था में विक्रेता/ क्रेता टीआरईडीएस पोर्टल पर चालान के आंकड़े भरते हैं। चालान /फैक्टरिंग यूनिट स्वीकृति के लिए प्रतिपक्ष के पास जाता है और प्रतिपक्ष द्वारा स्वीकृति के बाद चालान /फैक्टरिंग यूनिट को बोली के लिए आगे वित्तदाताओं को भेजा जाता है। दिनांक 19.11.2021 को टीआरईडीएस मंच पर 54,167.40 करोड़ रू. मूल्य के 24,38,372 चालानों कोसम्बन्धी छूट प्रदान की गई है।

5.7 वित्त मंत्रालय ने समिति को अपने लिखित निवेदन में बताया है किवर्तमान प्रवाह में, विक्रेता को टीआरईडीएस मंच पर चालान का पूरा विवरण हाथ से भरना होता है। एमएसएमई क्षेत्र की नकदी की समस्या के संबंध में, माननीय वित्त मंत्री द्वारा 2019-20 और 2020-21 के बजट भाषणों में की गई घोषणाओं के अनुसरण में फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 में संशोधन करने की मांग पर विधेयक की जांच में अपनी रिपोर्ट में वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति ने अपने 24वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) मेंकीगई सिफारिशों में से एक, जीएसटीएन ई-चालान पोर्टल के साथ टीआरईडीएस मंच का एकीकरण करना था, जिससे टीआरईडीएस मंच पर सभी जीएसटी चालानों को स्वचालित रूप से अपलोड किया जाना था ताकि चालानों की फैक्टरिंग के माध्यम से विक्रेताओं को निर्बाध वित्तपोषण में सक्षम किया जा सके और साथ ही विक्रेता के बारे में जानकारी के साथ वित्तदाता की मदद भी की जा सके।

(ख) माइक्रो और स्माल इंटरप्राइजेज फेसिलिटेशन काउंसिल (एम एस ई एफ सी)

5.8 माइक्रो,स्माल एन्ड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट ,2006 में माइक्रो और स्माल एंटरप्राइज को किए जाने वाले विलम्ब भुगतान के प्रावधान अंतर्विष्ट हैं। इस अधिनियम के खंड 15 - 24 में राज्य सरकारों से विलम्बित भुगतानों का सन्दर्भ प्राप्त होने/फाइल किये जाने पर विवादों के निपटान के लिए कोई भी सूक्ष्म अथवा लघु उद्यम जिसके पास वैध उद्योग आधार है, वे इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इन अधिनियम में प्रावधान है कि सूक्ष्म, लघु उद्यमों द्वारा दायर मामले की जांच के पश्चात् राज्य के एमएसएमईएफसी, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उपबंधों के अनुसार ब्याज सहित देय राशि के भुगतान हेतु खरीदार इकाई को निर्देश जारी करे। खरीदार आपूर्तिकर्ता को शेष राशि के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान, आरबीआई द्वारा अधिसूचित बैंक दर से तीन गुना अधिक राशि तक करने के लिए बाध्य है, आपूर्ति की गई वस्तु/दी गई सेवा लेने के 45 दिनों के भीतर वस्तु अथवा सेवा के लिए आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं करता। राज्य सरकारों से भी -

(एक) अथॉरिटी फॉर फाइलिंग एंट्रीप्यूनियर मेमोरेंडम

(दो) रूल्स ऑफ एमएसएफसी तथा

(तीन) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमएसएमईएफसी को अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है।

इस अधिनियम में निर्धारित उपबंधों के अनुसार एमएसईएफसी को जारी किए गए प्रत्येक निर्देश का निर्णय उक्त निर्देश दिए जाने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि अलीलकर्त्ता (आपूर्तिकर्ता की हैसियत से नहीं) अपील दायर करना चाहता है, तो एमएसईएफसी द्वारा किसी डिक्री अथवा आदेश को खारिज करने हेतु किए गए आवेदन को किसी भी न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता (आपूर्तिकर्ता नहीं.....) ने आवेदन के साथ अधिनियमित राशि का 75% जमा न कर दिया हो। व्यय विभाग ने इस आशय से एक ओएम जारी किया है कि खरीदार संगठन को उक्त भुगतान की तिथि से निर्धारित समय-सीमा के बाद निलंबित भुगतान के लिए प्रतिमाह 1% के दांडिक ब्याज का भुगतान करेगा।

माइक्रो और स्माल इंटरप्राइजेज फेसिलिटेशन काउंसिल (एम एस ई एफ सी) की स्थापना की अपेक्षा की गई है।

(ग) <u>एमएसएमई समाधान पोर्टल</u>

5.9 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने राज्य के संबंधित एमएसएमई एफसी के समक्ष वस्तु/सेवा के खरीददार के विरूद्ध आपूर्तिकर्ता एमएसएसई इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन फाइल करने के लिए एमएसएमई समाधान पोर्टल के रूप में एक पहल की है। एमएसईएफसी परिषद् इसके कार्यकरण की निगरानी करता है। इस पोर्टल पर सक्रिय कार्रवाई हेतु संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सीपीएसई, राज्य सरकारों आदि की पहुँच भी है। इस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 30.10.2017 (अर्थात् एमएसएमई समाधान के शुरु होने के बाद) एमएसईएफसी में 40,541 मामले दायर किए गए, जिसमें 13,816.14 करोड़ रु. की राशि अंतर्निहित है, आज की तिथि के अनुसार 12,737 मामलों, जिसमें कुल 2358.63 करोड़ रु. की राशि अंतर्निहित थी, का निपटान किया गया है। समाधान पोर्टल https://samadhaan.msme.gov.in/ के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयों तथा सीपीएसई द्वारा एमएसई को बकाया और मासिक भुगतान की रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम के रूप में एक सब पोर्टल दिनांक 14.06.2020 को शुरु किया गया था।

राज्य की रिपोर्टिंग हेतु एक समान ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित किया गया है और लागू किया गया है।

(घ) <u>गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम)</u>

5.10 जीईएम विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/पीएसयू द्वारा अपेक्षित सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। जीईएम का उद्देश्य सरकारी खरीद

पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह ई-बिडिंग, रिवर्स ई-ऑक्शन और मांग संग्रहण के साधन उपलब्ध कराता है ताकि सरकारी प्रयोक्ता अपने पैसे का उचित उपयोग कर सकें।

विक्रेताओं को समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए जीईएम द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है:

(i) पीआरसी और सीआरएसी का स्वतः उत्पादन व्यय विभाग के दिनांक 23.01.2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, जीईएम द्वारा अनंतिम रसीद प्रमाण-पत्र (पीआरसी) और परेषिती रसीद औऱ स्वीकृति प्रमाणपत्र (सीआरएसी) के स्वतः उत्पादन पहले ही शुरु हो चुका है, यदि ये खरीददार द्वारा समय पर जेनरेट नहीं किए जाते हैं।

(ii) विक्रेताओं को भुगतान में अधिक अनुशासन और समयबद्धता को बढ़ावा देने के लिए, व्यय विभाग के दिनांक 03.07.2020 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब भी कोई परेषिती रसीद और स्वीकृति प्रमाणपत्र (सीआरएसी) एक खरीददार द्वारा स्वतः उत्पन्न या जारी किया जाता है और उसके 10 दिन बाद भुगतान नहीं किया जाता है, तो खरीददार संगठन को इस तरह के भुगतान की तारीख तक निर्धारित समय-सीमा से परे विलंबित भुगतान के लिए प्रतिमाह 1% की दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा। इस संबंध में एकत्र की गई राशि को जीईएम द्वारा बनाए गए खाते में जमा किया जाएगा। यह ब्याज जीईएम द्वारा एक अलग खाते में रखा जाएगा, जिसका उपयोग केवल विक्रेताओं/खरीददारों आदि को शिक्षित करने या जीईएम से संबंधित अन्य उद्देश्यों या सार्वजनिक खरीद के लिए व्यय विभाग के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। यह 01.10.2020 से की गई सभी खरीदों के लिए लागू है।

(iii) भुगतान में देरी की निगरानी के लिए तंत्र: देय भुगतानों की समीक्षा के लिए सीपीएसई के सचिवों/एएस एंड एफए/ मुख्य सचिवों/सीएमडी को रीयल टाइम डैशबोर्ड प्रदान किए गए हैं।

(iv) जीईएम पूल खाता: प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को विक्रेताओं को शीघ्र और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए गैर-पीएफएमएस इकाइयों द्वारा जीईएम पूल खाता खोलने और संचालित करने का निदेश दिया गया है। इसके अलावा, भुगतान प्रणाली या जीईएम पूल खाते के साथ ऑनलाइन एकीकरण से विक्रेताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।

(ड़) <u>पीएसबी 59 मिनट ऋण योजना</u>

5.11 इसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र और व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए क्रेडिट ऑफ-टेक को बढ़ाना है। psbloansin59minutes पोर्टल 2 नवंबर 2018 को शुरू किया गया था ताकि मानवीय हस्तक्षेप के बिना लघु और मध्यम व्यवसायों को 1 करोड़ रूपये (जिसे बाद में बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया) तक के ऋण की सैद्धांतिक मंजूरी की सुविधा मिल सके।

5.12 जीएसटी प्रणाली ने जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई करदाताओं को एमएसएमई ऋण प्राप्त करने के लिए इस प्रणाली के साथ कुछ डेटा साझा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करने हेतु अक्टूबर 2018 से अपने पोर्टल पर एक विकल्प प्रदान किया था। इस योजना के तहत कुल 8,31,461 करदाताओं ने डेटा साझा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। दिनांक 21.11.2021 तक पोर्टल द्वारा संसाधित आवेदनों में से कुल 79,149 करोड़ रु. के 2,36,305 ऋण आवेदन बैंकों द्वारा अंतत: स्वीकृत किए गए और 2,20,106 मामलों में रु. 64,544 करोड़ का वितरण किया जा चुका है।

5.13 एमएसएमई पर यूके सिन्हा विशेषज्ञ समिति ने टीआरईडीएस के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। ये हैं:

(क) इस समिति ने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के विस्तार पर विचार-विमर्श किया और सभी टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म प्रदाताओं के पूल्ड एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के निर्माण की सिफारिश की, जो फाइनेंसरों को खरीदारों के पिछले पुनर्भुगतान इतिहास को समझने में सक्षम बनाएगा, इस प्रकार उन्हें और ज्यादा विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा । यह दोहरे वित्तपोषण की संभावना को भी समाप्त करेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) जो टीआरईडीएस के लिए निपटान इकाई के रूप में कार्य करता है, ऐसा एपीआई बनाने पर विचार कर सकता है।

(ख) समिति ने यह भी देखा कि प्लेटफॉर्म पर रिवर्स फैक्टरिंग को बढ़ावा नहीं मिला है, जिसे इसके अंतर्निहित लाभ के कारण बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसलिए, इसने सिफारिश की कि रिवर्स फैक्टरिंग के लिए एक दूसरी टीआरईडीएस विंडो बनाई जानी चाहिए ताकि आपूर्तिकर्ता को वित्तपोषण आसानी से प्रदान किया जा सके।

(ग) समिति ने व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) और जीईएम के बीच एकीकरण का सुझाव दिया था जिसके तहत एक एकीकृत प्रणाली के माध्यम से टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर छूट के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र वाले चालान पेश किए जाएंगे। इससे बिल में छूट मिलेगी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई) को भुगतान करने का समय मिलेगा और एमएसएमई आपूर्तिकर्ता को धन मिलेगा। जीईएम और टीआरईडीएस के एकीकरण को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है।

5.14 समिति के समक्ष उपस्थित होने वाले विभिन्न संगठनों/संघों/बैंकों ने एमएसएमई को विलंबित भुगतानों के समाधान के लिए मौजूदा तंत्र में कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है और ऐसे मुद्दों को हल करने के उपायों का सुझाव दिया है। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

(क) <u>झारखंड लघु उद्योग संघ, रांची</u>

(i) बहुत ही उचित शर्तों पर एमएसएमई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए टीआरईडीएस एक बहुत प्रभावी कदम है। हालांकि खरीदार इस तकनीक को अपनाने के लिए अनिच्छुक हैं और टीआरईडीएस के माध्यम से एमएसएमई भुगतान को रूट करते हैं। इसे कानून के तहत सभी अधिदेशीत द्वारा इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए।

टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई भुगतान को लागू करने के लिए राज्य सरकारों, राज्य के उपक्रमों और कंपनियों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ाने के लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।

(ii) बड़े उद्योगों/निगमों को सब्सिडी/अनुदान के वितरण से पहले "एमएसएमई का कोई बकाया नहीं": केंद्र/राज्य योजनाओं के तहत बड़े उद्योगों/कॉर्पोरेट घरानों को किसी भी सब्सिडी/अनुदान के वितरण को एमएसएमई को भुगतान न किए गए रकम की मंजूरी से जोड़ा जाना चाहिए। किसी भी सब्सिडी/अनुदान के संवितरण से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभार्थी के पास 45 दिनों से अधिक एमएसएमई का कोई पहले से बकाया राशि भुगतान नहीं है। एमएसएमई के लंबित पहले से बकाया भुगतान के मामले में मिलान राशि को तब तक रोके रखा जाना चाहिए जब तक कि पहले से बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता।

(iii) एमएसएमई लेनदारों से संबंधित दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी): एमएसएमई लेनदारों को सुरक्षित लेनदारों के रूप में माना जाना चाहिए और जब एक बड़े उद्योग/कॉर्पोरेट आईबीसी से गुजरते हैं तो उन्हें सरकारी बकाया के रूप में वसूल किया जाना चाहिए। एमएसएमई का बकाया पहले से ही एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत सुरक्षित है। लेकिन आईबीसी के वर्तमान प्रावधानों के तहत, एमएसएमई को बहुत ही नगण्य निपटान राशि मिलती है। कई बार इससे एमएसएमई बंद या एनपीए हो जाता है।

(ख) <u>दक्षिणी भारत इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसआईईएमए), कोयंबटूर</u>

बैंकिंग क्षेत्र विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण प्रणाली में सुधार करना होगा। बैंकों को अपने पुराने "अनुमोदक-आवेदक के रवैये" से दूर रहने और ग्राहकों को उनकी प्रगति में भागीदार के रूप में मानने की आवश्यकता है। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाकर उनके व्यवहार में बदलाव लाना होगा। आवेदक द्वारा ऋण आवेदन संसाधन और आवेदनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए एक निश्चित समय सीमा लागू की जाए। इससे ऋण प्रवाह में काफी वृद्धि होगी, क्योंकि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बिना किसी कारण बताए कई आवेदन महीनों तक लंबित रहते हैं। आवेदकों को अस्वीकृति, उनकी अनुरोधित ऋण राशि में कमी के कारण बताए जाने चाहिए । अस्वीकृति या कटौती पर अपील के लिए स्वतंत्र सदस्यों के साथ एमएसएमई के लिए एक अपीलीय बनाया जाना चाहिए।

(ग) <u>यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (यूसीपीएमए), लुधियाना</u>

(i) 45 दिनों के भुगतान की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन: 2006 के एमएसएमई विकास अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक खरीदार अपने एमएसएमई विक्रेताओं को 45 दिनों के भीतर भुगतान जारी करने के लिए बाध्य है।

यहां तक कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों को अपने एमएसएमई विक्रेताओं के भुगतान पर अपना छमाही रिटर्न दाखिल करने का आदेश दिया है, लेकिन फिर भी इसके परिणामस्वरूप 45 दिनों में एमएसएमई को भुगतान नहीं किया गया है। कभी-कभी ग्राहक 45 दिनों से अधिक की भुगतान शर्तों के लिए इसे अनिवार्य बना देता है, जैसे कि 60 या 75 दिन जिससे एमएसएमई को व्यावसायिक मजबूरी से सहमत होना पड़ता है, लेकिन एमएसएमई को 45 दिनों से अधिक की क्रेडिट अवधि के लिए उनके द्वारा किए गए ब्याज लागत के साथ प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। सरकार को एमएसएमई को अधिक तरलता और देरी से भुगतान के लिए ब्याज सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सख्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

(ii) इन्वॉइसेस के 100% वित्तपोषण की उपलब्धता : केन्द्र सरकार से गारंटी द्वारा समर्थित चालानों के 100% वित्तपोषण के लिए एक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एमएसएमई अधिनियम के तहत, खरीदारों को 45 दिनों के भीतर एमएसएमई को भुगतान करने के लिए अनिवार्य किया गया है और इसलिए एमएसएमई को सीजी गारंटी द्वारा समर्थित किसी भी समर्थन के बिना इन्वॉइस की 100% राशि के लिए अपने इन्वॉइसेस को डिस्काउंट कराने की सुविधा दी जानी चाहिए। अभी तक भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) जैसी कोई सुविधा एमएसएमई के पास उपलब्ध नहीं है ताकि उनकी प्राप्तियों को सुरक्षित किया जा सके।

(घ) <u>एक्सिस बैंक</u>

(i) प्राप्य वस्तुओं के शीघ्र भुगतान के माध्यम से नियमित नकदी प्रवाह के मुद्दे को आसान बनाने के लिए, सरकार प्लेटफार्म के उपयोग को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर, टीआरईडीएस जैसे इनवॉइस डिस्कॉउंटिंग प्लेटफार्मों को अपनाने को प्रोत्साहित कर सकती है।

(ii) एमएसएमई के नकदी प्रवाह को आसान बनाने के लिए सभी पीएसयू संस्थाओं को टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना । इसके अलावा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संस्थाओं से एमएसएमई प्राप्य के शीघ्र भुगतान को प्रोत्साहित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्य अल्पकालिक बने रहें और कार्यशील पूंजी सुविधाओं के तहत बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया जा सके। बेहतर नकदी प्रवाह से एमएसएमई के लिए उधार ली गई कार्यशील पूंजी पर कम बोझ पड़ेगा और उनकी क्रेडिट योग्यता में सुधार होगा।

(ङ) <u>एचडीएफसी बैंक</u>

एमएसएमई को ऋण के वितरण के लिए डिस्बर्समेंट टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) को कई हफ्तों से घटाकर 2 दिन से कम किया जाना: बैंक, संपत्ति के बंधक को छोड़कर दस्तावेजों के लॉगिन, क्रेडिट मूल्यांकन, मंजूरी पत्र जारी करने और ऋण दस्तावेजों के निष्पादन से डिजिटल रूप से संसाधित करने में सक्षम हैं। बंधक रखने की डिजिटल प्रक्रिया और डिजिटल सुरक्षा निर्माण को पूरे भारत में आम बनाया जाना चाहिए और यह राज्य कानूनों या स्थानीय न्यायालयों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। स्टांप शुल्क,

डिजिटल रूप से एकत्र किए जा सकते हैं और सभी सुरक्षा निर्माण, यदि डिजिटल रूप से सक्षम किये जाएं, तो यह ग्राहकों के लिए क्रेडिट डिलीवरी के समय और लागत को काफी हद तक कम कर देगा।

5.15 इस विषय पर प्रेस विज्ञप्ति के के सन्दर्भ में, आम तौर पर जनता और विशेष रूप से विशेषज्ञों/हितधारकों/संगठनों से विचार/सुझाव प्राप्त हुए थे, जिसे 31 दिसंबर, 2021 को प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

(क) फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफटीसीसीआई), हैदराबाद

प्रचार और जवाबदेही: एमएसएमई के ऋण आवेदनों को एक निश्चित समय सीमा में निपटाया जाना चाहिए और आवेदन की तारीख को एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। इस तरह के रजिस्टर में प्रविष्टी, वर्तमान में ऋण स्वीकृत होने से पहले ही होती है। परिणामस्वरूप, न तो भारतीय रिजर्व बैंक और न ही सरकार को मंजूरी में देरी और एमएसएमई को ऋण में देरी/इनकार करने के कारणों के बारे में पता होता है। वितरण तंत्र से संबंधित अनुदेशों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

(ख) पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा समय पर भुगतान जारी करना: सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए बिलों के भुगतान में काफी विलम्ब हो जाता है। इन भुगतानों को एमएसएमई के सुचारू और कुशल कामकाज के लिए सख्त समय-सीमा का पालन करके बिना किसी देरी के समय पर वापस किया जाना चाहिए।

(ग) श्रीपारसनाथ इंडस्ट्रीज

एमएसएमई देनदारों के भुगतान को 45 दिनों के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि डूबा हुआ ऋण वसूली 90 दिनों के भीतर (बिल की तारीख से) पूरी नहीं होती है, तो एमएसएमई के पास जीएसटी पोर्टल पर दावा करने वाले आयकर क्रेडिट (आईटीसी) से देनदार को रोकने की शक्ति होनी चाहिए, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई डूबा हुआ ऋण नहीं है और एमएसएमई को भी बैंक ब्याज से कुछ राहत मिलती है। इससे एमएसएमई इकाइयों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

(घ) भिलाई टेक्नीड्स, भिलाई

एमएसएमई को पीएसयू के साथ-साथ बड़े उद्योगों द्वारा देरी से भुगतान उसकी निधि के प्रवाह में बाधा है। एमएसएमई की राज्य की सुविधा परिषदों तक कोई पहुंच और दबाव नहीं है और सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के बाद भी, निर्णय लेने में वर्षों तक देरी होती है और इसका कारण परिषद के सदस्य और राज्य सरकारें ही सबसे अच्छे से बता सकती हैं। वर्षों तक कोई बैठक नहीं होती

है और दिवाला कानूनों, जिसका उद्देश्य चूक करने वाली फर्म का पुनर्गठन है न कि एमएसएमई के बकाया की वसूली, के कारण निर्णय अटके रहते हैं।

(ङ) पार्टी एंड कॉ. (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स), नोएडा

एमएसएमई अधिनियम में एमएसएमई को देरी से भुगतान की क्षतिपूर्ति के प्रावधान हैं लेकिन इसके लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म व्यावहारिक रूप से बहुत प्रभावी नहीं है और यह समय लेने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए कोई निगरानी एजेंसी नहीं है, जो इसे केवल कागजों पर उपलब्ध सुविधा बनाती है। इसलिए हम इसे और प्रभावी बनाने का सुझाव देते हैं, ताकि एमएसएमई संस्थाओं को लाभ मिले और विलंबित भुगतान के मामले को कम किया जा सके।

(च) प्रदीप भावे, पूर्व बैंकर, मुंबई

(i) प्राप्य के बदले उधार: बैंक प्राप्तियों के बदले उधार देते समय 25% से 40% मार्जिन लेते हैं। इस प्रकार, इसका अर्थ है कि 100 रुपये के प्राप्य के मुकाबले केवल 60 रुपये उधार देना। मार्जिन के रूप में रखा गया यह 40 रुपये सामान्य रूप से एमएसएमई के लाभ को 400% दिखाता है यदि हम मानते हैं कि वह बिक्री पर 10% के अच्छे लाभ मार्जिन पर काम करता है। एक छोटे एमएसएमई उद्यमी के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस में छूट देना मुश्किल है। इस विचार को छोड़ दें कि एक बार जब वह प्लेटफॉर्म पर अपना इनवॉइस डालता है, तो उसे उधारदाताओं से दर सूची प्राप्त होगी और वह उनमें से सबसे अच्छा चुन सकता है। बिक्री के बाद पर्याप्त फंडिंग एक बड़ी अड़चन है। इनवॉइस के भुगतान के लिए एक व्यापक समाधान खोजने की आवश्यकता है, जिसमें इनवॉइस फंडिंग का साधन भी शामिल है, जिसे क्रेडिट बीमा द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

(ii) एक बड़ी व्यावसायिक इकाई के लेखा परीक्षक द्वारा प्रकटीकरण कि एमएसएमई को कोई अतिदेय देय नहीं है, का कोई फायदा नहीं है। इससे भुगतान की गति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके बजाय, यह लेखा परीक्षक द्वारा स्वामी पर भार डालते हुए एक मानक प्रकटीकरण प्रतीत होता है। यदि एसएमई को ऋण/भुगतान प्रवाह में सुधार करना है, तो यह आवश्यक है कि गैर-एमएसएमई क्षेत्र के व्यवसायों को अनिवार्य रूप से प्राप्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया जाए। जब तक प्राप्य प्लेटफॉर्म पर खरीदार का नाम नहीं आता, तब तक आहर्ता को छूट कौन देगा? प्रमाणन परिणाम देने में विफल रहा है।

(छ) शैलेश भाटिया, दिल्ली

पूंजी तक पहुंच के संदर्भ में एमएसएमई को लंबित या विलंबित भुगतानों में तेजी लाई जानी चाहिए। टीआरईडीएस के माध्यम से एमएसएमई को भुगतान की केंद्रीय स्तर पर बारीकी से निगरानी और इसे अच्छी तरह से समन्वित तरीके से किए जाने की आवश्यकता है। सरकार पहले से ही एमएसएमई को टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि यह उन्हें इनवॉइस में छूट का और उनके विलंबित भुगतान के मुद्दे के अस्थायी हल के लिए बैंकों से अल्पकालिक ऋण जुटाने का

विकल्प प्रदान करता है। एमएसएमई को डिजिटल होने और सभी इनवॉइस को टीआरईडीएस पर बनाने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि नकदी की कमी को कम किया जा सके और उनकी पूंजी की कमी संबंधी दबाव को कम किया जा सके।

(ज) बी एल चांडक, पूर्व डीजीएम, सिडबी

पुनर्भुगतान ऋण योग्य निधियों के पुनर्चक्रण को पूरा करता है और ऋण देने की गतिविधियों को सतत बनाता है। बाजार अर्थव्यवस्था के लिए पुनर्भुगतान की गति महत्वपूर्ण है। व्यापार ऋण (टीसी) चैनल में व्यवधान बैंक के ऋण प्रवाह, तरलता निधि, ऋण परिसंचरण की गति और अर्थव्यवस्था की ऋण निर्माण क्षमता को प्रभावित करते हैं। देर से भुगतान/चूक और वित्तीय रुग्णता की दर के बीच एक स्पष्ट संबंध है।

अध्याय-छह

एमएसएमई के वित्तपोषण में एनबीएफसी की भूमिका- एसआईडीबीआई द्वारा एनबीएफसी की होलसेल फाइनेंसिंग

6.1 अक्टूबर, 2017 के आरबीआई बुलेटिन के अनुसार, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) ने बैंकों के साथ अनुपूरण और प्रतिस्पर्धा करके, और वित्तीय मध्यस्थता में दक्षता और विविधता लाकर भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संचालन, विविधता, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता और विनियामक ढॉचे के मामले में एनबीएफसी का काफी विकास हुआ है। आरबीआई बुलेटिन के अनुसार, एनबीएफसी वित्तीय क्षेत्र की कुल संपत्ति का लगभग 9 प्रतिशत है जो वाणिज्यिक बैंकों (64%) और बीमा कंपनियों (14%) के बाद तीसरा सबसे बड़ा खंड है।

एमएसएमई के वित्तपोषण में एनबीएफसी की भूमिका

6.2 एमएसएमई उधारगृहीता एनबीएफसी को तेजी से पसंद कर रहे हैं क्योंकि वे न केवल समपूरक हैं बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाकर, त्वरित निर्णय लेकर, त्वरित सेवाएं प्रदान कर और विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से बैंकों का स्थान भी ले रहे हैं। उनकी क्रेडिट बुक लगभग 27 लाख करोड़ रुपये की है और उनका एमएसएमई/खुदरा व्यापार/सेवा/सीवी पोर्टफोलियो लगभग 7 लाख करोड़ रुपये का है। जब बैंकिंग प्रणाली पर दबाव पड़ता है तो ये वित्तीय सेवाओं के दायरे को बढ़ाकर और इसके लचीलेपन को बढ़ाकर बैकअप संस्थानों के रूप में कार्य करते हैं।

6.3 संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी अंतर्निहित जोखिमों के बोझ का भी वहन करता है जिसमें अतिरिक्त लीवरेज, बैंक से एनबीएफसी को प्राथमिकता वाले ऋण देने वाले क्षेत्र के दर्जे को अलग करना, ऋण जोखिमों की आलोचनीयता, अपर्याप्त वैधानिक वसूली उपकरण और केंद्रीय बैंकों से अपर्याप्त लाभ और चक्रीयता का प्रवर्धन शामिल है। एनबीएफसी के सामने कई चुनौतियाँ हैं लेकिन आरबीआई ने चुनौतियों पर ध्यान दिया है और गैर-बैंकिंग संस्थानों के लिए कुछ मध्यम श्रेणी के निर्णय लिए हैं।

6.4 आसान पहुंच, अधिकतम वित्त पोषण, दूरदराज के इलाकों तक पहुंच और बेहतर विनियमन के बावजूद एनबीएफसीएस को बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज दर और प्रोसेसिंग शुल्क वसूलने का नुकसान होता है। एनबीएफसीएस द्वारा प्रभारित ब्याज दरों में काफी भिन्नता है, कहीं-कहीं यह 15 से 25 प्रतिशत के बीच है और यह बैंक से जिस दर पर ऋण प्राप्त कर पाते हैं उस पर निर्भर करती है। यह एनबीएफसीएस की व्यवहार्यता और क्रेडिट प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

बैंकों और एनबीएफसीएस द्वारा सह-ऋण

6.5 सिडबी के अनुसार, एमएसएमई को ऋण देने के लिए एनबीएफसीएस महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरे हैं। पिछले कुछ वर्षों में एनबीएफसीएस की पहुंच और आकार में काफी वृद्धि हुई है। अधिकांश एनबीएफसीएस एमएसएमई के प्रस्तावों को तुरंत तैयार करने और अंडरराइट करने के लिए नवीनतम प्रोद्यौगिकी का उपयोग करते हैं। हालांकि, बैंकों की तुलना में उनकी निधि की लागत अपेक्षाकृत अधिक है। वहीं बैंक एमएसएमई को सहायता देने के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। इसलिए, एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी दरों पर तुरंत ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों और एनबीएफसीएस के बीच सहयोग की परिकल्पना की गई

थी। अर्थव्यवस्था के असेवित और कम सेवित क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह में सुधार करने और ऋण को वहनीय बनाने के लिए आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसीएस द्वारा सह-ऋण हेतु दिशानिर्देश बनाए हैं। प्रमुख बैंकों द्वारा साझेदारियों की घोषणा के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरूआत हो गई है।

सिडबी के कार्य

6.6 सिडबी एमएसएमई क्षेत्र के लिए देश का शीर्ष विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) है जो संस्थागत वित्त, प्रत्यक्ष वित्त और माइक्रो फाइनेंस, एनबीएफसीएस, वेंचर कैपिटल, रेटिंग, डिजिटल मार्केट प्लेस इत्यादि जैसे कई पारिस्थितिक तंत्रों की सहायता में लगा हुआ है। हाल के वर्षों में, सिडबी को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि), प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाएं, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), और पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, आदि जैसे बड़े कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भारत सरकार के स्त्रोत के रूप में एक बड़ी भूमिका दी गई है।

6.7 एमएसएमई क्षेत्र के शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में सिडबी ने इस क्षेत्र की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न पहलें की है। 31 मार्च, 2021 तक बैंक का कुल ऋण और अग्रिम 1,56,233 करोड़ रुपये था और 26/11/2021 तक 1,57,371 करोड़ रुपये था।

सिडबी संस्थागत वित्तपोषण

6.8 सिडबी की संस्थागत वित्त बही देश में कुल एमएसएमई बकाया ऋण का लगभग 10 प्रतिशत है। सिडबी 30 बैंकों, 9 एसएफबीएस, 86 एनबीएफसीएस और 28 माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआईएस) के माध्यम से एमएसएमई को सहायता प्रदान करता है। 26/11/2021 की तिथि तक संस्थागत वित्तपोषण के तहत बकाया पोर्टफोलियो 1,45,660 करोड़ रुपये था।

6.9 सिडबी द्वारा एनबीएफसी वित्तपोषण को बढ़ाने की आवश्यकता

(क) सिडबी लगभग 2 दशकों से एनबीएफसीएस की सहायता कर रही है, हालांकि छोटे पैमाने पर। इसके अलावा, इस मेनलाइन योजना के तहत केवल ऊपरी रेटेड एनबीएफसी को लक्षित किया गया था। वर्ष 2018 में, बैंक ने डिजिटल/ फिनटेक एनबीएफसीएस को100 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक योजना की शुरूआत की गई है जिसमें BBB- तक की रेटिंग वाले एनबीएफसीएस को सहायता प्रदान की गई थी। तब से इस योजना को एक नियमित योजना के रूप में शुरू किया गया है और लगभग 23 फिनटेक एनबीएफसी को फिनटेक योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, सिडबी आरबीआई से विशेष चलनिधि निधि सहायता के तहत भी योजनाएँ संचालित करता है जिसमें BBB- और उससे ऊपर की रेटिंग वाले एनबीएफसी को सहायता दी जा रही है।

सभी योजनाओं के तहत एनबीएफसी पोर्टफोलियो में वर्तमान बकाया 13,000 करोड़ रुपये है और वित्त वर्ष 2022 तक इसके 17,000 करोड़ रुपये को पार करने की उम्मीद है।

ख) देश में उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की बढ़ती आवश्यकता के साथ, अपेक्षाकृत छोटे एनबीएफसी और एमएफआई की भूमिका, जो आमतौर पर दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों (ऋण की कमी वाले, पिछड़े और आकांक्षी जिलों सहित) में काम करते हैं, की भूमिका पहले से कहीं अधिक सामने आ गई है। ये छोटे एनबीएफसी, जो 'नेक्स्ट-डोर' के अपने अद्वितीय लाभ के कारण आम तौर पर अनौपचारिक एमएसएमई क्षेत्र, विशेष रूप से न्यू टु क्रेडिट (एनटीसी) व्यवसायो, छोटे खुदरा व्यापार, सूक्ष्म ऋण और अन्य छोटे घरेलू व्यवसायों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, को पर्याप्त संस्थागत वित्त पोषण के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में, सिडबी ने पहले ही कुछ योजनाएं शुरू की हैं जैसे (i) एनबीएफसी, एमएफआई, बैंकों और एसएफबी को दोहरे मध्यस्थता के माध्यम से संसाधन सहायता, (ii) पूल्ड ऋण जारी करना, (iii) एआईएफ प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई को वित्तीय सहायता, आदि।

(ग) ऐड्रेसेबल एनबीएफसी बाजार खंड

(एक) जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई), निवेश और क्रेडिट कंपनियां (आईसीसी), इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां (आईएफसी) और एनबीएफसी-एमएफआई मार्च 2021 में कुल परिसंपत्ति का 98% के लिए उत्तरदायी रहीं। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं:

• एनबीएफसी द्वारा ऋण और अग्रिम - रु 27 लाख करोड़

• एमएसएमई, खुदरा व्यापार, सीवी, सेवा क्षेत्र को ऋण – 7 लाख करोड़ रुपये

• एनबीएफसी द्वारा दिए गए ऋण का 96% आईसीसी और आईएफसी को दिया जाता है।

• एनबीएफसी को बैंक ऋण - 7 लाख करोड़ रुपये (ऋण)

• एनबीएफसी द्वारा डिबेंचर के माध्यम से उधार - 10 लाख करोड़ रुपये

• अन्य स्रोतों से एनबीएफसी का उधार - 7 लाख करोड़ रुपये।

(दो) इस प्रकार, सिडबी के लिए एनबीएफसी की अधिक विविध श्रेणी के लिए वित्त प्रदान करके एनबीएफसी क्षेत्र के साथ अधिक व्यापक जुड़ाव रखने के साथ-साथ छोटे एनबीएफसी प्लेयरों की क्षमता निर्माण के लिए उन्हें बड़ी भूमिकाएँ लेने के लिए मजबूत संस्थाओं में बदलने की एक बड़ी गुंजाइश है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित पोर्टफोलियो विकास रणनीतियों का प्रस्ताव है:

• अन्य एनबीएफसी को ऋण पुनर्वित्त: छोटी एनबीएफसी द्वारा उधार का बड़ा हिस्सा अन्य बड़ी एनबीएफसी से - या तो सावधि ऋण (टीएल) या गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) द्वारा - जो कि 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है (कुल 17 लाख करोड़ रुपये में से)। पात्र क्षेत्र को कुल एनबीएफसी ऋण लगभग 5 लाख करोड़ रुपये है। यह मानते हुए कि इस राशि का 10% अन्य एनबीएफसी को पुनर्वित्त किया जा सकता है, यह 50,000 करोड़ रुपये का नया कारोबार देगा। इस प्रकार, डीआई (रिसोर्स सपोर्ट थ्रू डबल इंटरमेडिएशन) क्षेत्र के लिए सहायता बढ़ाने का मार्ग होगा।

• एनबीएफसी (फिनटेक एनबीएफसी सहित) में इक्विटी निवेश - सिडबी इस क्षेत्र में कॉरपोरेट गवर्नेंस लाने और इस तरह छोटे और कमजोर एनबीएफसी को भविष्य में मजबूत वित्तीय मध्यस्थों में बदलने सहित क्षेत्र के क्षमता निर्माण के मिशन के साथ छोटी एनबीएफसी में इक्विटी हिस्सेदारी ले सकता है। यदि 100 एनबीएफसी में औसतन 10 करोड़ रुपये की इक्विटी है, सिडबी 1000 करोड़ रुपये प्रदान कर सकता है।

• पूल ऋण जारी करने के तहत छोटी एनबीएफसी को प्रत्यक्ष ऋण - रु. 5 करोड़* 100 एनबीएफसी - रु. 500 करोड़

• बड़ी एनबीएफसी को प्रत्यक्ष ऋण - 10000 करोड़ रु

• सह-उधार – 10000 करोड़ रुपये

• अन्य क्षेत्रों में जैसे इन्फ्रा फाइनेंसिंग एनबीएफसी में उद्यम: आईएफसी (इन्फ्रा फाइनेंसिंग एनबीएफसी) का बकाया ऋण और अग्रिम राशि 31 मार्च, 2021 तक 12 लाख करोड़ रुपये था। उनमें से कई सौर, नवीकरणीय ऊर्जा, आदि जैसे हरित खंडों में भी हैं। एमएसएमई क्षेत्र के विकास के साथ बुनियादी ढांचे के विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के मजबूत संबंधों के लिए भारत सरकार द्वारा एक मजबूत धक्का है। इसलिए, यदि सिडबी आईएफसी एनबीएफसी पोर्टफोलियो का लगभग 5% भी पुनर्वित्त कर सकता है, तो यह 50,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने में सक्षम होगा।

• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पुनर्वित्त के तहत मध्यम स्तर की इकाइयों का कवरेज।

• एनबीएफसी को समर्थन देने के लिए सिडबी की मौजूदा मेनलाइन योजना के तहत प्रमुख माध्यम के रूप में ऑन-लेंडिंग पर विचार करना

• आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और स्वर्ण ऋण कंपनियों को उनके एमएसएमई पोर्टफोलियो के लिए वित्तपोषण पर विचार करना

• भारत सरकार से छोटे और ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में कार्यरत एनबीएफसी (फिनटेक एनबीएफसी सहित) के लिए गारंटी योजना लाने के लिए कहना

• हमारी विकासात्मक भूमिका निभाते हुए, सिडबी एनबीएफसी के वित्तपोषण के लिए पहली ऋण चूक गारंटी (एफएलडीजी) प्रदान करने पर भी विचार कर सकता है।

6.10 एमएसएमई पर यूके सिन्हा विशेषज्ञ समिति ने सिडबी की भूमिका के विस्तार के लिए व्यापक सिफारिशें की हैं। ये हैं:

(क) सरकार को राज्य सरकारों को अवसंरचनात्मक और क्लस्टर विकास के लिए सॉफ्ट ऋण के रूप में उधार देने के लिए नाबार्ड के आरआईडीएफ फंड की तर्ज पर सिडबी को पीएसएल की कमी को तैनात करना चाहिए।

(ख) सिडबी को गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) जैसे निजी उधारदाताओं को हाथ में लेकर कम से कम जिलों और क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए ऋण बाजार को गहरा करना चाहिए।

(ग) इसके अलावा, उन्हें ऋण और इक्विटी के लिए अतिरिक्त साधन विकसित करना चाहिए जो एमएसएमई और एमएसएमई उधारदाताओं के लिए वित्त पोषण के नए स्रोतों जैसे कि पहले नुकसान की गारंटी, पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी), आदि को क्रिस्टलीकृत करने में मदद करेगा।

(घ) सिडबी को धीरे-धीरे चुनिंदा प्लेटफार्मों पर एसएमई ऋण के लिए एक बाजार निर्माता की भूमिका निभानी चाहिए।

(ड़) सिडबी को एक नोडल एजेंसी के रूप में आदर्श मंच बनाने के लिए एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए जिसमें विभिन्न उद्यम पूंजी निधि भाग ले सकें और बदले में एमएसएमई को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए गुणक प्रभाव पैदा कर सकें। एमएसएमई क्षेत्र में निवेश करने वाली वीसी/पीई फर्मों को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) की स्थापना की जानी चाहिए ताकि उन्हें एमएसएमई सेगमेंट में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

6.11 09 दिसंबर, **2021** को देश के कुछ प्रमुख एनबीएफसी के साथ समिति की बैठक के दौरान, जब माननीय अध्यक्ष ने उनसे एनबीएफसी वित्तपोषण, श्रीराम सिटी के संबंध में नीतिगत दृष्टिकोण से सुधार के अवसरों पर उनके विचारों के बारे में पूछा। यूनियन फाइनेंस लिमिटेड ने निम्नानुसार कहा:

"एक बात निश्चित रूप से है: मैं ग्राहक का आकलन कैसे करूं और उधार कैसे दूं? यही वह जगह है जहां मुझे बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। आप ग्राहक के साथ समय बिताते हैं, उसके नकदी प्रवाह को समझते हैं, कुछ चीजों पर काम करते हैं और फिर उसके लिए एक अंक बनाते हैं। जैसा कि हमने कहा है, अगर हम एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग क्रेडिट स्कोरिंग तंत्र स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से हमें क्रेडिट को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जब हम इन लोगों को उधार दे रहे हैं, तो मेरी उधारी की लागत भी एक कारक है जो मुझे इसकी कीमत थोड़ी अधिक करने के लिए मजबूर कर रही है। इसलिए, यदि बैंक कम दर पर उधार दे सकते हैं, विशेष रूप से एमएसएमई को उधार देने के लिए, तो यह निश्चित रूप से मदद करेगा। आज, हम फंड करने के बाद ही बैंक हमें पैसा उधार देते हैं। यदि यह एक ऑनलाइन उधार प्रक्रिया हो सकती है, तो एनबीएफसी के लिए बाजार में ऋण को आगे बढ़ाना आसान होगा। अधिकांश बैंक हमें संपार्श्विक पर उधार देते हैं। वे हमसे पूछते हैं कि हमारे ऋण का समर्थन करने वाला संपार्श्विक क्या है। "

6.12 आम जनता और विशेष रूप से विशेषज्ञों/हितधारकों/संगठनों से इस विषय पर प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में प्राप्त विचार/सुझाव, जो **31** दिसंबर, **2021** को प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे।

(क) <u>सोल्व प्लास्टिक प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड, कोल्लम (केरल)</u>

(i) बैंक एमएसएमई को आगे उधार देने के लिए एनबीएफसी को ऋण प्रदान करते हैं, जिसकी वसूली एनबीएफसी पर निर्भर करती है। एनबीएफसी को ऐसे ऋणों को पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जाता था। 1 अप्रैल 2011 से, भारत के रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आगे उधार देने के लिए एनबीएफसी (एमएफएल के अलावा) को स्वीकृत सभी ऋण एमएसएमई क्षेत्र को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकरण के लिए अयोग्य बना दिया है। इस क्षेत्र के अभ्यावेदन पर, 2019 में आरबीआई के माध्यम से, आरबीआई ने पीएस वर्गीकरण की बहाली की अनुमति दी, लेकिन प्रति उधारकर्ता केवल 20.0 लाख रुपये तक। इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आगे उधार देने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा एनबीएफसी को दिए गए सभी ऋणों को 2011 के पूर्व में प्रचलित नीति के अनुसार बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र एमएसएमई को अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में माना जाना चाहिए।।

(ii) एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थानों की जोखिम धारणा को कम करने के लिए आईआरडीएआई द्वारा बीमा कंपनियों के माध्यम से क्रेडिट बीमा शुरू किया जाना चाहिए ताकि एमएसएमई क्षेत्र विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों को ऋण के प्रवाह में तेजी लाई जा सके।

(iii) सिडबी की भूमिका: सिडबी छोटे व्यवसायों के लिए एक समर्पित बैंक है, जब कि आईडीबीआई एक बड़ी अवधि का ऋण देने वाला संस्थान था। सिडबी ने लक्षित वर्गों के लिए सर्वोत्तम मूल्य योजनाओं की घोषणा की। चिकित्सा पेशे के लिए *श्वास* एक जीता जागता उदाहरण है। ब्याज दर 4.5 से 5% है जो किसी भी एससीबी द्वारा नहीं दी जाती है। हालांकि, सिडबी की पहुंच सीमित है। उदाहरण- पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में इसकी सिर्फ 2 शाखाएँ हैं। एक वसई में और दूसरा ठाणे में। सिडबी की भूमिका को परिभाषित करने के लिए यह देखने की आवश्यकता है कि क्या यह अपनी योजना की शर्तों को अपनाने वाले बैंकों के लिए पुनर्वित्त एजेंसी के रूप में बेहतर उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा। । चूंकि नेटवर्क का विस्तार महंगा मामला है, पुनर्वित्त/एजेंसी व्यवस्था मार्ग के माध्यम से लक्ष्य के हिस्से तक पहुँचा जा सकता है।

<u>एमएसएमई क्रेडिट कार्ड</u>

6.13 सिडबी के अनुसार, एमएसएमई के लिए एक ब्रांडेड एमएसएमई क्रेडिट कार्ड की परिकल्पना की जा सकती है ताकि उन्हें क्रेडिट तक आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान की जा सके, जिस पर भारत सरकार द्वारा 2-3 प्रतिशत के ब्याज सबवेंशन जैसे विभिन्न लाभों की पेशकश की जा सकती है। कार्ड के माध्यम से अन्य लाभों की भी योजना बनाई जा सकती है। वास्तविक व्यावसायिक व्यय के लिए कार्ड के माध्यम से संस्थाओं की ऋण सीमा के 5-10% की सीमा को प्रोत्साहित किया जा सकता है। एक बार औपचारिक रूप देने के बाद क्रेडिट के लिए नए (एनटीसी)/अनौपचारिक ग्राहकों को, कार्ड के माध्यम से छोटी मूल्य सीमा की पेशकश की जा सकती है। कार्ड के साथ उपयुक्त लिंकेज के माध्यम से अन्य लाभ भी दिए जा सकते हैं। अग्रणी बैंकों के परामर्श से इसके लिए विस्तृत योजना तैयार की जा सकती है।

6.14 जब इस समिति ने सुझाव दिया कि एमएसएमई के लिए एक किसान क्रेडिट कार्ड/योजना (रु. 50,000 - रु. 1,00,000) शुरू की जानी चाहिए, वित्तीय सेवा विभाग ने एक लिखित उत्तर में कहा कि "कई बैंक पहले से ही पात्र एमएसएमई उधारकर्ताओं सहित पीएमएमवाई उधारकर्ताओं को एमएसएमई क्रेडिट कार्ड्स/ लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड्स प्रदान कर रहे हैं।

भाग दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एमएसएमई मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र में अनुमानित 6.34 करोड़ उद्यमों का एक विशाल नेटवर्क शामिल है, जो विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45 प्रतिशत, निर्यात में 40 प्रतिशत से अधिक, सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है, जबकि लगभग 11.1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। जो कि संख्या के मामले में कृषि क्षेत्र के बाद आता हैं।

इससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र राष्ट्र के विकास, निर्यात का लाभ उठाने और भारत के कोने-कोने में रोजगार के विशाल अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके व्यापक महत्व को देखते हुए, सरकार से यह आशा होती है कि वह एमएसएमई की सतह वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करे।

समिति एमएसएमई के लिए बजटीय आवंटन में गत वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22) में 15,699.65 करोड़ रुपये को बढ़कर अब 21,422 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23) करने की सराहना करती है, जो कि 26.71% की वृद्धि है। हालांकि, एमएसएमई क्षेत्र के लिए अभी महत्वपूर्ण क्रेडिट गैप है और अधूरी मांग बहुत बड़ी बनी हुई है। एमएसएमई पर यूके सिन्हा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र में कुल ऋण अंतर ₹20 - 25 ट्रिलियन (20-25 लाख करोड़ रुपये) होने का अनुमान है। इसलिए समिति सटीक अनुमान लगाने के लिए, एक ठोस समयबद्ध रोड मैप बनानें की सिफारिश करती है और फिर उचित नीतिगत उपायों और केंद्रित हस्तक्षेपों के साथ इस क्रेडिट गैप को पाटेगी। क्रेडिट गैप के साथ-साथ, एमएसएमई क्षेत्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर उधार लेने में सक्षम नहीं है क्योंकि एमएसएमई क्षेत्र को लक्षित करने वाले वित्तीय संस्थानों के पास पर्याप्त और किफायती वित्तपोषण उपलब्ध नहीं है। एमएसएमई उद्यमों को भी अपने ग्राहकों से देरी और अनियमित भुगतान के साथ संघर्ष करना पड़ता है, जिससे कार्यशील पूंजी प्रबंधन और वित्तपोषण बहुत मुश्किल हो जाता है। चूंकि कुछ एमएसएमई के पास पर्याप्त रूप से अनुमानित नकदी प्रवाह है या बड़ी स्थायी मात्रा में समपार्थ हैं, इसलिए एमएसएमई के लिए अपने व्यवसायों को संचालित करने और विकसित करने के लिए किफायती वित्तपोषण तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

2. एमएसएमई क्षेत्र के विकास में एक प्रमुख बाधा इस क्षेत्र के बारे में विश्वसनीय आंकड़ों की कमी है। समिति यह नोट करती है कि पिछला एमएसएमई सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-16 में अर्थात् 6 साल पहले किया गया था। इसी दौरान, 2020 में एमएसएमई की परिभाषा में ही बदलाव किया गया है। इसलिए, समिति पुरजोर रूप से यह सिफारिश करती है कि बदली हुई परिभाषा के अनुरूप एमएसएमई का सर्वेक्षण/गणना यथाशीघ्र किया जाए ताकि देश में एमएसएमई की वास्तविक संख्या का अनुमान लगाने के साथ-साथ उनकी क्रेडिट संबंधी आवश्यकता का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए और इसके अलावा, सिडबी नीतियों और निवेशों का मार्गदर्शन करने के लिए एक तथ्य-आधारित एमएसएमई वार्षिक वित्तपोषण रिपोर्ट तैयार कर सकता है।

3. समिति नोट करती है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 6.34 करोड़ एमएसएमई में 40% से भी कम औपचारिक वित्तीय प्रणाली से उधार लेते हैं। इसका मतलब यह है कि इन उद्यमों की एक बड़ी संख्या अपनी ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए औपचारिक वित्त के दायरे से बाहर रहती है। एमएसएमई जो औपचारिक वित्त प्रणाली से उधार नहीं ले रहे हैं, वे असंगठित वित्त/क्षेत्र से उधार ले रहे हैं जो महंगा होने के साथ-साथ अविश्वसनीय भी है। इसलिए, समिति का दृढ़ मत है कि उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई क्षेत्र की औपचारिकता को तेज करने की आवश्यकता है।

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एनएसएस के 73वें दौर के सर्वेक्षण (2015-16) की रिपोर्ट के अनुसार, 630.52 लाख अनुमानित उद्यमों वाले सूक्ष्म क्षेत्र में एमएसएमई की कुल अनुमानित संख्या के 99 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। 3.31 लाख के साथ छोटे क्षेत्र और 0.05 लाख अनुमानित एमएसएमई के साथ मध्यम क्षेत्र का कुल अनुमानित एमएसएमई का क्रमशः 0.52% और 0.01% हिस्सा है। इसके अलावा, एमएसएमई की अनुमानित संख्या 633.88 में से 324.88 लाख एमएसएमई (51.25%) ग्रामीण क्षेत्र में हैं और 309 लाख एमएसएमई (48.75%) शहरी क्षेत्रों में हैं। एमएसएमई के बारे में जानकारी में अंतर सूक्ष्म उद्यमों और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित लोगों के लिए सबसे बड़ा है।

समिति नोट करती है कि जुलाई 2020 से प्रभावी, भारत सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया और संशोधित परिभाषा के अनुसार, एमएसएमई पंजीकरण की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने एक नया पोर्टल - उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। समिति को एक लिखित अनुरोध में, एमएसएमई मंत्रालय ने बताया कि उद्यम पोर्टल को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), आयकर, जीएसटी और ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) पोर्टल्स से जोड़ा गया है।

समिति का मानना है कि पिछले एक दशक में भारत की सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है और ये परियोजनाएं औपचारिक एमएसएमई ऋण को विस्तार देने के लिए शक्तिशाली रूप से सक्षम हो सकती हैं। भारत ने पिछले एक दशक में दिखाया है कि उसके पास भीम यूपीआई (प्रति माह 4+ बिलियन तत्काल (इंस्टेंट) डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए सक्षम बनाना); प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (2019-20 में लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 3.81 लाख करोड़ रुपये भेजे गए); आधार, ईकेवाईसी, और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एक अरब से अधिक वयस्कों के लिए डिजिटल आईडी, 44.7 मिलियन नए बैंक खाते डिजिटल रूप से खोले गए, और छोटे शहरों में 150 मिलियन लोगों के लिए बायोमेट्रिक-आधारित धन निकासी); फास्टटैग (सुव्यवस्थित टोल शुल्क और पार्किंग संग्रह), कोविन, आदि जैसी परियोजनाओं के साथ विश्व स्तरीय सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे को डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है ।

वर्तमान ऋण प्रक्रियाओं की समिति द्वारा समीक्षा से पता चलता है कि मौजूदा एमएसएमई क्रेडिट योजनाओं को एक मजबूत, एकीकृत डिजिटल पारिस्थिकी से लाभ होगा। डिजिटल पारिस्थिकी एमएसएमई वित्त से सम्बद्ध कई चुनौतियों का समाधान करेगी जिसमें आर्किटेक्चर की आवश्यकता होगी, जिसमें एक्सक्लूसिऑनरी फिज़िकल कोलेटरल आवश्यकताएं, खरीदारों या उधारदाताओं से लंबी अनुमोदन/सत्यापन प्रक्रियाएं, डिजिटल पूर्व-अनुमोदित ऋण के बावजूद बैंक शाखा में लंबी कतारें, कागज-आधारित ऋण अनुप्रयोग, डेस्कटॉप एक्सेस के लिए डिज़ाइन किए गए वेब पोर्टल, मौजूदा बैंक ग्राहकों की एक सीमा तय करना, आदि शामिल होंगे।

हालांकि, समिति अभी भी महसूस करती है कि एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में जो भी डेटा है, वह टुकड़ों में मौजूद हैं और इन डेटासेट में कोई वास्तविक एकीकरण नहीं है। इसलिए, समिति की राय है कि एमएसएमई क्षेत्र में सूचना के अंतर को पाटने के लिए उद्यम पोर्टल को एमएसएमई क्षेत्र

के लिए वन-स्टॉप सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया जा सकता है। एमएसएमई उधारकर्ता की सहमति प्राप्त करने के बाद, उन्हें समय पर ऋण देने के लिए इस तरह के डेटाबेस को उधारदाताओं द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। समिति का मत है कि उद्यम पोर्टल को अन्य डेटाबेस जैसे कि सिबिल डेटा, यूटिलिटी बिल डेटा आदि के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि एमएसएमई क्षेत्र में सूचना के अंतर को कम किया जा सके।

5. समिति नोट करती है कि सिडबी ने अभिनव डिजिटल प्रक्रियाओं और सम्यकों को अन्य डिजिटल सेवाओं के साथ एक उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) विकसित करने का प्रस्ताव किया है, क्योंकि यह एमएसएमई के बड़े पैमाने पर पंजीकरण में तेजी लाने में मदद करेगा (अनौपचारिक उद्यमों सहित जो देश में उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई के 95% से अधिक का गठन करते हैं। समिति आगे नोट करती है कि सिडबी माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई), गैर-बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स (बीसी), बैंकों, फिनटेक आदि के विशाल पारिस्थितिकी तंत्र से निकटता से जुड़ा हुआ है और इसकी पहुंच गहरे डेटा बेस तक भी है। अर्थात् सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सीजीटीएमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी), एसएमई रेटिंग एजेंसी (एसएमईआरए), प्रधान मंत्री की पथ विक्रेताओं की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) आदि। इसलिए, समिति की यह राय है कि सिडबी के व्यापक नेटवर्क और डेटाबेस तक गहन पहुंच को ध्यान में रखते हुए, इसे उद्यम मूल्य वर्धित वित्तीय अनुप्रयोगों के लिए नोडल एजेंसी बनाया जा सकता है।

6. समिति ने नोट किया कि भुगतान क्षेत्र में बदलाव हुआ है और बैंक शाखाओं में पहले जेनरेशन की वास्तविक प्रक्रियाओं से दूसरे जेनरेशन की प्रक्रियाओं में संक्रमण हुआ, जो 'वेब' और वास्तविक प्रक्रियाओं को जोड़ती हैं, जो अंततः तीसरी जेनरेशन मोबाइल-पहली, सरल और समावेशी यूपीआई में तब्दील हो गया, जिसका विस्तार दिसंबर 2021 तक प्रति माह 4.5 बिलियन लेनदेन तक हो गया है। समिति की परिकल्पना है कि भारत को इसी प्रकार के अगले जेनरेशन के अनुभव शुरू करने हेतु 'एमएसएमई लेंडिंग के लिए यूपीआई' की आवश्यकता है जो सभी औपचारिक एमएसएमई के लिए छोटे स्तर के कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुंचने के लिए एक पूरी तरह से मोबाइल-आधारित, आसान, तत्काल, संपर्क-रहित, पेपरलेस और कम लागत वाला तरीका बनाता है। एक डिजिटल समाधान स्थिति को पलटने के लिए बाधाओं को पर्याप्त रूप से कम कर

सकता है, जिससे वित्तीय संस्थानों को मजबूर किया जा सकता है कि वे एमएसएमई ऋणों के लिए प्रतिस्पर्धा करें।

एमएसएमई क्रेडिट के इस डिजिटल दृष्टिकोण को संभव बनाने के लिए, समिति का मानना है कि वास्तविक कोलेटरल को बदलने के लिए जानकारी का उपयोग करने की आवश्यकता है: यह 'नकदी प्रवाह उधार' या 'प्रवाह-आधारित उधार' है। समिति 2016 की यूके सिन्हा एमएसएमई समिति की रिपोर्ट की अंतर्दृष्टि को स्वीकार करती है कि भारत में एमएसएमई वित्तपोषण के लिए तरलता की कमी नहीं है; बल्कि प्रक्रियाओं और क्रेडिट वितरण के लिए परिसंपत्ति-आधारित उधार की विधियां जिनके लिए वास्तविक कोलेटरल की आवश्यकता होती है को जानकारी के आधार पर कम लेनदेन लागत के साथ सीएफएल उधार से बदलने की आवश्यकता है । जबकि अधिकांश उधारदाता कोलेटरल के बिना 5 या 10 साल की अवधि में एक व्यवसाय के लिए बड़े ऋणों को मंजूरी देने में सहज नहीं हो सकते हैं, 60 या 90 दिनों की अवधि में बिना सिक्युरिटी वाले छोटे स्तर के ऋण लाभदायक हो सकते हैं यदि ऋणदाता के लिए लेनदेन लागत को पर्याप्त रूप से कम किया जा सके । एमएसएमई तब समय के साथ धीरे-धीरे बड़े स्तर के ऋण के लिए अपना क्रेडिट इतिहास विकसित कर सकता है।

इस डिजिटल इकोसिस्टम के कई महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले, यह छोटे स्तर के ऋणों को व्यवहार्य बनाने के लिए प्रक्रिया की लेनदेन लागत को कम करता है। दूसरा, यह डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणीकरण, डेटा साझा करने में देरी के बजाय वास्तविक समय डेटा साझा करने, आदि के माध्यम से वर्चुअली दी गई जानकारी और किए गए दावों में विश्वास बढ़ाता है। तीसरा, यह प्रवेश संबंधी और मालिकाना बाधाओं को हटाने के लिए उधार प्रक्रिया के सभी चरणों में शामिल सभी घटकों में पूर्ण इंटरऑपरेबिलिटी के साथ डिजिटल उधार देने के लिए एक एकल, शक्तिशाली इकोसिस्टम बनाता है। चौथा, यह डेटा साझा करने के लिए कई द्विपक्षीय/अनन्य साझेदारी की आवश्यकता को हटा देता है; एक एमएसएमई को कई संस्थानों से ऋण लेने के लिए एक एकल जमा खाते का उपयोग करने की अनुमति देता है, आदि। पांचवां, यह एक रिमोट, वास्तविक समय के तरीके से ऋण प्रस्तावों को दर्शा कर, ब्याज दरों को कम करके और किसी प्रस्ताव का चयन करने की शक्ति वित्तीय संस्थानों के बजाय वाले एमएसएमई के हाथों में डालकर सौंपकर प्रतिस्पर्धा, किफायत और विकल्प के अवसर को बढ़ाता है।

और, अंत में, यह सभी प्रकार के एमएसएमई को समावेशिता की ओर ले जाता है। डिजिटल रूप से संचालित प्रवाह-आधारित उधार छोटी दुकानों को भी समावेशी रूप से औपचारिक क्रेडिट तक पहुंचने की अनुमति देगा। इसके अलावा, परिष्कृत प्रौद्योगिकी अपडेट का बोझ संस्थाओं (उदाहरण के लिए, वित्तीय संस्थानों) पर होना चाहिए, जबकि व्यक्तिगत या एमएसएमई जिन्हें वाले ऋण अनुप्रयोगों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए उपयोग करना आसान होना चाहिए, और डिजिटल साक्षरता के सभी स्तरों पर व्यक्तियों के लिए समावेशी होना चाहिए। खुले मानकों को आवाज(वॉयस) आधारित, सहायता प्राप्त और बहुभाषी अनुभवों की अनुमति देनी चाहिए।

7. प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को तत्काल और पेपरलेस बनाने के लिए आवश्यक डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक अब काफी हद तक उपलब्ध हैं। समिति ऋण की लेनदेन लागत को कम करने और नए वैकल्पिक डेटा स्रोतों तक पहुंच में सुधार करने के लिए आवश्यक प्रमुख डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉकों को शुरू करने में वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, जीएसटीएन, एनएसडीएल, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और यूआईडीएआई सहित विभिन्न विभागों द्वारा पिछले 5 वर्षों में हुई प्रगति का स्वागत करती है, जो है जो छोटे व्यवसायों के लिए नकदी प्रवाह-आधारित ऋण का आधार हो सकते हैं।

वित्त मंत्रालय एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम के लिए विभिन्न बिल्डिंग ब्लॉक्स है, में राजस्व विभाग के स्वामित्व वाला जीएसटीएन एक डिजिटल व्यवसाय पहचानकर्ता (जीएसटी प्रमाणपत्र) और भविष्य के नकदी प्रवाह को इंगित करने वाले व्यावसायिक चालानों (बिजनेस इनवॉयस) की एक विश्वसनीय केंद्रीय रजिस्ट्री दोनों है।

वित्तीय स्थिरता और_विकास परिषद द्वारा शुरू किए गए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में विनियमित खाता एग्रीगेटर, एए फ्रेमवर्क विभिन्न संस्थानों के बीच अपने वित्तीय डेटा (बैंक स्टेटमेंट, चालान, आदि) को सुरक्षित तरीके से डिजिटल रूप से साझा करने का एक सुरक्षित साधन सृजित करता है।

खाता एग्रीगेटर्स को मैती कन्सेन्ट आरटीफैक्ट शुरू करना आवश्यक होता है जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी ग्रैन्यलर डेटा को साझा करने के लिए किसी व्यक्ति की सहमति के बारे में सूचित करने के लिए एपीआई का एक सामान्य डिजिटल मानक है।

ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओ सी ई एन): ओ सी ई एन एक समुदाय-आधारित डिजिटल मानक है जो एक व्यक्ति को कई उधारदाताओं को एकल नकदी-प्रवाह आधारित ऋण आवेदन साझा करने और वास्तविक समय में एक व्यक्तिगत ऋण प्रस्ताव प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

आधार ई साइन: यूआईडीएआई द्वारा निर्मित ई साइन एक सार्वजनिक डिजिटल सेवा है जो एक व्यक्ति को केवल अपने आधार नंबर और संबंधित मोबाइल का उपयोग करके कम लागत पर ऋण समझौते के लिए एक सरल, आसान डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान करने की अनुमति देती है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और यूपीआई आटो-पे: एनपीसीआई द्वारा प्रबंधित यूपीआई का उपयोग एमएसएमई के बैंक खाते में सीधे छोटे टिकट ऋण फंड वितरित करने के लिए किया जा सकता है। इसका 4.5 बिलियन लेनदेन प्रतिमाह तक के पैमाने के परिणामस्वरूप अनौपचारिक नकद लेनदेन भी बैंक खातों में औपचारिक 'डिजिटल फुटप्रिंटस्' पर स्विच कर रहे हैं, जिससे नकदी प्रवाह का आगे प्रमाण का सृजन हुआ है। यूपीआई आटो-पे एक ऐसी सेवा है जो मोबाइल यूपीआई पिन प्रमाणीकरण का उपयोग करके आवर्ती भुगतान (जैसे ऋण पुनर्भुगतान) की स्थापना करने की अनुमति देती है।

ईएनएसीएच, एनपीसीआई द्वारा प्रबंधित एक अन्य भुगतान सेवा है जिसका उपयोग बड़ी लेनदेन सीमाओं के आवर्ती अधिदेश को स्थापित करने और प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है।

उद्यम का संचालन एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जाता है और सभी एमएसएमई के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जिसमें उनका नाम, क्षेत्र, प्रमुख भागीदार/निदेशक, और व्यवसाय के कारोबार पर आईटी विभाग द्वारा पुष्टि किए गए डेटा शामिल हैं।

पैन एक कार्ड-आधारित करदाता व्यवसाय आईडी है जो साझेदारी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, व्यक्तिगतों, आदि के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों और संस्थाओं को दी जाती है। वित्तीय संस्थानों और जीएसटीआईएन दोनों द्वारा एकत्र किए गए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में, यह पुष्टि करने की अनुमति देता है कि जीएसटी चालान और बैंक स्टेटमेंट एक ही व्यक्ति या इकाई का संदर्भित कर रहे हैं।

8. समिति महसूस करती है कि एफएसडीसी के नेतृत्व वाले एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, जिसके लिए आरबीआई मास्टर डायरेक्शन लाई थी, में बैंकिंग डेटा और जीएसटी डेटा के सुरक्षित

और तत्काल साझाकरण को सक्षम करने की उच्च क्षमता है। समिति नोट करती है कि एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क सितंबर, 2021 में आरंभ किए जाने के बाद से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समिति महसूस करती है कि खाता एग्रीगेटर ढांचा एमएसएमई ऋण प्रणाली के कई पहलुओं में सुधार कर सकता है, जिसमें ऋण तक समावेशी पहुंच, धोखाधड़ी की रोकथाम और बेहतर निगरानी और एनपीए में कमी शामिल है।

समिति नोट करती है कि वर्ष 2020 की बजट घोषणा के बाद, जिसमें कहा गया है कि, 'एक 'इनव्याईसिंग वित्तपोषण ऐप' लॉन्च किया जाएगा', वित्तीय सेवा विभाग ने नकदी प्रवाह ऋण बढ़ाने के लिए एक अग्रणी एप्लिकेशन विकसित की है जिसे 'सहाय जीएसटी' के रूप में जाना जाता है। समिति पाती है कि 'सहाय जीएसटी' ऊपर संदर्भित डिजिटल बुनियादी ढांचे के 'बिल्डिंग ब्लॉकों' को जोड़ती है ताकि जीएसटी चालानों तक सुरक्षित पहुंच के आधार पर एमएसएमई को तत्काल डिजिटल ऋण प्रदान किया जा सके और एक साथ कई ऋण दाताओं के साथ पूरी तरह से मोबाइल आधारित एंड-टू-एंड 5-10 मिनट की प्रक्रिया शुरू की जा सके। समिति नोट करती है कि ओसीईएन बुनियादी ढांचे का उपयोग करने वाले सहाय एप्लीकेशन का निर्माण, परीक्षण और संचालन किया गया है, जिसमें 160 रुपये के रूप में छोटे और 5.5 लाख रुपये जितने बड़े ऋण वितरित किए गए हैं, और इससे केवल अगले वर्ष में ही इसमें 3 लाख करोड़ रुपये की ऋण क्षमता हो सकती है, जो वर्ष 2025 तक 10-15 लाख करोड़ तक जा सकती है। समिति नोट करती है कि आरबीआई और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने वर्ष 2020 में जीएसटी जानकारी को 'एकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क' में लाकर ऋण देने वाले संस्थानों को सुरक्षित रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए चर्चा की है। समिति ने यह भी नोट किया है कि यदि जीएसटी चालान के आधार पर कार्यशील पूंजी ऋण को आरंभ किया जाना था, तो यह न केवल एमएसएमई को तेजी से बढ़ने और नौकरियां सृजित करने में सक्षम होगा, बल्कि व्यवसायों के औपचारिककरण और जीएसटी पंजीकरण को भी प्रोत्साहित करेगा।

9. समिति नोट करती है कि अब जब एमएसएमई ऋण को बढ़ाने के लिए आवश्यक अधिकांश प्रमुख डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक सुस्थापित हैं, तो चार नीति और प्रौद्योगिकी अद्यतन 'सहाय जीएसटी' के माध्यम से प्रवाह-आधारित ऋण को बढ़ाने में गति ला सकते हैं।

सर्वप्रथम, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय (राजस्व विभाग) और भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक प्रौद्योगिकी और विनियामक अद्यतन के साथ अपनी 2020 की चर्चा को बंद कर दें

ताकि जीएसटीआईएन को औपचारिक रूप से एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में लाया जा सके ताकि विनियमित निकायों को व्यक्तिगत सहमति के साथ जीएसटी डेटा तक पहुंच बनाने की अनुमति प्राप्त हो सके। समिति महसूस करती है कि वित्तीय क्षेत्र (बैंकों, एनबीएफसी, आदि) में विनियमित निकायों को भविष्य के राजस्व के आधार पर ऋण स्वीकृत करने के लिए विनियमित खाता एग्रीगेटर्स के माध्यम से सुरक्षित रूप से जीएसटी डेटा तक पहुंचने बनाने हेतु सक्षम होने की आवश्यकता है। यह पहुंच कई ऐप जैसे कि सहाय, टीआरईडीएस, पीएसबी 59, या अन्य को व्यवसायों की सहमति से ऋण देने के लिए जीएसटी डेटा का उपयोग करने में सक्षम करेगी। इसके लिए भा.रि.बै. को जीएसटीआईएन और संबद्ध संस्थाओं को शामिल करने के लिए खाता एग्रीगेटर पर प्रमुख निर्देशों में वित्तीय सूचना प्रदाताओं की अपनी परिभाषा को अद्यतन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए मंत्रालय (राजस्व विभाग) को जीएसटीआईएन को जीएसटी डेटा पहुंच बनाने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी परिवर्तन करने के लिए अधिकृत करने की भी आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि (आरईबीआईटी) विनिर्देशों के अनुसार वित्तीय सूचना प्रदाता प्रौद्योगिकी मॉड्यूल संस्करण 1.1.2 को शामिल करना।

दूसरे, समिति यह सिफारिश करती है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए और मंत्रालय) के सदस्य सभी विनियमित संस्थाओं में एकाउंट एग्रीगेटर मानकों को अपनाने को प्रोत्साहित करें और गति दें और वित्तीय समावेशन प्रयासों के भाग के रूप में इन्हें अंगीकार किए जाने हेतु प्रगति की अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी करें।

तीसरे, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की पेंशन निधियों और सार्वजनिक क्षेत्र के निक्षेपागारों को एकाउंट एग्रीगेटर मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करे। समिति का दृढ़ विश्वास है कि पहले से ही कम संख्या में बड़े वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाए गए एकाउंट एग्रीगेटर को सार्वभौमिक रूप से अपनाने के स्तर तक बढाने से वित्तीय होगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि लाभ सबसे बड़े संस्थानों के साथ बैंकिंग नहीं करने वाले व्यक्तियों तक पहुंचें। इससे अधिक व्यक्तियों और एमएसएमई को ऋणदाताओं के साथ अपनी वित्तीय जानकारी साझा करने और उनके डेटा के आधार पर प्रवाह-आधारित ऋण तक उनकी पहुंच में सुधार करने होगा। विनियामकों द्वारा की गई कार्रवाइयों में आरई के लिए एक समयबद्ध

स्वीकार करने का चरण निर्धारित करना और उद्योग संघों के माध्यम से प्रगति की निगरानी करना शामिल हो सकता है।

चौथा, समिति महसूस करती है कि उद्यम और जीएसटी प्रमाणपत्रों में छोटे बदलाव उन्हें केवाईसी दस्तावेजों के रूप में वित्तीय संस्थानों द्वारा सार्वभौमिक रूप से विश्वास करने और एमएसएमई द्वारा सम्यक तत्परता को कम करने में सक्षम बनाएगा। दुर्भाग्य से, आज व्यवसायों की पूरी तरह से डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया तक पहुंच नहीं है; उनके अनेक पहचान दस्तावेज (उदाहरण के लिए, कंपनी के निगमन लेख, साझेदारी विलेख, आदि) अभी भी वास्तविक रूप से प्रदान किए जाते हैं और सत्यापित किए जाते हैं। समिति महसूस करती है कि केवाईसी प्रक्रियाओं को अद्यतन और डिजिटाइज़ करना ऋणदाताओं के लिए कम इकाई लागत पर छोटे स्तर के ऋण को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। आरबीआई मास्टर केवाईसी दिशानिर्देशों (आरबीआई केवाईसी मास्टर निर्देश 2016 के भाग 2 में दिए गए पैरा 27, 28 और 29) के अनुसार, एकमात्र स्वामित्व के वाली कम्पनियों के लिए ग्राहक सम्यक तत्परता स्रोत 2 डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज भी जमा करने होंगे। विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ डिजिटल रूप से उपलब्ध नहीं हैं। समिति सिफारिश करती हैं: (1) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रबंधित उद्यम प्रमाणपत्र को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित तरीके से जारी किया जा सकता है जो ऋणदाताओं को उच्च विश्वास के साथ इस तक पहुंच बनाने की अनुमति देता है और एपीआई-आधारित मशीन-पठनीय पहुंच जोड़ सकता है; (2) जीएसटीआईएन द्वारा प्रबंधित जीएसटी प्रमाणपत्र के मामले में, समिति स्वीकार करती है कि यह पहले से ही डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित रूप में जारी किया गया है। समिति एपीआई-आधारित 'मशीन रीडेबल एक्सेस' को जोड़ने और भागीदारों और निदेशकों के नामों के अलावा उनके पैन नंबरों को शामिल करने की सिफारिश करती है ताकि एमएसएमई इकाई की ओर से अधिप्रमाणित करने में सक्षम हो सकें, जिससे वे निर्बाध रूप से इकाई का केवाईसी करने में सक्षम हो।

अंत में, समिति ने सभी के लिए कम लागत पर ग्राहक सम्यक तत्परता हेतु समावेशी, समस्या रहित और वित्तीय सेवाओं तक सुरक्षित पहुंच बनाने के लिए व्यवसाय केवाईसी सुधारों और उपयोगिताओं को सक्षम बनाने की सिफारिश की है। एक इकाई की केवाईसी को दोहराने की लागत उच्च, निरर्थक और छोटे ऋणों को प्रदान किए जाने हेतु बाधक बनती है। मंत्रालय द्वारा केवाईसी सुधारों को सक्षम करने से व्युत्पन्न या मूलभूत केवाईसी (जिसे पीएमएल नियम के अद्यतन द्वारा सक्षम किया जा सकता है) के ढांचा तैयार कर सकता है जो ऋणदाता को डिजिटल रूप से

हस्ताक्षरित तरीके से साझा किए गए केवाईसी मापदंडों के आधार पर मौजूदा बैंक खाताधारक द्वारा किए गए केवाईसी पर भरोसा करने की अनुमति मिल सकती है। समिति नोट करती है कि प्रति लेनदेन केवाईसी से सिस्टम-वाइड केवाईसी में स्थानांतरण महत्वपूर्ण है जो डेटा और धन प्रवाह दोनों को सुरक्षित करता है। वैकल्पिक ढांचे जो वास्तविक समय, सुरक्षित, कम लागत और एएमएल जोखिम को कम करने के मानदंडों को पूरा करते हैं, केवल एक बार केवाईसी पर भी विचार किया जा सकता है।

समिति महसूस करती है कि यह प्रौद्योगिकी और नीतिगत अद्यतन, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल अवधि में 'सहाय' जीएसटी के रूप में जाने जाने वाले फ्लैगशिप कैश फ्लो लेंडिंग एप्लिकेशन के लॉन्च में तेजी लाएगी ताकि 5-8 लाख करोड़ रुपये के नए औपचारिक प्रवाह-आधारित को वास्तविकता बनाने के लिए जीएसटी बीजक पर आधारित कम लागत वाले ऋणों को एक हकीकत बनाया जा सके।

भावी चरण में, अतिरिक्त कार्रवाइयां एमएसएमई ऋण को 15-18 लाख करोड़ तक बढ़ाने दे सकती हैं, जिनमें निम्नवत शामिल हैं: (1) केवाईसी सुधारों को सक्षम करने में आरबीआई द्वारा समायोजन भी शामिल हो सकते हैं जैसे कि ईकेवाईसी के लिए बढ़ी हुई लेनदेन सीमा; (2) जीएसटीएन पर क्रेताओं के लिए क्रेता रेटिंग शुरू करने से क्रेता की भुगतान टाइमलाइन और इतिहास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, जिससे उधारदाताओं के लिए क्रेडिट निर्णय में सुधार होगा; (3) संस्थाओं को डिजिटल समझौतों पर हस्ताक्षर करने में सक्षम बनाना क्योंकि भले ही केवाईसी समस्या हल हो जाती है, एक से अधिक मालिक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकरण का मुद्दा और उस प्राधिकरण की सीमाएं अभी भी अनसुलझी हैं।

10. समिति नोट करती है सरकार एमएसएमई क्षेत्र को संपार्श्विक (कोलेट्रल) मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए कई योजनाएं जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस), सहाय जीएसटी, जीईएम सहाय, पीएसब्लोन्सिन 59 मिनट पोर्टल आदि लागू करने में पूरी तरह सफल रही है। फिर भी, समिति ने संवीक्षा में पाया कि केवल कुछेक एमएसएमई उद्यम सरकारी स्कीमों के तहत संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त करने का प्रबंधन कर रहे हैं, जिनमें से संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए पात्र होने के नाते।अधिकांश को पर्याप्त संपार्श्विकों को

प्रस्तुत करने के लिए विवश किया जा रहा है। चूंकि 99 प्रतिशत से अधिक एमएसएमई सूक्ष्म क्षेत्र से संबंधित हैं, जिनके पास बैंकों को देने के लिए उनके पास कोई संपार्श्विक (फोलेट्रल) नहीं है।

एमएसएमई के संबंध में यूके सिन्हा विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में भौतिक संपार्श्विक या गारंटी आवश्यकताओं (परिसंपत्ति आधारित ऋण) को एमएसएमई भविष्य के नकदी प्रवाह पर उच्च विश्वास जानकारी के साथ बदलने का सुझाव दिया, जिसे "कैश फ्लो आधारित उधार(सीएफ एल)" कहा जाता है। समिति का यह भी विचार है कि उत्पादों और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के साथ "नकद प्रवाह आधारित उधार" को अपनाने के साथ एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को मजबूत किया जा सकता है। इससे ऋण प्रस्ताव की प्रक्रिया में तेजी आने और क्रेडिट प्रस्ताव के तेजी से निपटान की उम्मीद है। समिति आगे यह भी कहना चाहती है कि चूंकि उधार देने का यह रूप एमएसएमई इकाई के नकदी प्रवाह की जानकारी पर निर्भर है, इसलिए पर्याप्त डेटा की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां फिर से, समिति दोहराना चाहती कि उद्यम जैसे पोर्टल को व्यापक रूप से उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से विकसित किया जाना चाहिए ताकि एमएसएमई के लिए वन स्टॉप सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी के रूप में कार्य किया जा सके।

11. समिति महसूस करती है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की तरह, सिडबी के कार्यान्वयन प्राधिकरण के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक एमएसएमई क्रेडिट कार्ड योजना देश भर में शुरू की जानी चाहिए। केवल उन्हीं एमएसएमई, जो उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, की इस एमएसएमई क्रेडिट कार्ड तक पहुंच होगी। यह नैनो एमएसएमई (जैसे सड़क के किनारे विक्रेताओं, किराना दुकानों और गांव के सैलून) के लिए भी उद्यम पोर्टल पर साइन अप करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन उत्पन्न करेगा। ऐसे करोड़ों एमएसएमई हैं जो अभी तक औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रवेश नहीं कर पाए हैं, व्यापार क्रेडिट कार्ड उन्हें प्रणाली में लाने के लिए एक उत्कृष्ट तंत्र होगा। जब वे उद्यम पोर्टल में आ जाएंगे, तो उद्योग, भूगोल और आकार द्वारा अन्य लक्षित कार्यक्रमों को भी बनाया जा सकता है। एमएसएमई डेटाबेस का उपयोग एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करने के लिए राज्यों और अन्य हितधारकों द्वारा भी किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय ने एक लिखित प्रस्तुति में समिति को सूचित किया कि कई बैंक पहले से ही प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) उधारकर्ताओं सहित पात्र एमएसएमई उधारकर्ताओं को

अपने स्वयं के एमएसएमई क्रेडिट कार्ड/लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। तथापि, समिति महसूस करती है कि बैंक विशिष्ट कार्ड उनकी पहुंच और लाभों में सीमित हैं, क्योंकि कार्ड धारक को दी जाने वाली सेवाएं एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न होती हैं। समिति का विचार है कि ऐसी योजना भारत सरकार द्वारा अग्रणी बैंकों के परामर्श से शुरू की जानी चाहिए, ताकि एमएसएमई के प्रत्येक समूह के लिए कार्ड के लाभों में एकरूपता हो। यह उन्हें औपचारिक ऋण तक आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करेगा। इसके अलावा, समिति यह सिफारिश करना चाहेगी कि चूंकि केसीसी योजना किसानों को फसलों और सावधि ऋणों के लिए अल्पकालिक ऋण सीमा प्रदान करती है, व्यापार क्रेडिट कार्ड एमएसएमई क्षेत्र की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने धारकों को कम ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण भी प्रदान कर सकता है। . एमएसएमई को संपार्श्विक मुक्त, छोटे ऋण प्रदान करने के लिए इसे आगे विस्तार किया जा सकता है, जैसेकि केसीसी धारकों को 1 लाख संपार्श्विक मुक्त सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। आज, एमएसएमई क्षेत्र कृषि क्षेत्र की तुलना में बहुत बड़ा है; तथापि, इसे केसीसी के माध्यम से कृषि क्षेत्र के लिए उपलब्ध आसान, रियायती वित्त का लाभ नहीं मिल रहा है। हितधारकों के साथ काम कर रहा वित्त मंत्रालय विभिन्न प्रकार के एमएसएमई खंडों के लिए उपयुक्त नियम और शर्तें विकसित कर सकता है। यह समझने के लिए कि किस प्रकार का क्रेडिट कार्ड सबसे प्रभावी होगा, कई परीक्षण और प्रयोग करना आवश्यक हो सकता है ।

12. समिति महसूस करती है कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए सिबिल रेटिंग में सुधार किया जा सकता है, क्योंकि उनका क्रेडिट रेटिंग तंत्र कॉर्पोरेट संस्थाओं की रेटिंग प्रणाली के समान है। जिसके परिणामस्वरूप, अनेक मामलों में एमएसएमई, को खराब स्कोर दिया जाता है। इससे उनके लिए सरकारी और निजी दोनों तरह के बैंक औपचारिक ऋणों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। समिति का मानना है कि एमएसएमई क्षेत्र के बारे में अद्यतन आंकड़ों की कमी उनकी खराब क्रेडिट रेटिंग में एक बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि रेटिंग एजेंसियों को समय पर डेटा उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि जब भी आवश्यक हो, रेटिंग को उचित रूप से अद्यतन किया जा सके। जैसा कि पहले सुझाव दिया गया था, समिति उस भूमिका को दोहराना चाहती है जो उद्यम पोर्टल रेटिंग एजेंसियों को एमएसएमई के बारे में, विश्वसनीय डेटा प्रदान करने में भूमिका निभा सकता है, ताकि इस क्षेत्र में डेटा साइलो को पाटा जा सके। इसके अलावा, समिति के समक्ष पेश होने वाले एमएसएमई एसोसिएशनों ने बताया है कि डेटा संग्रह का

आधार और रेटिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। परिणामस्वरूप, सिबिल में कई गलत प्रविष्टियाँ होती हैं जो कंपनी की समग्र रेटिंग को बदल देती हैं और परिणामस्वरूप, उनके ऋण आवेदन अनिश्चित काल के लिए रोक दिए जाते हैं। यह आगे उल्लेख किया गया था कि एमएसएमई को गलत प्रविष्टियों को ठीक करने में भारी समय, ऊर्जा और पैसा खर्च करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सत्यापन और स्पष्टीकरण के लिए सिबिल के साथ एक भौतिक और वर्चुअल संपर्क तंत्र स्थापित किया जाए। इसके साथ एक ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली होनी चाहिए ताकि समयबद्ध तरीके से विसंगतियों को ठीक किया जा सके।

13. समिति नोट करती है कि एमएसएमई ऋणों के मामले में, बैंक आमतौर पर कार्यशील पूंजी सीमा पर 25% से 40% मार्जिन मनी रखते हैं, जो एमएसएमई के पास उनकी जरूरतों के लिए कम धनराशि छोड़ देते हैं। समिति चाहती है कि सरकार बैंकों को इस मार्जिन मनी को कम करने का निर्देश दे, ताकि एमएसएमई के पास ज्यादा फंड उपलब्ध हो सके। इसके परिणामस्वरूप, सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि होगी।

14. एमएसएमई आमतौर पर अपने कॉरपोरेट समकक्षों की तुलना में उच्च दरों पर ऋण उधार लेते हैं, क्योंकि बैंक उन्हें उच्च जोखिम वाली संस्थाएं मानते हैं। एनबीएफसी से ऋण उधार लेने के मामले में, यह दर कई एनबीएफसी के साथ कई गुना बढ़ जाती है, जो 20 से 25 प्रतिशत तक की दरों पर उधार देती है। भारत सरकार ने 01.04.2019 से 31.03.2021 की अवधि के लिए, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना की घोषणा की थी। हालांकि, सभी एमएसएमई को इस स्कीम का लाभ नहीं दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, समिति का सुझाव है कि कम से कम एमएसएमई जो अपने ऋण और ब्याज का भुगतान समय पर कर रहे हैं, उन्हें कृषि क्षेत्र की तरह 2 से 3 प्रतिशत की ब्याज दर सबवेंशन की अनुमति दी जानी चाहिए।

15. समिति नोट करती है कि एमएसएमई को उचित शर्तों पर समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए टीआरईडीएस एक प्रभावी कदम है। हालांकि, समिति का मानना है कि कई खरीदार अभी भी इस तकनीक को अपनाने के लिए अनिच्छुक हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सरकार को हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर टीआरईडीएस का उपयोग बढ़ाना चाहिए ताकि कंपनियों को मंच से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।आगे समिति ,नोट करती है कि यह सभी सीपीएसई और कंपनियों के

लिए जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से अधिक है, टीआरईडीएस में शामिल होने के लिए अनिवार्य है। फिर भी, ऐसी कई कंपनियां हैं जो प्रतित होता है, टीआरईडीएस मे शामिल होने से इनकार करके सरकार के आदेश की अवहेलना करती दिख रही हैं। समिति सरकार से ऐसी गलती करने वाली कंपनियों को दंडित करने की सिफारिश करती है। इसके अलावा, समिति की राय है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संस्थाओं को एमएसएमई प्राप्तियों का त्वरित भुगतान करने के लिए दंडात्मक परिणामों के साथ सख्त निर्देश दिए जाए ताकि प्राप्य अल्पकालिक रहे और बैंकों द्वारा उनकी कार्यशील पूंजी व्यवस्था के अंतर्गत वित्त पोषित किया जा सके

16. वर्तमान में टीआरईडीएस मंच पर, विक्रेता को मैन्युअल रूप से चालान का पूरा विवरण दर्ज करना होता है और समिति ने फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 की जांच पर अपनी 24 वें प्रतिवदेन (सत्रहवीं लोकसभा) में टीआरईडीएस मंच को जीएसटीएन ई-चालान पोर्टल के साथ एकीकृत करने की सिफारिश करके इसमें संशोधन करने की मांग की है। समिति का मानना था कि इस एकीकरण से टीआरईडीएस मंच पर सभी जीएसटी चालानों को स्वचालित रूप से अपलोड किया जाएगा जो कि चालानों के फैक्टरिंग के माध्यम से विक्रेताओं को निर्बाध वित्तपोषण सक्षम करेगा और फाइनेंसर को विक्रेता के बारे में जानकारी भी रखेगा। समिति को सूचित किया गया है कि यह प्रस्ताव विचाराधीन है और केंद्र और राज्य कर प्रशासन के अधिकारियों की जीएसटी कानून समिति में सैद्धांतिक रूप से पहले ही सहमति हो चुकी है। समिति को आगे सूचित किया गया है कि जीएसटी कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव जीएसटी परिषद के समक्ष इसकी सिफारिश के लिए रखा जाएगा और फिर इसे संसद और राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा। समिति अपनी पिछली सिफारिश को दोहराते हुए उम्मीद करती है कि जल्द से जल्द जीएसटी कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके।

17. समिति नोट करती है कि एमएसएमई को दिए गए ऋणों में कड़े कानून, जटिल दस्तावेज प्रलेखन प्रक्रियाएं, संपार्श्विक की आवश्यकता, सख्त पुनर्भुगतान अवधि और उच्च ब्याज दर शामिल हैं। हालांकि एमएसएमई की आर्थिक गतिविधियों में बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन बैंक/वित्तीय संस्थान (एफआई) समान्यत: इस क्षेत्र को पूंजी उधार देने के प्रति उदासीन रवैया दिखाते हैं। परियोजना की व्यवहार्यता और गुणों तथा ऋण प्रस्ताव को देखने के बजाय, बैंकरों का मुख्य ध्यान अचल संपत्ति की संपार्श्विक सुरक्षा पर रहता है जो बड़ी संख्या में एमएसएमई को बैंक ऋण तक पहुंच से वंचित

करता है। समिति का मत है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का ऐसा रवैया उन बैंकरों/स्वीकृति प्राधिकारी जो ऋण आवेदनों के प्रसंस्करण में अनावश्यक रूप से देरी करते हैं "नामकरण और शर्मिंदगी" के अधिकार पात्र है। इसके अलावा, आवेदकों को उनकी अनुरोधित ऋण राशि की अस्वीकृति या कमी के कारण दिए जाने चाहिए। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग बैंकिंग चैनलों में पदानुक्रम के माध्यम से ऋण आवेदनों की स्थिति को दिखाने और उन अधिकारियों के नामों को उजागर करने के लिए भी किया जाना चाहिए जिनके साथ ऋण आवेदन निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित हैं। इससे अधिकारियों पर दबाव बनाने और एमएसएमई के ऋण आवेदनों की समय पर कार्रवाई के लिए प्रक्रियाओं में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

18. समिति नोट करती है कि एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत, प्रत्येक खरीदार अपने एमएसएमई विक्रेताओं को 45 दिनों के भीतर भुगतान जारी करने के लिए बाध्य है। फिर भी, समिति पाती है कि कई मामलों में, इस समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है और इसलिए, भुगतान 45 दिनों से अधिक समय तक लंबित हो जाते हैं। अधिनियम के अनुसार, जब कोई खरीदार आपूर्तिकर्ता को उसकी आपूर्ति की गई वस्तुओं/सेवाओं की स्वीकृति के 45 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता को उसकी आपूर्ति के लिए भुगतान नहीं करता है, तो खरीदार सूक्ष्म और लघु आपूर्तिकर्ताओं को मासिक अंतराल के साथ (एमएसएमई) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना पर राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। हालांकि, समिति का मानना है कि एमएसएमई को आमतौर पर 45 दिनों से अधिक की क्रेडिट अवधि के लिए उनके द्वारा किए गए ब्याज लागत के साथ प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। एमएसएमई समाधान पोर्टल के अनुसार, 40,541 मामलों में से रु. 30.10.2017 (अर्थार्थ एमएसएमई-समाधान के लागू होने के बाद) के बाद विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) में 13,816.14 करोड़ रुपये के केवल 12,737 मामले दर्ज किए गएऔर अब तक (15.02.2022 तक) 2358.63 करोड़ का निपटान किया जा चुका है। इसलिए, समिति सिफ़ारिश करती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त और दंडात्मक नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि इन भुगतानों को बिना किसी देरी के समय पर और यदि देरी हो तो उचित ब्याज के साथ एमएसएमई विक्रेताओं को प्रेषित किया जाए । आगे, समिति चाहती है कि टीआरईडीएस के माध्यम से एमएसएमई को भुगतान की

गहन निगरानी केंद्रीय स्तर पर और समन्वित तरीके से इसके सुचारू और कुशल कामकाज को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

एक बार टीआरईडीएस और जीएसटीएन चालान एकीकृत होने के बाद, यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से ग्राहक समय पर एमएसएमई का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इस आंकड़े का उपयोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रत्येक कंपनी के लिए 'भुगतान स्कोर' विकसित करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कंपनियों के लिए क्रेडिट स्कोर हैं जो अपने ऋण भुगतान प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, भुगतान स्कोर हो सकते हैं जो उनके चालान भुगतान प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार, यदि कोई ऐसी कंपनी है जो अपने विक्रेताओं को भुगतान करने में आदतन विलंब करती है, तो इसे इंगित किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट की जाएगी। इस प्रकार उस कंपनी का नाम उजागर कर और उसकी निंदा कर के उस कंपनी के व्यावसायिक संचालन को प्रभावित किया जाएगा क्योंकि अधिकांश अन्य कंपनियां ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहेंगी जो समय पर अपने चालान का भुगतान नहीं करती है। फिर से, एक एकीकृत डिजिटल आर्किटेक्चर जो चालान और वास्तविक भुगतान के पूर्ण डिजिटलीकरण को सक्षम बनाता है, इस तरह के व्यवहार को उजागर करेगा और फिर हतोत्साहित करेगा।

19. एमएसएमई पर यूके सिन्हा विशेषज्ञ समिति ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की भूमिका के विस्तार के लिए व्यापक सिफारिशें की हैं। विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को राज्य सरकारों को अवसंरचनात्मक और क्लस्टर विकास के लिए सॉफ्ट ऋण के रूप में उधार देने के लिए नाबार्ड के ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) फंड की तरह पर सिडबी को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) की कमी को दर्शाना चाहिए। इसके अलावा यूके सिन्हा समिति ने सिफारिश की है कि सिडबी को गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई) जैसे निजी उधारदाताओं के साथ मिल कर गैर-सेवा वाले जिलों और क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए ऋण बाजार को व्यापक बनाना चाहिए। विशेषज्ञ समिति के विचार को बढ़ाते हुए, समिति यह भी महसूस करती है कि एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण में सिडबी द्वारा निभाई गई भूमिका पर्याप्त नहीं है और इसमे और अधिक सुधार, मजबूत और विस्तारित करने की आवश्यकता है।

सिडबी कृषि वित्तपोषण के लिए नाबार्ड के समान एमएसएमई वित्तपोषण के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाना चाहिए, जिसके लिए तब बहुत बड़े पूंजी आधार की आवश्यकता होगी। सिडबी की संस्थागत वित्त बही लगभग देश में कुल एमएसएमई बकाया ऋण का 10% है क्योंकि यह 30 बैंकों, 9 लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), 86 एनबीएफसी और 28 एमएफआई के माध्यम से एमएसएमई को सहायता प्रदान करता है। हालांकि, समिति महसूस करती है कि सिडबी के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं, विशेष रूप से एनबीएफसी क्षेत्र के साथ अधिक व्यापक जुड़ाव रखने की एक बड़ी गुंजाइश और विशाल अप्रयुक्त क्षमता है। समिति का मत है कि सिडबी को एनबीएफसी की अधिक विविध श्रेणी के लिए वित्त का विस्तार करना चाहिए और बड़ी भूमिका निभाने के लिए छोटे एनबीएफसी निकायों को मजबूत संस्थाओं में बदलने के लिए क्षमता निर्माण की दिशा में भी काम करना चाहिए।

20. कोविड महामारी के दौरान, सरकार की विभिन्न ऋण गारंटी योजनाओं ने बेहतर स्थिति वाले उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराने में अच्छा काम किया। दुर्भाग्य से, आपातकालीन स्थितियों के दौरान, कमजोर उधारकर्ताओं और वे लोग जो अनिश्चित समस्याओ का सामना कर रहे हैं उन्हे समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता है। एक बार जब एमएसएमई पंजीकृत हो जाते हैं और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से अपने भुगतान और क्रेडिट इतिहास को स्थापित कर लेते हैं, तो उन्हे अधिक केंद्रित तरीके से ऋण गारंटी प्रदान करना संभव होगा। विशिष्ट उद्योगों (महामारी के दौरान उच्च-स्पर्श वाले उद्योगों जैसे सैलून और टूर एजेंसियों) और भौगोलिक क्षेत्रों को लक्षित करके, सरकारी गारंटी कार्यक्रम उन लोगों को प्रदान किए जा सकते हैं जिनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। कार्यक्रमों को भी जल्दी से बनाया जा सकता है और परिस्थितियों के आधार पर लचीले ढंग से पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार, एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र कुशल और प्रभावी ऋण गारंटी कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है।

21. कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए नाबार्ड का ऋण पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 21 में 6.03 लाख करोड़ रुपये था और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18-20% पूरा करता है। SIDBI का ऋण पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 21 में लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपये है और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% है। यह स्पष्ट है कि सिडबी को अपनी बैलेंस शीट बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि यह भारत के एमएसएमई के साथ काम करने वाले विभिन्न वित्तीय संस्थानों का समर्थन कर सके। इसे अगले 5-8 वर्षों में धीरे-धीरे पूरा किया जा सकता है। हालांकि

आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स को देखते हुए यह जरूरी है कि सिडबी के इक्विटी बेस को मजबूत किया जाए ताकि वह अपनी बैलेंस शीट बढ़ा सके। समिति सिफारिश करती है कि सरकार को सिडबी में तत्काल 5,000 से 10,000 करोड़ रुपये की इक्विटी के साथ शुरू करना चाहिए और अगले कुछ वर्षों के लिए 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये का योगदान जारी रखना चाहिए। इन पूंजीगत योगदानों से एमएसएमई क्षेत्र के साथ काम करने वाली एनबीएफसी को थोक वित्तपोषण प्रदान करने की सिडबी की क्षमता में बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी।

एनबीएफसी को सदैव थोक वित्तपोषण की आवश्यकता रहती है और प्रतिस्पर्धी दरों पर धन जुटाना मुश्किल होता है। एक बार जब सिडबी एनबीएफसी क्षेत्र को पर्याप्त थोक वित्तपोषण प्रदान करना शुरू करने में सक्षम हो जाता है, तो इसे उनकी उधार दरों को कम करना चाहिए और एनबीएफसी को ऋण देने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ानी चाहिए।

22. एनबीएफसी को वित्तपोषण का विस्तार करने के साथ-साथ, सिडबी को अपनी संगठनात्मक क्षमताओं का निर्माण करने की भी आवश्यकता है। सिडबी के पास देश के प्रत्येक जिले में पर्याप्त, सक्षम कर्मचारी होने चाहिए। सिडबी कर्मचारी प्रत्येक जिले में एमएसएमई वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र का मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और मोबाइल करने में मदद कर सकते हैं। मोरबी या मुरादाबाद जैसे प्रमुख उद्योग समूहों में सिडबी के बड़े कार्यालय होने चाहिए ताकि वहां कार्यरत विभिन्न वित्तीय संस्थानों को पर्याप्त वित्तपोषण सहायता उपलब्ध हो सके। ये फील्ड कार्यालय सिडबी को ऑन-द-ग्राउंड फीडबैक भी प्रदान करेंगे कि विभिन्न एमएसएमई वित्तपोषण कार्यक्रम वास्तव में कैसे काम कर रहे हैं। सिडबी कर्मचारियों को अन्य वित्तीय संस्थानों और नाबार्ड के साथ क्रेडिट डिलीवरी और उद्योग संवर्धन पर जिला स्तरीय बैठकों में भाग लेना चाहिए।

सिडबी को विभिन्न राज्य सरकारों के एमएसएमई विभागों के साथ भी मिलकर कार्य करना चाहिए। जिला स्तर पर एमएसएमई वित्तपोषण को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त कार्यान्वयन योजनाएं सिडबी, एमएसएमई मंत्रालय और राज्यों के बीच विकसित की जानी चाहिए। इन योजनाओं पर राज्य की उपलब्ध क्षमताओं के अनुसार विचार करना चाहिए और ठोस हस्तक्षेप के रूप में क्षमता विकास पर भी ध्यान देना चाहिए जो व्यापक नीतियों को सफल बनाएगा। वर्तमान में यह तालमेल नहीं है।

23. अंत में, समिति ने पाया कि एमएसएमई वित्तपोषण को एक एकीकृत डिजिटल आर्किटेक्चर के माध्यम से विस्तारित और बेहतर लक्षित किया जा सकता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

Integrated MSME Digital Ecosystem

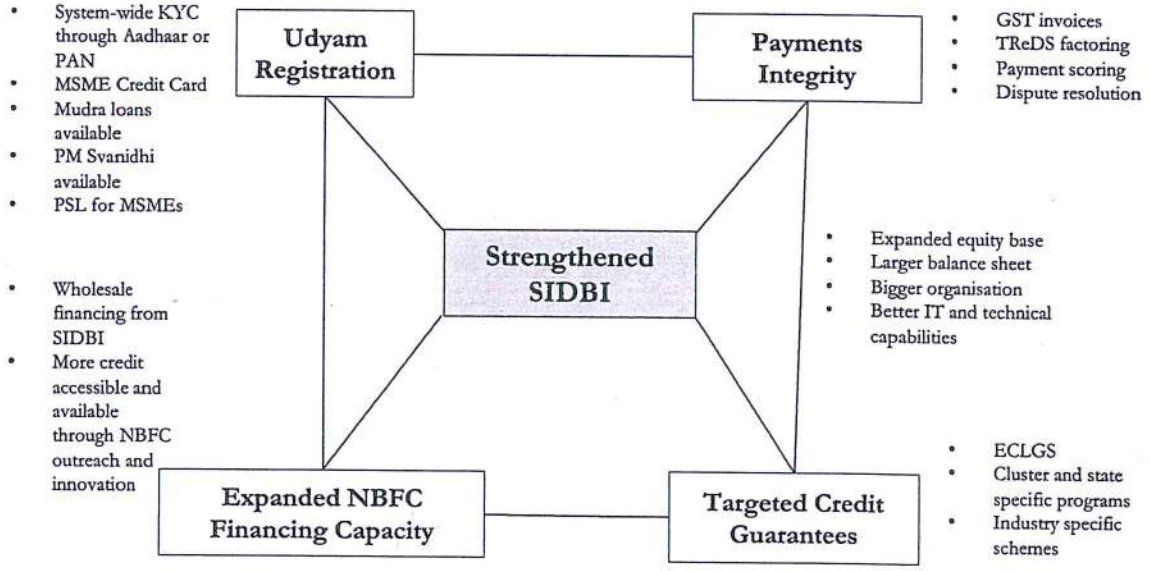

इस रिपोर्ट में प्रस्तावित एकीकृत डिजिटल आर्किटेक्चर से औपचारिक क्षेत्र में करोड़ों एमएसएमई लाने की उम्मीद है। तब उन्हें कार्यशील पूंजी के लिए क्रेडिट की एक सस्ती लाइन (विशेष रूप से एमएसएमई क्रेडिट कार्ड के साथ) प्रदान करना, उनके राजस्व के लिए व्यापार वित्तपोषण सुनिश्चित करना, सस्ती दरों पर पूंजीगत ऋण प्रदान करना और आवश्यक क्रेडिट गारंटी प्रदान करना संभव होगा। एक बार डिजिटल आर्किटेक्चर आ जाने के बाद, इन रियायती वित्तपोषण और क्रेडिट गारंटी को उन क्षेत्रों के लिए भी अच्छी तरह से लक्षित किया जा सकता है जो अपने नियंत्रण से परे बाहरी कारकों के कारण कठिन आर्थिक स्थितियों का सामना कर रहे हैं।

एनबीएफसी उधार दरों और इसलिए उनके एमएसएमई ग्राहकों के लिए वित्तपोषण दरों में भी शीघ्र कमी आएगी, जब इस रिपोर्ट में प्रस्तावित एकीकृत डिजिटल आर्किटेक्चर, बहुत तेजी से चालान भुगतान संभव हैं, और विभिन्न प्रकार की क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी। अंततः, समिति का विश्वास है कि यह आवश्यक है कि भारत सरकार और राज्य एमएसएमई वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत इसे एक राष्ट्रव्यापी योजना विकसित करके प्राप्त किया जा सकता है जिसे एक वार्षिक रिपोर्ट और एक वास्तविक सम्मेलन के माध्यम से राज्यों और अन्य हितधारकों के

साथ साझा किया जाता है। यह सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र प्रतिभागियों को एक साथ लाएगा और नियमों और नीतियों की एक सामान्य समझ विकसित करेगा।

24. सरकार के विभिन्न क्रेडिट गारंटी कार्यक्रमों ने कोविड महामारी के दौरान बहुत अच्छा काम किया है। दुर्भाग्य से, उन एमएसएमई को यह सहायता प्रदान करना संभव नहीं था जो महामारी की वजह से व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण उधार देने योग्य नहीं थे और वे एमएसएमई जो औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उधार लेने में सक्षम नहीं थे।

25. भारत में पंजीकृत एमएसएमई में से लगभग 17% महिलाओं के नेतृत्व वाले हैं। पिछले दशक में, एमएसएमई क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी 7% से अधिक बढ़ गई है, जो 2011 में 13.72% से बढ़कर 2020 में 20.37% हो गई है। हालांकि, महिला उद्यमियों के लिए, वित्त, व्यापार नेटवर्क और सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच की कमी सहित कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। लगभग 90% महिला उद्यमियों की पहुंच औपचारिक ऋण देने वाले संस्थानों तक नहीं है। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए, सभी महिला स्व-सहायता समूह और संयुक्त देयता समूहों को एक अभियान मोड में एमएसएमई के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। किफायती ऋण के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई को लक्षित करने के लिए माइक्रोफाइनांस से सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग किया जा सकता है। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्व-सहायता समूह वाले एमएसएमई को अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जा सकती है।

नई दिल्ली;
30 मार्च, 2022
09 चैत्र, 1942 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति
वित्त संबंधी स्थायी समिति।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश समिति की बैठक मंगलवार, 30 नवम्बर, 2021 को 1500 बजे से 1715 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलुवालिया
3. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
4. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
5. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री गौरव गोगोई
8. श्री मनोज कोटक
9. श्री पिनाकी मिश्रा
10. श्री गोपाल शेट्टी
11. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
12. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
13. श्री मनीष तिवारी
14. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
15. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

16. श्री अहमद अशफाक करीम
17. श्री सुशील कुमार मोदी
18. श्री ए. नवनीतकृष्णन
19. डॉ. अमर पटनायक
20. श्री सी.एम. रमेश
21. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव

सचिवालय

1. श्री वी.के. त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुंग - अवर सचिव

साक्षी

साक्षियों की सूची

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

1. श्री देबाशीष पांडा, सचिव
2. श्री पंकज जैन, अपर सचिव
3. श्री ललित कुमार चंदेल, आर्थिक सलाहकार
4. सुश्री एम. जी. जयश्री, उप महानिदेशक

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)

1. श्री बी.बी. स्वैन, सचिव
2. सुश्री अलका अरोड़ा, संयुक्त सचिव (एआरआई)
3. श्री अतीश सिंह, संयुक्त सचिव (एएफआई)
4. श्री डी.पी. श्रीवास्तव, उप महानिदेशक
5. डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी, अपर विकास आयुक्त
6. श्रीमती एन. मोहना, मुख्य महाप्रबंधक, एनडीआरओ
7. श्रीमती अनीता पटनायक, महाप्रबंधक, एफआईडीडी, एनडीआरओ

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

1. श्री शिवसुब्रमण्यम रमन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री रवि त्यागी, मुख्य महाप्रबंधक
3. श्री संजय जैन, महाप्रबंधक
4. श्री विपुल महाजन, प्रमुख, आर्थिक अनुसंधान, सिबिल

3. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के औपचारिक परिचय के पश्चात्, सभापति ने 'एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का सुदृढ़ीकरण' विषय पर चर्चा आरंभ की। बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें, एमएसएमई क्षेत्र को व्यापक तौर पर समझने की आवश्यकता, उनकी वित्तपोषण आवश्यकता और ऋण अतर, विभिन्न ऋणदाता संस्थानों के ऋण प्रोफाइल अस्वीकार किए गए ऋण सहित ऋण लाभ प्राप्त करने वालों की श्रेणियों से संबंधित आंकड़े का समग्र तथा राज्यवार दोनों स्तर पर समय पर संकलन साथ ही इस प्रकार के आंकड़ों को पारदर्शी बनाना तथा सार्वजनिक मंच पर उसे शीघ्र उपलब्ध कराना शामिल है। समिति ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को नया स्वरूप देने की आवश्यकता, ऋण-स्थगन अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऋणधारकों के लिए भावी

कार्य योजनाएं तथा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन में सामना की जा रही कठिनाईयां, जैसे कि, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस), तनावग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अधीनस्थ ऋण के लिए 'फंड ऑफ फंड' स्कीम पर भी विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई, जो, नए ऋणकर्त्ताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयां, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा लघु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नए क्रेडिट रेटिंग तंत्र की आवश्यकता, 'उद्यम' और 'ट्रेड्स' प्लेटफार्म पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता, 'ट्रेड्स' पर जीएसटी इनवॉयस को लिंक करना, सरकारी ई-बाजार (जीईएम) पोर्टल पर एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान, स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत पहचान का विषय तथा बैंकों में बार-बार जाने की आवश्यकता, बैंकों में जनशक्ति की कमी का मुद्दा, सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं को प्रोत्साहित करने और उसके बारे में, विशेषकर ग्रामीण जनता तथा युवा उद्यमियों को जानकारी देने हेतु बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान की आवश्यकता, निगरानी और शिकायत निवारण तंत्रों का सुदृढ़ीकरण तथा सरकार से ऋण लेने वाले सफल उद्यमों के मामले को प्रकाश में लाने की आवश्यकता, से संबंधित थे।

4. साक्षियों ने सदस्यों द्वारा विषय पर उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। सभापति ने साक्षियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर भेजने का निदेश दिया जिनके उत्तर उनके द्वारा बैठक में नहीं दिए गए।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक गुरूवार, 9 दिसम्बर, 2021 को 1500 बजे से 1700 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री मनोज कोटक
6. श्री गोपाल शेट्टी
7. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी

राज्य सभा

8. श्री अहमद अशफाक करीम
9. श्री सुशील कुमार मोदी
10. श्री ए. नवनीतकृष्णन
11. डॉ. अमर पटनायक
12. श्री महेश पोद्दार
13. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव

सचिवालय

1. श्री वी.के. त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुंग - अवर सचिव

भाग I

(1500 बजे - 1615 बजे)

गवाहों की सूची

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

1. श्री दिनेश खारा, अध्यक्ष
2. श्री एस साली, उप प्रबंध निदेशक (कृषि, एसएमई और एफआई)
3. श्री बी शंकर, मुख्य महाप्रबंधक (एसएमई)

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)

1. श्री सी एच. एस एस मल्लिकार्जुन राव, एमडी और सीईओ
2. श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यपालक निदेशक
3. श्री अशोक कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक

ऐक्सिस बैंक

1. श्री संग्राम सिंह, कार्यकारी उपाध्यक्ष वाणिज्यिक बैंकिंग कवरेज समूह (सीबीजी)
2. श्री शैलेश चौधरी, उपाध्यक्ष सरकारी कवरेज समूह (जीसीजी)

एचडीएफसी बैंक

1. श्री राहुल श्याम शुक्ला, समूह प्रमुख, वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकिंग
2. श्री. धनिश कोठारी, रणनीति और उत्पाद प्रमुख, वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकिंग
3. श्री अशे अग्रवाल, प्रमुख - समावेशी बैंकिंग पहल समूह

3. सर्वप्रथम सभापति ने, समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के प्रथागत परिचय के पश्चात सभापति ने 'एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का सुदृढ़ीकरण' विषय पर चर्चा आरम्भ की। बैठक के दौरान चर्चा किए गए महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल हैं बहुसंख्य अनौपचारिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम निकायों को औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत लाने में चुनौतियां, सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र की उधारी के सम्बन्ध में समय पर डाटा संकलित करने की आवश्यकता, नए उधारकर्ताओं और स्टार्ट अप्स द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों का समाधान

करना, एक बैंक से दुसरे बैंक में स्थानांतरण करने में उधारकर्ताओं द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को समझना, छोटे उधारकर्ताओं और स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत संपार्श्विक-मुक्त ऋणों तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं को दूर करना और इसके कवरेज को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) में सुधार की आवश्यकता। समिति ने आगे टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर सरकारी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने और इसके चालान छूट प्रणाली को अपनाने, उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई के पंजीकरण को बढ़ाने, जीईएम पोर्टल पर एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता और लाइसेंस गोदाम की कम पैठ के मुद्दे और अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप (ई-एनडब्ल्यूआर) में परक्राम्य गोदाम रसीद जारी करने पर विचार किया। बैठक के दौरान चर्चा किए गए कुछ अन्य मुद्दों में एमएसएमई क्षेत्र की ज्ञान सेवाओं और तकनीकी प्रगति तक पहुंच की कमी, उनकी प्रतिस्पर्धा में सुधार की आवश्यकता, राज्यों में ई-हस्ताक्षर और ई-स्टाम्पिंग सुविधाओं के विस्तार सहित भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, सरकारी ऋण योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना शामिल हैं।

4. साक्षियों ने इस विषय पर सदस्यों द्वारा उठाये गए प्रश्नों का उत्तर दिया। सभापति ने साक्षियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का निर्देश दिया जिनके उत्तर उनके पास बैठक के दौरान उपलब्ध नहीं थे।

भाग दो

(1615 बजे - 1700 बजे)

गवाहों की सूची

श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड

1. श्री वाई.एस चक्रवर्ती, प्रबंध निदेशक और सीईओ, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड।

क्रेडजेनिक्स

1. श्री ऋषभ गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
2. श्री आनंद अग्रवाल, मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ)

3. श्री मयंक खेरा, मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ)

4. श्री सागर गौतम, व्यवसाय विकास प्रमुख (बीडी)

<u>नियोग्रोथ</u>

1. श्री मनमीत सिंह साहनी, राष्ट्रीय बिक्री प्रमुख

6. सर्वप्रथम सभापति ने, समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के प्रथागत परिचय के पश्चात सभापति ने 'एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का सुदृढ़ीकरण' विषय पर चर्चा आरम्भ की। बैठक के दौरान चर्चा किए गए महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल हैं अधिक एमएसएमई, विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक ऋण चैनल में लाने की आवश्यकता, एमएसएमई ऋणों के विभिन्न पहलुओं यथा उधारकर्ताओं की श्रेणियां, ब्याज दरों के बारे में राज्य-वार अनुभवजन्य डेटा संकलित करना, एमएसएमई क्षेत्र में एनपीए और लाभ, बैंकों के साथ-साथ एनबीएफसी के लिए, इस क्षेत्र के कुल क्रेडिट अंतर का आकलन करना और अंतर को पूरा करने की योजना तैयार करना। समिति ने एमएसएमई ऋण क्षेत्र में अधिक एनबीएफसी लाने, उनके लिए ब्याज दरों को कम करने के साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र की ऋण जरूरतों को पूरा करने में बैंकों के साथ साझेदारी करने की अनुमति देने की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान चर्चा किए गए कुछ अन्य मुद्दों में एमएसएमई के लिए एक अलग क्रेडिट रेटिंग प्रणाली की आवश्यकता, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार और ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों में फिन-टेक को बढ़ावा देना, जीएसटी और आईटीआर जैसे डेटा को सरकारी पोर्टलों से आसानी से बैंकों को साझा करके डिजिटल ऋण को बढ़ावा देना, सेक्टर-विशिष्ट एमएसएमई की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित ऋण उत्पादों को तैयार करना, नकदी प्रवाह-आधारित उधार को प्रोत्साहित करना, संग्रह विधियों को डिजिटल बनाना, छोटे उधारकर्ताओं के लिए लचीला पुनर्भुगतान मॉडल विकसित करना, ग्रामीण उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, एमएसएमई श्रमिकों को कुशल बनाना, एमएसएमई उत्पादों के लिए बाजार बनाना, वन प्रोडक्ट वन क्लस्टर जैसी योजनाओं की भौगोलिक पहुंच को गहरा करना, एमएसएमई योजनाओं का व्यापक प्रचार और एमएसएमई उद्यमों के सफल केस-स्टडी को उजागर करना शामिल है।

7. साक्षियों ने इस विषय पर सदस्यों द्वारा उठाये गए प्रश्नों का उत्तर दिया। सभापति ने साक्षियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का निर्देश दिया जिनके उत्तर उनके पास बैठक के दौरान उपलब्ध नहीं थे।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य एकर चले गए।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की पाँचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक गुरुवार, 16 दिसम्बर, 2021 को 1500 बजे से 1700 बजे तक मुख्य समिति कक्ष संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
5. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री गौरव गोगोई
8. श्री मनोज कोटक
9. श्री पिनाकी मिश्रा
10. श्री गोपाल शेट्टी
11. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

राज्य सभा

12. श्री सुशील कुमार मोदी
13. श्री ए. नवनीतकृष्णन
14. डॉ. अमर पटनायक
15. श्री महेश पोद्दार
16. श्री सी.एम. रमेश
17. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव

सचिवालय

1. श्री वी. के. त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुंग - अवर सचिव

साक्षियों की सूची

साउथ इंडिया इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसआईईएमए), कोयंबटूर

1. श्री के वी कार्तिक, अध्यक्ष

2. श्री डी. विग्नेश, उपाध्यक्ष

3. श्री मिथुन रामदास, उपाध्यक्ष

कोयंबटूर डिस्ट्रिक्ट स्माल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन (सीओडीआईएसएसआईए)

1. श्री एम.वी.रमेश बाबू, अध्यक्ष

यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (यूसीपीएमए), लुधियाना

1. श्री डी.एस. चावला, अध्यक्ष

2. श्री हरसिमरजीत सिंह, मुख्य सलाहकार

झारखंड स्माल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, रांची

1. श्री फिलिप मैथ्यू, अध्यक्ष

2. श्री अंजय पचेरीवाला, उपाध्यक्ष

झारखंड स्मॉल टायनी सर्विसेज एंड बिजनेस एंटरप्राइज एसोसिएशन, बोकारो

1. श्री नवतेज सिंह, उपाध्यक्ष

2. श्री भुवनेश्वर शर्मा, संयुक्त सचिव

अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (सीएआईटी), नई दिल्ली

1. सुश्री स्मिता आहूजा, प्रमुख मीडिया पीआर

3. सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के प्रथागत परिचय के पश्चात्, सभापति महोदय ने 'एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का सुदृढ़ीकरण' विषय पर चर्चा शुरू की। बैठक के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र हेतु पर्याप्त रूप से वित्त पोषण बढ़ाने और ऋण वितरण की समयबद्धता में सुधार करना, लघु ऋणों पर ब्याज दरों और मार्जिन मनी को कम करना, नए व्यवसायों को; विशेष रूप से उनकी प्रारंभिक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान सरल वित्त पोषण प्रदान करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋणों के लिए संपार्श्विक आवश्यकता की सीमा को न्यूनतम करना, सभी हितधारकों को टीआरईडीएस पर लाना, फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता, मुद्रा ऋणों के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखना, अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

(सीजीटीएमएसई) की प्रीमियम दरों को कम करना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत संपार्श्विक-मुक्त ऋण की स्वीकृति सीमा को बढ़ाना, उद्यम पोर्टल पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकरण बढ़ाना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संशोधित परिभाषा के अनुरूप कार्यशील पूंजी ऋण और पूंजीगत सब्सिडी की सीमा बढ़ाना तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ाना शामिल है। समिति ने आगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में बड़ी संख्या में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के एकत्र होने के कारणों और उनके द्वारा वित्तीय अनुशासन में सुधार करने की आवश्यकता और समय-समय पर सिडबी तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के साथ के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संघों की परामर्श बैठकें आयोजित करने, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) का पुनर्गठन करने, निजी बैंकों सहित सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा सरकार और आरबीआई दिशानिर्देशों को समय पर अपनाया जाना सुनिश्चित करने, लघु ऋण लेने वालों के लिए अनुकूलित ऋण उत्पाद तैयार करने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक अलग क्रेडिट रेटिंग प्रणाली तैयार करने और वर्तमान प्रणाली की विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता, चेकों का तेजी से समाशोधन और जीएसटी रिफंड का समय पर भुगतान करने, बैंकरों के अड़ियल रवैये को बदलने के उपाय करना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋणों के प्रति उनका विश्वास बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। समिति ने ऋण आवेदन के मूल्यांकन और प्रसंस्करण में पारदर्शिता की आवश्यकता और ऑनलाइन ऋण आवेदन ट्रैकिंग प्रणाली की आवश्यकता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए शेयर पूंजी बाजार का विस्तार करने, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने, उधारकर्ताओं, विशेष रूप से छोटे और ग्रामीण ऋण लेने वालों के बीच नई सरकारी ऋण योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा अनुसंधान, प्रोद्योगिकी और गुणवत्ता सुधार के माध्यम से मूल्य संवर्धन करने पर भी चर्चा की।

4. साक्षियों ने इस विषय पर सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया। सभापति ने साक्षियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का निर्देश दिया जिनके उत्तर बैठक के दौरान उनके द्वारा नहीं दिए जा सके।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थागित हुई ।

कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है ।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021 को 1500 बजे से 1700 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
5. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री गौरव गोगोई
8. श्री मनोज कोटक
9. श्री रवि शंकर प्रसाद
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री गोपाल शेट्टी
12. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
13. श्री मनीश तिवारी

<u>राज्य सभा</u>

14. श्री अहमद अशफाक करीम
15. श्री ए. नवनीतकृष्णन
16. श्री प्रफुल्ल पटेल
17. श्री महेश पोद्दार
18. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव

<u>सचिवालय</u>

1. श्री वी.के. त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुंग - अवर सचिव

भाग एक
(1500 बजे - 1615 बजे)

गवाहों की सूची

भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग गोलमेज सम्मेलन (आईएसपीआईआरटी)

1. श्री शरद शर्मा
2. सुश्री काम्या चंद्र
3. श्री सिद्धार्थ शेट्टी

सिबिल

1. श्री राजेश कुमार, एमडी और सीईओ
2. सुश्री हर्षला चांदोरकर, सीओओ
3. श्री विपुल महाजन, निदेशक

3. सर्वप्रथम सभापति ने, समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के प्रथागत परिचय के पश्चात सभापति ने 'एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का सुदृढ़ीकरण' विषय पर चर्चा आरम्भ की। बैठक के दौरान चर्चा किए गए महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल हैं एमएसएमई क्षेत्र को ऋण वितरण दर में सुधार की आवश्यकता, एमएसएमई की संशोधित परिभाषा के तहत छोटे व्यापारियों को शामिल करने के लिए खाते में क्रेडिट प्रवाह को बढ़ाना, अनौपचारिक क्षेत्र में अपंजीकृत एमएसएमई के बारे में उचित डेटा को मिलाकर एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट अंतर को समझने की आवश्यकता, विश्वसनीय डेटा जैसे जीएसटी डेटा, आयकर विवरण, उपयोगिता बिल आदि का आसान प्रवाह सुनिश्चित करना और इस क्षेत्र में क्रेडिट प्रवाह को सुगम बनाने के लिए उन्हें संपार्श्विक के रूप में स्वीकार करना शामिल है। समिति ने डेटा साझा करने के लिए उचित सहमति संरचना तैयार करने, डेटा उल्लंघन के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने, अधिक ऋणग्रस्तता की जांच करते समय संपार्श्विक उधार के स्थान पर नकदी प्रवाह आधारित उधार देने की आवश्यकता, जीईएम एसएएचएवाई सक्षम ओपन क्रेडिट सक्षम नेटवर्क (ओसीईएन) का विस्तार, ट्रेड्स पर पंजीकरण बढ़ाकर उसकी चालान छूट सुविधा का विस्तार करने, डिजिटल ऋण को बढ़ावा देने और एमएसएमई के ऋण आवेदनों का तेजी से प्रसंस्करण करने की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श किया।

4. साक्षियों ने इस विषय पर सदस्यों द्वारा उठाये गए प्रश्नों का उत्तर दिया। सभापति ने साक्षियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का निर्देश दिया जिनके उत्तर उनके पास बैठक के दौरान उपलब्ध नहीं थे।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए ।

भाग दो

(1615 बजे - 1700 बजे)

गवाहों की सूची

वित्त मंत्रित्व

1. श्री विवेक अग्रवाल, अपर सचिव, राजस्व विभाग
2. श्रीमती। वंदिता कौल, अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग
3. श्री विवेक जौहरी, अध्यक्ष, सीबीआईसी
4. श्री मनीष सिन्हा, सीईओ, जीएसटीएन
5. श्री डी.पी. नागेंद्र कुमार, सदस्य (जीएसटी)
6. श्री ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग
7. श्री संजय मंगल, आयुक्त (जीएसटी)

6. सर्वप्रथम सभापति ने, समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के प्रथागत परिचय के पश्चात सभापति ने 'एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का सुदृढ़ीकरण' विषय पर चर्चा आरम्भ की। बैठक के दौरान चर्चा किए गए महत्वपूर्ण मुद्दों में एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को मजबूत करने, जीएसटी आधार का विस्तार करने, एमएसएमई अधिनियम, 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करने, डेटा साइलो को उनके निर्बाध साझाकरण को सुनिश्चित करने, डेटा धोखाधड़ी के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करते हुए डेटा के आसान प्रवाह के लिए उपयुक्त कानूनों में संशोधन करना, एमएसएमई उद्यमों के क्रेडिट प्रोफाइल बनाने के लिए एक साथ विभिन्न सरकारी विभागों के डेटा का उपयोग करना, जीएसटीएन डेटा का उपयोग करके बैंक ऋण स्वीकृत करना और टीआरईडीएस पोर्टल के साथ जीएसटी डेटा का

एकीकरण, सभी हितधारकों को एकसाथ लाकर टीआरईडीएस का विस्तार करना और टीआरईडीएस पोर्टल पर चालान अपलोड करने की प्रक्रिया स्वचालित करना शामिल है।

7. साक्षियों ने इस विषय पर सदस्यों द्वारा उठाये गए प्रश्नों का उत्तर दिया। सभापति ने साक्षियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का निर्देश दिया जिनके उत्तर उनके पास बैठक के दौरान उपलब्ध नहीं थे।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थागित हुई ।

कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है ।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की पंद्रहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक बुधवार, 30 मार्च, 2022 को 1500 बजे से 1615 समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलुवालिया
3. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
4. श्रीमती सुनीता दुग्गल
5. श्री सुधीर गुप्ता
6. श्री मनोज कोटक
7. श्री गोपाल शेट्टी
8. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
9. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
10. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

11. श्री सुशील कुमार मोदी
12. श्री ए. नवनीतकृष्णन
13. डॉ. अमर पटनायक
14. श्री महेश पोद्दार
15. श्री सी.एम. रमेश
16. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुंग - उप सचिव

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, समिति ने 'एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का सुदृढ़ीकरण' विषय पर विचार करने और स्वीकार करने हेतु लिया। कुछ विचार-विमर्श के बाद, समिति ने बैठक के दौरान कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार मामूली संशोधनों के साथ उपरोक्त प्रारूप प्रतिवेदन को अपनाया और सभापति को प्रारूप प्रतिवेदन को उसे अंतिम रूप देने और संसद में / माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

3. समिति ने 'पूंजी बाजार से संबंधित नियामक मुद्दे' विषय को उठाने और आगामी सप्ताह में होने वाली अगली बैठक में सेबी के प्रतिनिधियों को बुलाने का भी निर्णय लिया।

4. समिति ने मई, 2022 के पहले - दूसरे सप्ताह के दौरान मुंबई, बेंगलुरु और कोयंबटूर का अध्ययन दौरा करने का भी फैसला किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।